खण्ड-183, अंक-5
सोमवार, 16 वैशाख, शक संवत् 1879
(6 मई, 1957 ई0)

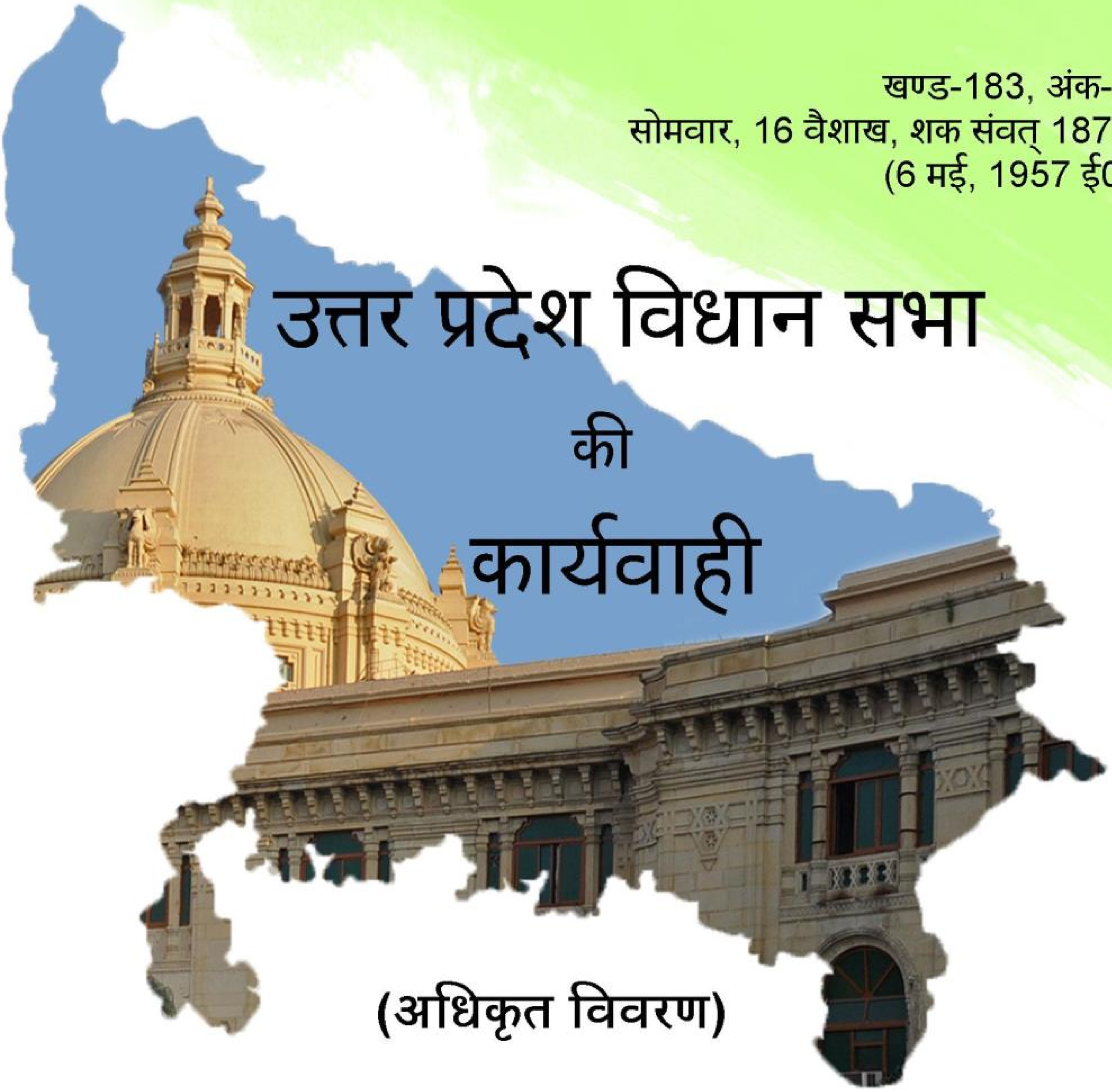

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 183 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
कानपुर में निष्कीवास के शव जुलूस पर लाठी चार्ज के फलस्वरूप श्री ओमप्रकाश द्वारा अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३०८
शाहजहांपुर जिले में अदालती पंचों का चुनाव अलत ढंग से किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३०९
चकबन्दी के सम्बन्ध में कैराना तहसील के किसानों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने पर माल मंत्री का वक्तव्य	३०९–३१२
विधान भवन के सिंहद्वार के बन्द रहने के कारण सदस्यों के बाहर न जा सकने पर श्री राजनारायण की आपत्ति	३१३
प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित)	३१३–३३३
उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय तथा संशोधन पर कि उसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय—विवाद जारी) ..	३३३–३६०
घण्टी	३६१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ६ मई, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३९१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफ़ाक अली खां, श्री
असग़रअली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमण सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री

गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुरवर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जरग्राम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपांकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री

नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
विशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मूल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफजाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री

रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार, शर्मा
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री

शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन 'राहत मौलाई', श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

६ मई, १९५७ ई०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

इकोनोमी कमेटी की रिपोर्ट

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को प्रदेशीय इकोनोमी कमेटी (Economy Committee) की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन में उपस्थित करेगी ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—जी नहीं, इकोनामी कमेटी का विचार-विमर्श अभी समाप्त नहीं हुआ है और कमेटी ने अभी तक सरकार को कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह इकोनोमी कमेटी कब स्थापित की गयी थी ?

श्री धर्मसिंह—यह १९५४ में स्थापित की गई थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—किस तारीख को ?

श्री धर्मसिंह—एक्जैक्ट तारीख तो नहीं बतला सकता, लेकिन मार्च, १९५४ में स्थापित की गयी थी।

बिना-वापसी चुंगी के लिए चुंगी दफ्तरों के चौबीस घंटे खुला रखने की प्रार्थना

**२—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन नगरपालिकाओं या नगरों की जनता ने Non-refundable Octroi (बिना वापसी चुंगी) आरम्भ करने और वापसी (Refund) के लिये आक्ट्रॉय आफिस चौबीसों घंटा खुला रखने की मांग की है ?

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—सरकार के पास जो सूचना है उसके अनुसार बिना-वापसी चुंगी लगाने की मांग निम्नलिखित नगरपालिकाओं से आई है:—

१—फैजाबाद
२—जौनपुर
३—झांसी
४—ललितपुर
५—पीलीभीत
६—वाराणसी
७—मथुरा
८—अलीगढ़
९—रामपुर

बोर्डों के आक्ट्रॉय आफिस को २४ घंटे चुंगी वापसी के लिए खुला रखने के सम्बन्ध में सरकार के पास किसी भी नगरपालिका की जनता से प्रार्थना नहीं आई है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चौबीसों घंटा आक्ट्रॉय आफिस खुला रखने की मांग नियम संगत है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नियमसंगत का प्रश्न नहीं उठता है। जो मांग है उसी के सम्बन्ध में शासन ने जैसा उचित समझा एक आदेश दे दिया।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन ने इस मांग को नियमानुसार करना अनिवार्य समझा या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—शासन ने वहां की नगरपालिका की रिपोर्ट लेकर यह उचित समझा है कि आफिस सुबह ६ बजे से लेकर शाम के ६ बजे तक खुला रहे।

नियोजन विभाग की सूचना पत्रिकायें

**३—श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग की सूचना पत्रिकायें अंग्रेजी में छपती हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—नियोजन विभाग की सूचना पत्रिकाएं अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में छपती हैं।

**४—श्री शिवप्रसाद नागर—यदि हां, तो हिन्दी में क्यों नहीं छापी जातीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

प्राविंशियल एक्जीक्यूटिव सर्विस (इमरजेन्सी रिक्रूटमेंट) का केन्द्र लखनऊ में खोलने की प्रार्थना

**५—श्री रामपाल त्रिवेदी (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भावी प्राविंशियल इक्जीक्यूटिव सर्विस इमरजेन्सी रिक्रूटमेंट का केन्द्र इलाहाबाद के अतिरिक्त लखनऊ में रखने का वह विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं । परन्तु सरकार इस सुझाव पर अब विचार करेगी ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इसमें कितना समय विचार करने में लगेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमको विचार करने में तो बहुत थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यह चीज पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ की है, उनसे राय करनी होगी। अगर उनको राय पसन्द आ जाय तो बहुत जल्दी हो सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायगे कि भावी प्राविंशियल एक्जीक्यूटिव सर्विस इमरजेन्सी रिक्रूटमेंट कब होने वाला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—रिक्रूटमेंट बहुत जल्द होने वाला है। पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने है, जब उन लोगों का इन्टरव्यू कर लें ।

विधायकों को निवास-स्थान की असुविधा

**६—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायल होटल के कुछ कमरों में ठहरने के लिये दिये गये कमरों को कुछ विधायकों ने लेने से इन्कार कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार उनके लिये क्या कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, कुछ विधायकों ने विधायक निवास नम्बर ४ (पुराना रायल होटल) में रहना न चाहा। जहां तक हो सका उनको दूसरी जगह कमरे दिये गये और उनके कमरे दूसरे सदस्यों को दिये गये ।

**७—श्री अमरनाथ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास '१ और २' में कितने ऐसे कमरे हैं जो जिनको दिये गये हैं उनको नहीं मिले और दूसरे लोग उन पर कब्जा किये हैं ?

श्री धर्मसिंह—विधायक निवास १ में ३ ऐसे कमरे हैं, जो कि अभी जिन सदस्यों को दिये गये हैं उनको नहीं मिल सके हैं। विधायक निवास २ में ऐसा कोई कमरा नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे विधायक हैं जिनको अभी तक कमरे नहीं मिल सके हैं ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक कमरे का सम्बन्ध है, सभी को एलाटमेंट हो चुका है, लेकिन कुछ डबल सीटेड रूम्स ऐसे हैं जिनमें बहुत से सदस्यों ने अकेले ही कब्जा कर लिया है। उसके बाद में जो हमारे पास सूचना है, उसके आधार पर ५३ ऐसे सदस्य हैं जिनको अभी तक कमरे नहीं मिले हैं ।

श्री शिवगोपाल तिवारी (जिला उन्नाव)—मुझे आज तक कोई एलाटमेंट नहीं हुआ है ।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ राजा वीरेन्द्र शाह ने पूछा ।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठ जायं, यह अवसर नहीं है इस प्रकार की बातचीत करने का।

श्री अमरनाथ—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ उपमंत्री तथा सभासचिव आज भी विधायक निवास में रह रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, यह बात ठीक है; इस प्रकार से रह रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे सदस्यगण हैं, जिन्होंने एक-एक कमरे को अकेले ही घेर रखा है ?

श्री धर्मसिंह—मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके आधार पर ८१ ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने पृथक पृथक कमरों को घेर रखा है और एक एक सदस्य एक एक कमरे में रह रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन के विचाराधीन कोई ऐसा प्रश्न भी है कि जो माननीय सदस्य निवासस्थान के बाहर रहेंगे उनको कुछ अलाउन्स दिया जाय और जो अकेले रहना चाहें उनसे किराया लिया जाय ?

श्री धर्मसिंह—जो माननीय सदस्य डबल सीटेड रूम में अकेले रहेंगे उनको १ रुपया ४ आना प्रति दिन के हिसाब से देना पड़ेगा। यदि सरकार किन्हीं कारणों से कुछ सदस्यों के रहने का प्रबन्ध न कर सके तो अभी यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या किया जाय ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसे माननीय सदस्य भी हैं जो पहले सदन के सदस्य थे, लेकिन इस बार हार गये हैं और कौंसिलर्स रेजीडेंस का कमरा नहीं छोड़ते हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—कुछ सदस्य ऐसे हैं जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, उनसे कमरे खाली कराने का प्रयत्न किया गया है और जो कुछ कोशिश इस सम्बन्ध में हो सकती थी की जा रही है। उम्मीद है कि वे जल्द से जल्द खाली हो जायंगे।

खटीमा तहसील में पेय जल का कष्ट

**८—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को मालूम है कि खटीमा तहसील में पीने के पानी की भारी कमी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—खेद है कि इस विषय में सरकार को कोई सूचना नहीं है, किन्तु यदि माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में किसी तथ्य अथवा विषय का ज्ञान हो तो वे सरकार को सूचित कर दें। इस मामले में सावधानी से यथाशीघ्र जांच की जायगी तथा जहां तक संभव होगा स्थिति में सुधार करने के लिये कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि खटीमा तहसील में गांधीनगर पुरनापुर में सरकार की ओर से हैन्डपम्प लगाया गया है, लेकिन वह अभी तक लगा नहीं है और उसका पेमेंट हो गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसकी सूचना के अनुसार खटीमा तहसील में पीने के पानी की पर्याप्तता है या कमी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं तो जवाब दे चुका कि इस सम्बन्ध में वहां पानी की कमी की कोई शिकायत नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३ दिसम्बर, सन् १९५६ को १,००० प्यासे थारू किसानों ने तहसील के आगे प्रदर्शन किया और वहां के तहसील अधिकारियों ने और जिला अधिकारियों ने सरकार को कोई सूचना नहीं दी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

टनकपुर टाउन एरिया को पेय-जल-स्थिति सुधारने के लिए अनुदान की आवश्यकता

**९—श्री प्रतापसिंह—सरकार ने पानी के लिये टनकपुर टाउन एरिया कमेटी को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार ने पानी के लिये टनकपुर टाउन एरिया कमेटी को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि टनकपुर टाउन एरिया कमेटी में पीने के पानी का एक मशीन है जो प्रायः सप्ताह में ३ दिन बन्द रहती है और वहां लोगों को पीने के पानी की बहुत परेशानी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार को मालूम है कि जब काली नदी में बाढ़ आती है तो टनकपुर के लोगों को २ मास तक पानी मिलना दुश्वार हो जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं तो स्पष्ट कर चुका कि सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं जिससे मालूम हो कि ऐसी असुविधा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार टनकपुर टाउन एरिया कमेटी की पेय स्थिति सुधारने के लिये कोई ग्रान्ट देने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में टाउन एरिया कमेटी मांग करेगी तो अवश्य विचार किया जायगा ।

मेरठ में विश्वविद्यालय खोलने पर विचार

**१०—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मेरठ में विश्वविद्यालय खोलने का उसका विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—मेरठ में विश्वविद्यालय खोलने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न सरकार के पास कब से विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय सरकार कब तक करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह प्रश्न विचाराधीन तो तब से है जब से मेरठ वालों की मांग रही है और इस पर विचार हो रहा है । अन्तिम निर्णय जब विचार समाप्त हो जायगा तभी हो पायेगा ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मेरठ यूनिवर्सिटी के खोलने में क्या विशेष कठिनाई सरकार के सामने है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—किसी बड़े काम को प्रारम्भ करने में पैसे की कठिनाई सबसे बड़ी होती है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जो विचार कर रही है उसके लिए कोई कमेटी बनायी गयी है ? उसकी कोई मीटिंग हुई है, उसका कोई हवाला देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसकी आवश्यकता होगी तो की जायगी अभी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । हम लोग उस पर विचार करने को काफी योग्य हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मेरठ वालों की कब से मांग रही है मेरठ में विश्वविद्यालय खोलने की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तिथि का तो पता नहीं है, लेकिन काफी दिनों से है, मेरा खयाल है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने विचार किया अब तक, वह क्या विचार किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विचार यह किया कि आपकी मांग भी उचित है , हमें सहानुभूति भी है । अभी पैसा नहीं है कि उस पर कुछ ज्यादा काम कर सकें ।

जिला मुजफ्फरनगर की खतौली शुगर मिल्स, में कथित हड़ताल

**११—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि खतौली शुगर मिल्स, मुजफ्फरनगर, में ८ अप्रैल से गेट एरिया के समस्त गन्ना उत्पादकों की स्ट्राइक चल रही है ? यदि हां , तो क्यों ?

उद्योग उप मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—खतौली शुगर मिल्स में ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं चल रही है ।

**१२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस हड़ताल को समाप्त कराने और स्थिति सुधार के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कोई स्ट्राइक वहां चली, इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है ?

श्री रऊफ जाफरी—वहां कुछ लोगों ने दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की; लेकिन मिल बन्द नहीं हुई और बराबर चलती रही ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी को ज्ञात है कि खतौली शुगर मिल में ८ अप्रैल से १५ अप्रैल तक लगातार स्ट्राइक रही और सत्याग्रह भी १५ अप्रैल को करना पड़ा ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने कहा वहां कुछ लोगों ने दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की थी लेकिन मिल बन्द नहीं हुई और पेराई बराबर जारी रही थी ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह क्या दिक्कतें थीं जिनकी बिना पर ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ा ?

श्री रऊफ जाफरी—सवाल समझ में नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता—आप स्पष्ट कर दीजिये ।

श्री रामदास आर्य—आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कुछ दिक्कतें थीं, तो उन दिक्कतों का क्या कारण था और वह दिक्कतें क्या थीं ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने कहा कि कुछ लोगों ने वहां काम को बन्द करने की। स्ट्राइक करने की इस किस्म की दिक्कतों को पैदा करना चाहा। लेकिन वह कामयाब नहीं हो सके कि मिल बन्द हो। वैसे सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन लोगों ने काम बन्द कराना चाहा उन्होंने किन कारणों से प्रेरित होकर बन्द कराना चाहा ?

श्री रऊफ जाफरी—वजह सिर्फ यह थी कि वहां जब मार्च में इसका हिसाब लिया गया कि हर मिल में कितना गन्ना है और कितने दिन तक पेराई चलेगी तो खतौली मिल में एक और सेन्टर इकबालपुर मिल का शामिल कर दिया गया जहां गन्ना बहुत ज्यादा होता है और जून तक मिल चलती है। तो उससे सेंटर निकाल लिया गया। कुछ दे दिया गया मंसूरपुर को, एक सेंटर खतौली में दे दिया गया, इसलिये कि उनके पास काफी गन्ना था, वह मिल १५ मई को बन्द हो रही थी, उनसे कहा गया कि ३० मई तक चलावें। उस मिल का एक सेंटर यहां मिला दिया गया, बस यही बात थी। इसी पर यह सब कुछ हुआ था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो भी एजीटेशन हुआ था छोटा या बड़ा उसके बाद किस प्रकार किसानों को प्रैसीफाई किया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—वह इस तरह से हुआ कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की मिलों में यह देखा गया कि हर एक के हल्के में कितना गन्ना है और कब तक पेर लेंगे। कोशिश यह की जा रही थी कि गन्ना पेर लिया जाय। अगर किसी मिल में ज्यादा रह गया था तो वहां से निकाल कर दूसरी जगह किसानों के फायदे के लिये और चीनी की पैदावार को बढ़ाने के लिये ऐसा इंतजाम किया गया। जैसा मैंने बताया, २१ मार्च को ऐसा हुआ था। और वैसे भी वक्तन-फवक्तन केन कमिश्नर रिव्यू करते रहते हैं और अब जो सेंटर शामिल हुआ था जो अप्रैल के खात्मे पर फिर रिव्यू हुआ तो फिर दूसरी मिल को, इकबालपुर मिल को, दे दिया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसी पिछले सोमवार को जब यह प्रश्न मेरी तरफ से आया था तो सरकार ने जवाब दिया था कि ऐसी परिस्थिति नहीं है वहां, जिसका अब जिक्र किया जा रहा है, तो जवाब यह सही है या वह सही था ?

श्री रऊफ जाफरी—दोनों सही हैं। यह मुजफ्फरनगर का सवाल है।

श्री राजनारायण सिंह—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ८ अप्रैल से जो वहां पर, चाहे हड़ताल कहा जाय या कुछ लोगों ने कोई कार्यवाही की थी, उसकी चाहे जो भी शक्ल रही हो, मगर उससे असर यह हुआ कि वहां के किसानों का गन्ना ३० तारीख तक पेरे जाने में दिक्कत पैदा हो रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—जाहिर है, जब कुछ रुकावट होती है तो थोड़ी दिक्कत जरूर पैदा हो जाती है, लेकिन यह जो किया गया वह तमाम किसानों के फायदे को नजर में रख कर किया गया और उम्मीद यह है कि ३०मई तक सब गन्ना पेरा जा चुकेगा और अब तो कुछ गन्ना वहां से इकबालपुर मिल को भी दे दिया गया है।

**१३-१४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—[७ मई, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

तारांकित प्रश्न

खटीमा पावर हाउस से बिजली का उपयोग तथा पीलीभीत में बिजली की दर

*१—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खटीमा पावर हाउस की बिजली उपयोग करने की कोई योजना उसने बनाई है ?

श्री धर्मसिंह—इस पावर हाउस से अल्मोड़ा, नैनीताल, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, खीरी, हरदोई, लखनऊ तथा बाराबंकी जिलों को बिजली दी जा रही है।

*२—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खटीमा पावर हाउस की बिजली, तहसील संडीला (हरदोई) और मलिहाबाद तथा सदर तहसील (लखनऊ) में कब तक पहुंच जायेगी ?

श्री धर्मसिंह—बिजली इन जगहों पर पहुंच चुकी है।

*३—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को खटीमा पावर हाउस से बिजली दी जाती है ? यदि हां, तो उसके क्या रेट हैं और जो बिजली पीलीभीत इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी बेचती है उसके क्या रेट्स है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। बिजली के रेट की एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६१ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि खटीमा पावर हाउस से कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है और कितनी उपयोग में आ रही है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बतायेगी कि जहां से यह बिजली उत्पन्न होती है वहां से किस रेट पर सप्लाई होती है, अपने कमीशन ऐजेंट्स को ?

श्री धर्मसिंह—वह तो भिन्न भिन्न रेट्स होते हैं जैसी बिजली पैदा होती है।

श्री शिवप्रसाद नागर—सरकारी रेट क्या है ?

श्री धर्म सिंह—सरकारी रेट का तो कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है उत्तर में बतला दिया गया है कि उसकी सूची साथ में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जिन रेट्स पर सरकार पीलीभीत एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को बिजली देती है क्या वही रेट शारदा ग्रिड के हैं ?

श्री धर्मसिंह—रेट्स तो अलग अलग होते हैं, वह समस्त शारदा ग्रिड के कैसे हो सकते हैं ? वह तो पीलीभीत के हैं जैसा कि उत्तर में बताया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या शारदा ग्रिड की बिजली की दरों को मुकर्रर करने के लिये गवर्नमेंट ने कोई रेटिंग कमेटी बनाई थी ? यदि हां, तो क्या उसने इन दरों को स्वीकार कर लिया है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी हां, बनाई थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने जो यह बिजली की दरें नियत की हैं, यह उस रेटिंग कमेटी की सिफारिश के अनुसार नियत की हैं या वैसे ही कर ली हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वहां की पोजीशन यह थी कि वहां लाइसेंसी थे। उनका इंजिन खराब हो गया, तो उसको खटीमा पावर स्टेशन से बिजली दी गई ताकि वहां की रोशनी जारी रहे। उस पर वहां के रेट्स का एक टेम्पोरेरी असेंसमेंट करके, जो लाइसेंसी के वक्त में था, उसको कुछ तब्दील कर दिया गया और यह कि मुस्तकिल क्या हो वह रेटिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। अब जहां तक इस वक्त मुझको याद है। अभी उसका आखिरी निर्णय आया नहीं।

श्री शिव प्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास इस बिजली योजना द्वारा कितनी इनर्जी सरप्लस है और जितनी सरप्लस इनर्जी है वह किस प्रकार इस्तेमाल की जायेगी ?

श्री धर्मसिंह—यदि माननीय सदस्य शारदा एरिया के बारे में मालूम कर रहे हैं तो कुछ तो वहां पर इस्तेमाल हो रही है और जो वहां पर बिजली बची हुई है वह ग्रिड एरिया को डाइवर्ट कर दी गई है, क्योंकि वहां अधिक अवश्यकता है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि खटीमा पावरहाउस से जो उत्पादन होती है उससे मांग अधिक है या कम है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, अभी उतनी मांग नहीं है।

*श्री शिव प्रसाद नागर—[स्थगित किया गया।]

चकबन्दी में बरती गई अनियमितताओं, भ्रष्टाचार तथा अच्छे खेतों के अपहरण के विरोध में माल मंत्री के निवासस्थान पर किसानों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में तीन कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता—मेरे पास कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक कामरोको प्रस्ताव आचार्य दीपंकर जी का है जिसमें उन्होंने मांग की है कि "कैराना तहसील, मुजफ्फरनगर के ७० किसान पिछले तीन दिनों से माल मंत्री महोदय के निवास स्थान के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं जिससे विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। यह जन-महत्व का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। ये किसान चकबन्दी में बरती गई अनियमितताओं और रिश्वतखोरी और उनके अच्छे खेतों के अपहरण के विरोध में यह भूख हड़ताल कर रहे हैं। अतः सदन का यह निश्चित मत है कि सदन का कार्य स्थगित किया जाय तथा इस समस्या पर विचार किया जाय"।

मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है इस वास्ते कि चकबन्दी के बारे में तीन दिन तक बहस होती रही और इसमें जितनी बातों का जिक्र किया गया है। रिश्वतखोरी, अनियमितता, आदि, यह तमाम बातें उसमें डिस्कस की गई थीं। इस वजह से मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामसिंह चौहान का है जो इसी से मिलता जुलता है—

"जिला मुजफ्फरनगर के ७२ किसान माल मंत्री श्री चरण सिंह जी के बंगले पर भूख हड़ताल कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप प्रांत के किसानों व जनता में असंतोष का वातावरण व्याप्त है। अतः इससे उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं समझता हूं कि यह जनहित की चीज नहीं है और न निश्चित है। इस वास्ते मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री पद्माकर जी का है। वह भी करीब इसी प्रकार का है। उसको भी अनिश्चित होने के कारण मैंने अस्वीकार कर दिया है।

गोरखपुर जिले के कुछ ग्रामों में अग्निकाण्ड जनित परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता—एक कामरोको प्रस्ताव श्री मदन पांडेय जी का है। वह इस प्रकार है।

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोरखपुर जिले में निचलौल थाने के गौरा निपनिया, बैठवलिया कटहरी, गिरहिया, तथा कोठीमार थाने के सोनवरसा ग्राम के बेलवाटोला, मदरहा, महराजगंज थाने के दरौली तथा नई कोट थाने के सेवतरी आदि ग्रामों में भीषण अग्निकांडों की समुचित सूचनायें प्राप्त होने के बाद भी अब तक इन हजारों ग्राम निवासियों की इस भीषण दुरवस्था में सहायता करने में सरकार की लापरवाही तथा जान व माल की रक्षा में सरकार की विफलता पर विचार करने के हेतु यह सदन कार्य-स्थगन करता है।"

सरकार की लापरवाही बहुत से मामलों में हुआ करती है, तो केवल लापरवाही हो जाना, यह, कोई विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता, और अनिश्चित भी है। इस वास्ते मैंने इसको अस्वीकार कर दिया।

खीरी जिले में गन्ने पेरने की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता—एक और कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथ प्रसाद जी का है—

"इस सदन का कार्य आवश्यक सार्वजनिक हित के निश्चित प्रश्न, अर्थात् खीरी जिले में लगभग ८० लाख मन गन्ना, जिसके पेरने की व्यवस्था इस समय तक नहीं की गई....." इत्यादि, इत्यादि, उसके लिये वे कामरोको प्रस्ताव लाये हैं। इसकी मैंने दो कारणों से इजाजत नहीं दी है। पहला कारण यह है कि सार्वजनिक हित का होते हुये भी वह पब्लिक इम्पार्टेंस की चीज वह नहीं है। दूसरे यह अर्जेन्ट भी नहीं है। इस वास्ते मैंने इसको अस्वीकार कर दिया।

कानपुर में निक्कीदास के शव जुलूस पर लाठी चार्ज के फलस्वरूप श्री ओम् प्रकाश द्वारा अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता—एक कामरोको प्रस्ताव श्री गौरीशंकर राय जी का है। वह यह है कि :—

"सदन का कार्य एक आवश्यक निश्चित सार्वजनिक महत्व के प्रश्न अर्थात् कानपुर शहर के पुलिस द्वारा स्वर्गीय निक्कीदास के शव जलूस पर लाठी चार्ज, गिरफ्तार हुये व्यक्तियों पर हवालात में मारपीट व श्री वीरेंद्र बहादुरसिंह की मूंछों के उखाड़े जाने पर श्री ओम् प्रकाश, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश समाजवादी युवक सभा के द्वारा न्यायायिक जांच की मांग का ३ मई, १९५७ तक स्वीकृत न होने पर श्री ओम् प्रकाश ने विधान भवन के सामने ४ मई, १९५७ से अनशन शुरू कर दिया, उस पर विचार करने के लिये स्थगित किया जाय।"

दो कारणों से मैं इसको अस्वीकृत करता हूं। पहला कारण यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने २५ मार्च को इस विषय में एक वक्तव्य दिया, और कारण दूसरा यह है कि यह व्यक्तिगत प्रश्न है कोई महाशय इस प्रकार की हड़ताल करें तो वह कोई पब्लिक इम्पार्न्टेंस की चीज नहीं हो सकती। इस वास्ते मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

शाहजहांपुर जिले में अदालती पंचों का चुनाव गलत ढंग से किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---एक कामरोको प्रस्ताव श्री हरदयाल सिंह जी का है। "जिला शाहजहांपुर में अदालती पंचों का चुनाव गलत तथा पक्षपातपूर्ण ढंग से किया गया है.....",

यह तमाम उन्होंने लिखा है। इसके लिये उन्हें अधिकार है कि इलेक्शन पेटीशन दायर करें। फिर यह अर्जेंट भी नहीं है। इस वास्ते मैंने इसको स्वीकार नहीं किया।

चकबन्दी के सम्बन्ध में कैराना तहसील के किसानों द्वारा भूख हड़ताल में किये जाने पर माल मंत्री का वक्तव्य

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। पहली तो यह कि कैराना तहसील के जो लोग भूख-हड़ताल कर रहे हैं उस स्थिति के संबंध में वे क्या कोई वक्तव्य देने की कृपा करेंगे और दूसरे यह कि क्या वे उनकी शिकायतों की जांच कराने की कृपा करेंगे।

*माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अधिष्ठाता महोदय, कैराना के ९० किसानों की मुझसे २८ तारीख की शाम को मुलाकात हुई और ४ घंटे तक मेरी उनसे बातें हुईं। उनमें से तीन चार ने बहुत तफसील के साथ अपनी बातें बतलायीं। उस समय माननीय गेंदा सिंह जी, माननीय गयूर अली खां साहब, जो उसी तहसील के हैं, दोनों मौजूद थे। डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन भी मौजूद थे। तो उनसे दो तीन साहबान ने अपनी बातें बतलायीं। मैं उनकी तफसील में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि बातों से ही शुबहा ऐसा होता था कि जो शुरू में उनके इलजामात थे वह गलत थे। जिरह के दौरान में बहुत सी बातें जाहिर हुई जिनको उन्होंने पहले छिपाने की कोशिश की। बाद में यह बात तय हुई कि २९ तारीख को ११ बजे डायरेक्टर आफ कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स के दफ्तर में वह जायेंगे और उनसे बातें कर आयेंगे। जो बात न कर सकें वह दरख्वास्त दे दें और उनके मामलों पर, जहांतक कानूनन मुमकिन है, विचार किया जायगा। लेकिन कोई भी आदमी डायरेक्टर आफ कंसालिडेशन के दफ्तर में २९ तारीख को नहीं गया और उल्टे यह देखा गया कि उनके जो लीडर बने हुये हैं, जिन्होंने सन् १९५५ में ट्यूबवेल डिपार्टमेंट में एक सबार्डिनेट के तौर पर काम किया था---गालिबन वह ट्यूबवेल आपरेटर थे, उनके नाम से बोल्ड लेटर्स में और उसके नीचे स्माल लेटर्स में और किसान थे, एक नोटिस निकला और उनसे जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसको आब्जर्व नहीं किया गया और मामले ने एक ऐजीटेशन का रूप धारण किया, एक नोटिस निकाला गया, जिसमें अधिकतर अनर्गल बातें थीं। उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन एक ऐसी बात भी कही गयी जो हमारी बहनों की चेस्टिटी से वास्ता रखती है। मुझे उससे तकलीफ हुई। खैर, परसों सबेरे वही उनके लीडर साहब, रामचन्द्र आर्य और एक सज्जन मुझसे मिले और उन्होंने यह कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और हमको कोई तसल्ली नहीं हुई, अब आप क्या कहते हैं? मैंने यह कहा कि, मेरा कहना क्या है? आप लोगों ने खुद बात तय की थी, उस पर अमल नहीं किया, उल्टे एक नोटिस निकाला; दोनों ऐटीट्यूड तो साथ-साथ नहीं चल सकते कि इधर गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में रिट पेंडिंग हैं, जबरदस्ती भाले और बल्लम लेकर जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की है और सेक्योरिटी प्रोसीडिंग्स सब पर पेंडिंग हैं। तो वह ऐटीट्यूड भी चल रहा है और उधर जो बात आप कहते हैं उस पर जमे नहीं रहते, इसलिये मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने यह कहा कि नोटिस में इस तरह की बातें लिखी थीं, तो उसका जो उन्होंने जवाब दिया वह भी मुझ को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि जो आपके मन में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

आये, करो। उन्होंने खुद जो वचन दिये थे उनका पालन नहीं किया और जब नोटिस का मजमून भी प्वाइंट आउट किया तो उनकी बातों से ऐसा मालूम हुआ कि उनको कोई खेद नहीं है, बल्कि एक मुकाबला करने की बात और यह कि हम तो लड़कर ही कोई चीज लेंगे, यही जिक्र था और इस पर भी वे लोग वहां पड़े हुये हैं।

अब इसके बाद भी माननीय गयूरअली खां साहब, माननीय फ़तेह सिंह जी राणा, माननीय रामचन्द्र विकल और एक आध सज्जनों ने उनको समझाने की कोशिश की। कल इत्तफाक से हमारे जिलाधीश, कलेक्टर, यहां आ गये थे। वह एक दूसरे काम से मुझसे मिलने आये थे, लेकिन वह कल जब मुझसे मिलने आये तो उन्होंने मेरे मकान के सामने इन लोगों को लेटे हुये देखा। उन्होंने कल सबेरे काफी देर तक बातचीत की और कल शाम घंटों बातचीत की और कहा कि आप लोग अपने रिट्स वापस ले लें, क्योंकि जब रिट्स हो चुके हैं तो स्टे आर्डर हाईकोर्ट की तरफ से हैं, और उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी तरफ स्टे आर्डर्स हैं, उनको रोक नहीं सकते हैं। हमारे यहां के कलेक्टर (असिस्टेंट डायरेक्टर आफ कंसालिडेशन) या सैटिलमेंट आफिसर आफ कंसालिडेशन से यही बात तय हुई थी। यह रामचन्द्र आर्य भी यहां आये थे और मैंने उनसे कहा था कि पहले रिट एप्लीकेशंस वापस ले लो। इसके बाद आपके केसेज को हम देखेंगे। वह यह चाहते हैं कि उनसे वायदा कर लिया जाय कि जैसा वह चाहते हैं वैसा कर दिया जायगा। ऐसा करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं क्योंकि दूसरे किसान अफेक्टेड हैं। मुझे उनके केसेज मालूम नहीं हैं, मुझे ऐसे अधिकार नहीं हैं और न मैं यह कहने के लिये तैयार ही हूं। अगर वह अपनी रिट ऐप्लीकेशंस वापस ले लें और उनकी निगरानियां खारिज न हुई हों तो उनके केसेज देखे जायेंगे और जो जस्टिस का तकाजा होगा, न्याय का तकाजा होगा, वह उनके साथ किया जायगा। कलेक्टर ने इसी तरह की तीन-चार बातें कहीं और उनमें से बहुत से लोग तैयार भी हो गये और उन्होंने कहा कि हम लोग यहां नहीं रहेंगे। वहां जायेंगे और एप्लीकेशंस वापस करके यहां आयेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से सदन के सम्मानित सदस्यों को यह बतला देना चाहता हूं कि बहुत से सज्जन ऐसे हैं जिनकी प्रोसीडिंग्स तक पूरी नहीं हुई, केवल स्टेटमेंट आफ प्रपोजल्स तैयार हुआ और उनकी अपील पेंडिंग हैं। फिर भी हाईकोर्ट चले गये। यह भी नहीं कि उन्होंने सारी प्रोसीडिंग्स को एक्जस्ट कर लिया हो, इससे पहले ही हाई कोर्ट चले गये। ऐसी सूरत में जो स्टे आर्डर्स मौजूद हैं वह वैकेट हो और जितना अधिकार अफसरान को है, उसके मातहत ऐक्सर्साइज करने के लिये गवर्नमेंट वायदा कर सकती है। उनके केसेज को हम फिर देखेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। कल कलेक्टर आये थे उनसे मुझे मालूम हुआ और वह अभी मौजूद हैं, आधे के करीब लोग तैयार हैं, लेकिन कुछ लोगों के बरगलाने से वह लोग अभी तक मौजूद हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने जैसा कि बहुत मुख्तसर में जो कंसालिडेशन पर डिबेट हुई थी उसमें जवाब के दौरान में कहा था, थोड़ा सा फिर कह देना चाहता हूं। इसमें ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर होती नहीं हैं। एक वकील साहब खुद गांव में गये, मीटिंग की और उन्होंने कहा कि रिट ऐप्लीकेशंस फाइल करो। मुझे नहीं मालूम है कि यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है या नहीं? क्योंकि खुद वकील साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं? लेकिन वह एक नये वकील हैं और मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। एक साहब वहां ऐसे आ गये जो रिमूवल और डिसमिसल की बात करते हैं लेकिन वहां उनकी एक गज जमीन तक नहीं है। वह इस मामले में मौजूद हैं और उनके हाथ में लीडरशिप है। जैसी कि रिपोर्ट है उसको मैंने सुनाया था कि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली और उन्होंने यहां तक कहा कि डायरेक्टर की गरदन मरोड़ दो।

अधिष्ठाता महोदय, इन तीन फैक्टर्स की वजह से ३१५ आदमियों ने हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दी। बहुत थोड़ों की खारिज हुई, कुछ की मंजूर हुई, लेकिन शायद वह लीगल प्वाइंट्स पर हुई और ऐलीगेशन्स पर एक भी मंजूर नहीं हुई। सिर्फ कांस्टीट्यूशनली इस पर कुछ मंजूर हुई कि उनको मुआवजा नहीं दिया गया। २४१ रु० फी रिट पर खर्च हुआ। इस तरह से ८०,००० रुपये से किसान लोग लूटे जा चुके हैं केवल रिट ऐप्लीकेशंस के मेहनताने में। इसके अलावा स्टे आर्डर वगैरा में और खर्च हुआ होगा, वह तो अलग रहा। मैं समझता हूं कि १,००,००० रुपया उनकी जेब से निकल चुका है, यह केवल वकीलों तक ही नहीं गया है, शायद बीच में भी कुछ रुका है, जैसी मेरी इत्तिला है। मेरा मतलब यह है कि इधर वह केसेज पैंडिंग हैं हाईकोर्ट में, और स्टे आर्डर्स हाईकोर्ट के और शायद सुप्रीम कोर्ट के हैं, और सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स इन सब के खिलाफ चल रही हैं। ऐसी सूरत में इनका भूख हड़ताल करना तो मेरी समझ में कोई वाजिब काम किसी तरीके से भी नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, उस रोज मैं पूरी तरह से अपनी बात कह नहीं सका था लेकिन अगर ये पूरे वाकयात सब दोस्तों के सामने आते तो, मैं समझता हूं कि जो विरोधी दल के हमारे माननीय सदस्य हैं उनमें से किसी को भी उनके साथ हमदर्दी नहीं हो सकती। उनके जो चार लीडर्स पहले मेरे पास आये थे उनकी एप्लीकेशंस, नक्शा, शजरा, वगैरा सब मौजूद हैं, इसलिये हाई कोर्ट ने उनकी बात को माना नहीं, केवल कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट पर गवर्नमेंट के खिलाफ किया। फिर भी मैं यह मानने को तैयार हूं कि अगर उनको अच्छा चक मिल सकता हो तो मिल जाय, लेकिन उनके जो एलीगेशंस हैं, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ज्यादती, अनाचार, वगैरह के, वे किसी तरह से जस्टिफ़ाइड नहीं हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैंने बहुत ही शांति के साथ माननीय माल मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण किया, उसको सुना।

श्री अधिष्ठाता—एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि इसम कोई विवाद नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण—विवाद नहीं, अपनी जानकारी दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—आपकी जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई जानकारी हासिल करनी हो तो हासिल कर लीजिये।

श्री राजनारायण—वही श्रीमन्, जानकारी हासिल करने के हर आदमी के अलग-अलग तरीके होते हैं श्रीमन्, यह तो आपको मालूम होगा। मैं तो अपने ही तरीके से चलूंगा, किसी का तरीका उधार नहीं लूंगा, न छीनूंगा।

माननीय माल मंत्री जी ने अभी कहा कि ये लोग पहले अपने रिट वापस कर लें और उसके बाद फिर कोई बात हो तो की जाय। सरकार का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिये। वह सरकार कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी बात के लिये बाजिद होकर हठ करे। तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और जानना चाहता हूं माननीय माल मंत्री जी से कि क्यों न सरकार के और इन लोगों के, दोनों के वकील मिल कर हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन दें (जैसा कि सरकार ने एक मर्तबा मेरे केस में किया है। मैं सब स्टेजेज से गुजर चुका हूं तभी तो कहता हूं श्रीमन्।) कि चूंकि सरकार इन बातों की जानकारी करायेगी और उनको समुचित न्याय दिलाने की बात करेगी इसलिये इस आश्वासन पर आपस में मिल कर हम इस रिट को वापस ले रहे हैं। अगर इस तरह से रिट वापस ली जायगी तो, यदि आवश्यक हुआ तो, वे पुनः रिट दे सकते हैं। यदि वे स्वतः अपना रिट वापस ले लें तो आप जानते हैं कि उनको पुनः रिट देने में दिक्कत पड़ेगी। इस संबंध में मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा और जानना चाहूंगा कि सरकार क्यों ऐसा नहीं करती। न्याय-पक्ष हमेशा प्रबल होगा और न्याय सबको मिल सके यह सरकार की भी इच्छा होनी चाहिये।

[श्री राजनारायण]

दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि इसमें क्या हर्ज है यदि माननीय माल मंत्री जी अभी आश्वासन दे दें, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि उनको पूरी जानकारी तमाम केसेज की नहीं है, तो आज सरकार को अपनी ओर से यह आश्वासन देने में क्या हर्ज होता है कि ये अपनी सारी बातें रखें, उनकी समुचित इन्क्वायरी होगी और यदि किसी का दोष पाया जायगा तो उनको दंड दिया जायगा। न तो ऐसा आश्वासन देने में सरकार के किसी सम्मान पर कोई ठेस पहुंचेगी और न सरकार के सम्मान की कोई हानि होगी।

तीसरी बात यह है कि चाहे गलती किसी की हो, अभी उस प्रश्न पर मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो दो-तीन दिन सदन चलेगा, अगर किसी दिन मौका मिलेगा तो अपनी राय जाहिर करूंगा; मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर वे लोग भी इंसान हैं और इंसान जहां रहता है वहां उसके खाने पीने का इन्तजाम होना चाहिये। हमको यह मालूम है कि वे भूख हड़ताल पर हैं मगर पानी ग्रहण करने की बात उन्होंने हम लोगों की मान ली। हम लोग वहां गये थे और हमने उनको जलग्रहण करने पर बाध्य किया। वे तैयार भी हुए लेकिन क्या यह सरकार के लिये शोभनीय बात नहीं है कि उनके लिये पानी पीने की व्यवस्था की जाय। रात को फाटक बन्द कर दिया जाता है और उनको पानी तक पीने को नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि यह मानवता का अपमान है। मैं चाहता हूं कि तत्काल ही उनके पीने के लिये पानी की वहां पर व्यवस्था हो। अगर सरकार यह व्यवस्था भी नहीं करती तो यह सरकार के सम्मान का प्रश्न नहीं बल्कि मानवता के अपमान का प्रश्न है और मानवता के प्रश्न को लेकर किसी भी व्यक्ति को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मैं माननीय माल मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी, निवेदन करूंगा कि यह मामला किसी एक विभाग का नहीं है यह पूरी कैबिनेट का मामला है। कोई क्यों अपना घर छोड़ कर इस तरह से आवे, भूख हड़ताल करे और प्यासा रहे। अगर माननीय माल मंत्री जी उनसे मिल लेते तो कौन सा उनके सम्मान पर आघात पड़ जाता ?

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। चेयरमैन महोदय, मैं आपकी तवज्जेह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट अभी माल मंत्री जी ने दिया है मुझे मालूम नहीं है कि आपने उस पर बहस की इजाजत इस भवन में दी है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, मैंने बहस की इजाजत नहीं दी है। वे कोई जानकारी हासिल करना चाहते थे, उसकी मैंने इजाजत दी थी।

श्री सुल्तान आलम खां—तो अगर आपने बहस की इजाजत नहीं दी तो प्वाइंट आफ आर्डर पर जब कोई बात कही जाय तो उसके माने यह तो नहीं होते कि १०, १० और १५, १५ मिनट तक उस पर तकरीर की जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने रूल्स के रूल १९२ के मुताबिक आप किसी तरह से यह कीजिये कि भवन के अन्दर इसके मातहत बहस कम हो ताकि जो कीमती वक्त इस हाउस का है वह उसी पर ज्यादा सर्फ हो जिस पर वक्त दिया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—(श्री राजनारायण के पुनः खड़े होने पर) श्री राजनारायण, मैं अब आपको इजाजत नहीं दे सकता।

श्री राजनारायण—मैं एक प्रिविलेज के प्रश्न की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—कहिये।

विधान भवन के सिंह द्वार के बन्द रहने के कारण सदस्यों के बाहर न जा सकने पर श्री राजनारायण की आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, आपने उस दिन एक आश्वासन दिया था।

श्री अधिष्ठाता---क्या, किस बात का आश्वासन दिया था ?

श्री राजनारायन---जिस समय चकबन्दी की नीति से असंतुष्ट हो कर किसान यहां पर आये थे उस समय मैं और दीपंकर जी फाटक पर गये। हमने कहा कि इस फाटक को खोला जाय। वहां पर कहा गया कि सरकारी हुक्म है कि यह फाटक चाहे कोई जाय, नहीं खोला जायगा। हमने यह बात यहां कही तो आपने सदन में यह आश्वासन दिया था कि इस पर मैं जानकारी कराऊंगा और सदन को उससे अवगत कराऊंगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अब इस स्थिति में हैं कि सदन को उस जानकारी से अवगत करावें।

श्री अधिष्ठाता---मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी महोदय से पूछा कि बात क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मेरी आज्ञा नहीं है कि मेम्बरों के आने-जाने के लिये फाटक बन्द रहे। उसके बाद वह स्वयं वहां गये और आकर उन्होंने बताया कि फाटक बिलकुल खुला हुआ है और किसी मेम्बर के लिये रुकावट नहीं है।

*प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

न्याय मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करता हूं कि प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, यह जो विधेयक मैं पेश कर रहा हूं इसमें सिर्फ एक धारा है और वह यह है कि प्राविंशियल स्माल काजेज कोर्टस् ऐक्ट, १८८७ की धारा २५ की जगह पर यह धारा लिख दी जाय:---

"The District Judge, for the purpose of satisfying himself that a decree or order made in any case decided by a Court of Small Causes was according to Law, may call for the case and pass such order with respect there to as he thinks fit."

श्री अधिष्ठाता---जरा हिन्दी में तर्जुमा भी कर दें।

श्री सैयद अली जहीर---इसमें तर्जुमे का सवाल इसलिये नहीं उठता कि असली कानून अंग्रेजी में है।

श्री अधिष्ठाता---हमारे बहुत से सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते। ज्यादा अच्छा होता कि आप उसका हिन्दी में तर्जुमा कर देते।

श्री सैयद अली जहीर---इसमें और कोई बात नहीं है। सिर्फ यह है कि इस वक्त तक जो दफा २५ है प्राविन्शियल स्माल काज कोर्टस् ऐक्ट की उसमें यह काम दिया गया है हाईकोर्ट का कि अगर किसी मुकदमें में, जो कि खफीफा में फैसल हुआ है, यह मालूम

*२७ अप्रैल, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री सैयद अली जहीर]

होता है कि किसी किस्म की कानूनी गलती है, तो उसके लिए हाईकोर्ट को अधिकार है कि वह उस मुकदमे की मिसल और उसके कागजात को अपने यहां तलब करे और देखे और देखने के बाद जो मुनासिब समझे वह हुक्म उसके ऊपर पास कर दे। यह मौजूदा कानून था।

सरकार ने यह महसूस किया कि इसकी वजह से हाई कोर्ट का बहुत ज्यादा वक्त इस तरह के कामों में सर्फ हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि हाईकोर्ट में काम बहुत पिछड़ा हुआ है और जिस तरह जल्दी से हम वहां काम चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। इस लिये मुनासिब समझा गया कि डिस्ट्रिक्ट जज, जो काफी सीनियर हैं और जिनको काफी तजुर्बा है, उनको इसका अख्तियार दे देना चाहिये कि यह मामले बजाय हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जजेज के पास जायं और कोई निगरानी का मुकदमा अगर उन के यहां दाखिल हो तो जिस तरह से हाईकोर्ट को अधिकार था उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जज उस मुकदमें को देख ले कि कोई कानूनी गलती इसमें है या नहीं, और अगर है तो उसे वह ठीक कर दें और न हो तो निगरानी को खारिज कर दे। बिल्कुल वही अल्फाज जो हाईकोर्ट के लिये लिखे गये थे उन्हीं अल्फाज को डिस्ट्रिक्ट जज के लिये लिखते हुए यह दफा २५ उसी जगह पर शामिल की जा रही है। हाई कोर्ट जिस तरह से उस अधिकार का इस्तेमाल करता था उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जज भी उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे और इसके होने से निगरानियां उनके सामने पेश हुआ करेंगी।

मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर किसी को इख्तलाफ हो। यह तो महज जुरिस्डिक्शन का सवाल है। इस सिलसिले में हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट जजेज को दिया जा रहा है और गालिबन हर मेम्बर साहब को इस बात से इत्तफाक होगा कि हम को ऐसा कदम उठाना चाहिये कि हाई कोर्ट में जो काम की भरमार है वह कम हो और वह अपने काम को जल्दी से जल्दी कर सके। मैं इन चन्द अल्फाज के साथ यह उम्मीद करता हूं कि यह तरमीम इस कानून में मंजूर की जायगी।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं पहले तो नियम ९६ के अधीन आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह दरख्वास्त करूंगा कि यह विधेयक जिस आधार पर लाया गया है उस से संबंधित सारे कागजात यहां पर वह मुहैया करें। इसको अगर आप देखें तो यह बात स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में स्पष्ट है। उनका यह कहना है कि सन् १९४९ में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमेटी जस्टिस ए० स० आर० दास की अध्यक्षता में नियुक्त की थी और उसकी बिना पर यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस इंक्वायरी रिपोर्ट की बिना पर वह इस विधेयक को यहां लाये हैं वह आपके पुस्तकालय में भी नहीं है। मैं चाहता था कि इस रिपोर्ट को देखूं और अध्ययन करूं, जिस के अनुसार यह कदम सरकार ने उठाया है। लेकिन मुझे दुख है कि आपकी लाइब्रेरी में भी वह रिपोर्ट मौजूद नहीं है और सरकार उसी रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक लाई है। तो उनका कम से कम यह फर्ज है कि जो रेलीवेंट पेपर्स हैं उनको वह हमारी मेज पर रख दें। मैं नियम ९६ के अधीन वह रिलीवेन्ट पोर्शन भी हमारे सामने होना चाहिये था। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट आपकी लाइब्रेरी में भी मौजूद नहीं है, हमारी यह कठिनाई है। आप से भी मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कठिनाई की ओर आपका ध्यान हो ताकि इस प्रकार की कठिनाई आगे न हो।

मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है इसके सिद्धान्तों के सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती हैं कि हाईकोर्ट का काम हलका करना चाहिये और जिला जजों की पावर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़नी चाहिये । लेकिन साथ ही साथ मेरा निवेदन यह भी है कि हमको यह भी देखना चाहिये कि सरकार इस दिशा में कितना कदम उठा चुकी है । हम लोग अन्धेरे में हैं । उस रिपोर्ट के आधार पर एक लेजिस्लेशन हमारे सामने लाया जाता है, यह ठीक है, लाना चाहिये, लेकिन साथ ही साथ हम बिलकुल अन्धेरे में रह जाते हैं यह जानने से कि सरकार ने उस रिपोर्ट के आधार पर कोई कदम उठाया है या नहीं । इसके सम्बन्ध में बहुत से अमेंन्डमेंट आये हैं जिन पर आगे चल कर विवाद कर सकते हैं । इस समय उन तमाम बातों पर विवाद करने का अवसर नहीं है, लेकिन मुझे यह अफसोस है और मेरा उनसे निवेदन है कि यह कठि- नाई आयन्दा नहीं होनी चाहिये जब कि सदन में इस प्रकार का विधेयक किसी रिपोर्ट के आधार पर लाया जाय । कम से कम इतना तो होना ही चाहिये कि हमको लायब्रेरी में वह रिपोर्ट देखने को मिल जाय ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मेरा यह प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि जिस प्रश्न को माननीय अवधेश प्रताप जी ने उठाया है उस सम्बन्ध में मेरा भी यह निवेदन है कि जब तक वह समिति की रिपोर्ट सदन के सामने न आ जाय तब तक के लिये इस विधेयक पर यह विवाद स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---यह तो नियम ९६ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जायगा तो उसके बाद में रेलीवेन्ट पेपर होंगे वे रक्खे जायंगे ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन विधेयक माननीय मन्त्री जी ने इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है वह देखने में एक छोटा सा और निर्दोष संशोधन विधेयक है, लेकिन मेरी सम्मति में यह देर से उठा हुआ महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने के लिये सही कदम है । किसी राज्य की प्रगति का एक मात्र माप दंड उसमें न्याय की सुलभ व्यवस्था भी होती है । वही स्टेट, वैलफेयर स्टेट सही मायने में कही जाती है जहां पर न्याय की अच्छी व्यवस्था हो । न्याय की अच्छी व्यवस्था का यही ढंग होता है कि वहां के प्रत्येक नागरिक को सस्ता न्याय और जल्दी न्याय मिले । यही एक मुख्य अंग अच्छी न्याय व्यवस्था का हुआ करता है । जब हम इसको इस कसौटी पर कसते हैं तो हम इस नतीजे पर आते हैं कि दशा सन्तोषजनक स्थिति से बहुत दूर है ।

आज हमारे प्रान्त में जो नीचे की कोर्ट हैं उनमें एक लाख से ज्यादा पुराने मुकदमें एरियर्स में हैं । हाईकोर्ट की दशा भी इस दिशा में शोचनीय है । १२ साल से अधिक की दायर की हुई बहुत सारी अपीलें और मुकदमे अभी वहां पेंडिंग हैं । सन् १९५०-५१ में जो अपीलें दायर की गयी आता थीं उनमें अधिकांश का अभी तक तारीख लगने का समय नहीं आया है । श्रीमन्, देखने में यह है कि एक व्यक्ति एक मुकदमा जो दायर करता है वह इस आशा से दायर करता है कि उसको न्याय मिलेगा और उसके अधिकारों की सुरक्षा होगी, लेकिन उसके जीवन काल में उसका निर्णय नहीं हो पाता है । तो ऐसी दशा बड़ी शोचनीय है । इस स्थिति को सुलझाने के लिये यह कदम उठाया गया है जिसका जिक्र ऐम्स ऐन्ड आब्जेक्ट्स में है । मैंने अभी कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने के लिये देर से उठाया गया कदम है । तो मैं देर से उठाये गये कदम के लिये चार्ज इसलिये लगाता हूं कि जैसा ऐम्स एन्ड आब्जेक्ट्स में दिया हुआ है कि सन् ४९ में यह कमेटी दास साहब की अध्यक्षता में बनायी गयी थी, आज १९५७ में हम उसके केवल एक ही अंग को पारित करने के लिये सदन में ला रहे हैं । हमें इस समस्या को तेजी और मजबूती के साथ सुलझाना पड़ेगा । कहा जाता है कि रुपये की कमी के कारण हम जजों और मुंसिफों की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं । लेकिन वह फाल्स इकोनामी होगी अगर हम एक मकान को एक मजदूर से १० महीने में बनवायें बजाय इसके कि १० मजदूरों से उसे १ महीने में बनवा लें । प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करते हुये मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इस ओर अधिक ध्यान दें । श्रीमन्, और देशों में भी एरियर्स को दूर करने के लिये साधन निकाले गये हैं । अभी कुछ दिन हुये मैंने पढ़ा था कि यूनाइटेड स्टेट्स में जब ऐसी समस्या आई तो उन्होंने अधिनियम के द्वारा अदालतों

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

को यह अधिकार दिया कि एक संख्या से कम रुपये से संबंध रखने वाले वादों को आर्बीट्रेशन में दे दें। आर्बीट्रेशन का नियम उन्होंने यह रखा है कि एक पैनल वकीलों का होगा और वाद के प्रस्तुत होने के २० दिन के अन्दर ३ वकीलों का आर्बीट्रेशन बना कर उसे वाद दे देंगे। इसका लाभ यह हुआ कि जहां पहले ३,४ साल में मुकद्दमें तय हुआ करते थे वहां अब ६ महीने मेंही मुकदमें तय होने लगे हैं। हमारे यहां इस भयंकर समस्या पर अगर पूरी तरह से जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे प्रदेश में बढ़ा हुआ असन्तोष दूर नहीं होगा।

जहां तक मूल विधेयक में प्रस्तुत संशोधन का संबंध है यह बहुत ही सही संशोधन है और इसका परिणाम यह होगा कि छोटे मुवक्किलों को हाई कोर्ट जाने के बजाय अपने जिले में ही न्याय प्राप्त हो सकेगा। इससे जनता का रुपया और समय बचेगा। लेकिन इसके पास होने से १ या २ खतरे भी पैदा हो सकते हैं। इसलिये इसके शब्दों में कहीं कहीं अन्तर होना आवश्यक है। आज कोई व्यक्ति बिलकुल बाध्य होकर ही हाईकोर्ट में रिवीजन के लिये जाता है। इस विधेयक के पास होने के बाद यह प्रवृत्ति होगी कि प्रायः सारे ही मुकद्दमों में, जिनमें कोई व्यक्ति समझता है कि लाभ कर निर्णय नहीं हुआ, तो वह रिवीजन के लिये जायगा और रिवीजन की संख्या बढ़ जायगी। इससे हाई कोर्ट से भी ज्यादा एरियर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्टस् में हो सकते हैं। आज भी डिस्ट्रिक्ट जजों के पास बहुत बड़ी संख्या में पुराने मुकद्दमें पड़े हुये हैं। उन्हें दीवानी के कार्य के लिये तो समय ही नहीं मिलता है। फिर जब स्माल काज कोर्ट के इतने ज्यादा मुकद्दमें रिवीजन के रूप में आवेंगे तो कैसे समस्या सुलझेगी? इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम कोई समय निर्धारित कर दें कि इसके अन्दर ही केवल रिवीजन दाखिल किये जा सकेंगे। आज हाई कोर्ट में जब रिवीजन दाखिल किया जायगा तो उसके लिये कोई समय नियत नहीं है। उसका परिणाम यह होता है कि वहां जज को यह अख्तियार होता है कि रीजनेबिल टाइम में कोई भी रिवीजन वह स्वीकार कर सकता है। रीजनेबिल टाइम की अवधि सिद्धान्ततः ३ महीने मानी गयी है। हाई कोर्ट में अपील करने की अवधि ३ महीने होती है, इसलिये हाई कोर्ट में रीजनेबिल टाइम ३ महीने माना जाता है। लोअर कोर्टस में अपील की अवधि १ महीना होती है इसलिये यह कहा जा सकता है कि उन्हीं रूल्स के आधार पर बिना ऐसा प्राविजन किये हुए ही वहां जब ऐसी परम्परा पड़ जायगी जब कि एक महीने के बाद का समय अनरीजनेबिल माना जायगा। आज हम सदन में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं तब यह कहीं अच्छा होगा कि इस विधेयक में हम उसको निश्चित कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वकीलों का काम तो बनेगा लेकिन जिन लोगों को इतने ज्यादा मुकदमें तय करने पड़ेंगे उनके पास एक काम यह भी होगा कि रीजनेबिल समय में यह दायर हुआ है या नहीं इसको देखें। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय जिससे एरियर्स न बढ़ने पायें और ऐसा न हो कि विधेयक की जो मंशा है वह ही समाप्त हो जाय।

दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ा सा अंकुश भी हम डिस्ट्रिक्ट जजेज के डिस्क्रिशन पर लगा दें तो अच्छा होगा। मौजूदा हालत में धारा २५ में डिस्ट्रिक्ट जजेज के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उन पार्टीज को वे सूचना दें, जिनके खिलाफ वह फैसला करें। यह निरंकुशता को बढ़ाने की बात होगी। इसलिये एक प्राविजन आप ऐसा जरूर कर दें जिससे डिस्ट्रिक्ट जजेज के लिये यह अनिवार्य हो जाय कि वे पार्टीज को इत्तला देकर ही कोई निर्णय दें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उन बातों की ओर फिर दिलाऊंगा जिनकी ओर मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है और उनसे प्रार्थना करूंगा कि उनका समावेश वे विधेयक में अवश्य कर लें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमन् रूल ९६ को देखें।

श्री अधिष्ठाता--मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में आप पहले भी प्वाइंट आफ आर्डर उठा चुके हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--नियम ९६ के साथ मैं आपका ध्यान नियम १३६ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसके अनुसार मुझे यह निवेदन करना है कि इस पर वादविवाद टाल दिया जाय क्योंकि इसके बारे में न हमारे पास कोई रिपोर्ट है और न लाइब्रेरी में ही कोई रिपोर्ट है। नियम ९६ के अन्तर्गत आपसे एक शिकायत की गयी अब मैं आपसे नियम १३६ के तहत में अनुरोध करता हूं कि इस पर वादविवाद टाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--आपने जो नियम १३६ का हवाला दिया है, उससे मैं आपका मंशा समझा नहीं क्योंकि नियम १३६ इस प्रकार है:--

"136—On the day on which such motion is made or any subsequent day to which the discussion is postponed the principles of the Bill and its general provisions may be discussed but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles."

इसमें तो पोस्पोन करने के बारे में कोई पावर दी हुई नहीं है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--इसलिये मैंने हवाला दिया कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में है कि यदि आप चाहें तो वाद विवाद इस पर रोक सकते हैं। अब मैं आप का ध्यान रूल ९६ की ओर दिलाना चाहता हूं और उसमें अगर आप देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जायगा कि यह प्राविजन जो है, मेंडेटरी है। आप की इजाजत से, मेरे पास अंग्रेजी कापी है, मैं उसे देता हूं--

"96(1) After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House."

तो श्रीमन्, इसमें मैं आप का ध्यान शब्द "may" की तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि शब्द "may" में भी शब्द "shall" का फोर्स रहता है और बहुत जगह कानून में शब्द "may" शब्द "shall" के माने रखता है। इसलिये यहां शब्द "may" को गलत न माना जाय और यह न समझा जाय कि यह डिस्क्रिशनरी है। इसलिये सरकार शब्द "may" को भी सामने रखे और रूल १३६ के अनुसार वह इस पर वाद विवाद को टाल सकती है।

श्री अधिष्ठाता--मैंने नियम ९६ को ध्यान से पढ़ा है और मैं नियम १३६ को भी पढ़ रहा था कि उसका मंशा क्या है। उसका इतना ही मंशा है कि जिस दिन यह विचार करने के लिये प्रस्ताव आवेगा उस दिन केवल बिल के सिद्धान्तों के ऊपर बहस होगी और माननीय मंत्री जी उसके डिटेल में नहीं जायंगे। मुझे अधिकार तो है, लेकिन माननीय सदस्य कोई ऐसा नियम बतला दें जिसमें यह लिखा हो, जैसा कि आपने रेलिवेंट पेपर्स के लिये कहा, कि वह रिपोर्ट न तो लाइब्रेरी में ही मिली और न माननीय मंत्री जी ने ही उसको टेबिल पर रखा, तो ऐसा कहीं आप लिखा हुआ दिखला दें तो मैं काम स्थगित करने के लिये तैयार हूं। मगर इसके विरुद्ध मैं आपको बतला सकता हूं कि लेजिस्लेटिव की नियमावली में १५४ नियम है जिसमें यह स्पष्ट दिया हुआ है कि अगर वह रेलिवेंट पेपर्स न आवें या आने में देर हो तो काम स्थगित नहीं होगा। इस वास्ते मैं काम तो स्थगित नहीं करूंगा, लेकिन माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि उस रिपोर्ट को मंगा कर वे मेज पर रखें। और जैसे ही प्रस्तुत प्रस्ताव हो जायगा वे उस रिपोर्ट को पेश करेंगे।

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन में जो बिल पेश है उस पर अपना विचार प्रकट करना चाहता हूं। "जस्टिस डिलेट इज जस्टिस डिनाइड" जहां हम इंसाफ में देर करते हैं वहां इसके माने यह हैं कि इंसाफ नहीं हो सकता है। "डिले डिफीट्स दि इक्विटी" जहां किसी इंसाफ में ताखीर होती है वहां इन्साफ नहीं हो पाता है। आज हमारे सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट के ३८,००० से ज्यादा ऐसे मुकदमें हैं जो एरियर्स में हैं। उनमें से कुछ रिट्स के भी हैं, कुछ निगरानी के भी हैं, कुछ अपील के भी हैं। कुछ मुकदमें ऐसे हैं जो १२, १५ साल से चल रहे हैं। अब आप समझ लें कि बहुत से वकील और काउंसेल, जिनके जरिये मुकदमें दायर होते हैं, जब आर्गुमेंट का वक्त आता है तो उस वक्त उनमें से कोई नहीं मिल पाते और बहुत सी पार्टीज भी ऐसी होती हैं कि उनका केस जब अदालत के सामने आता है तो उनमें से कई नहीं रह पाते हैं। तो इतनी हैवी फाइल होने के बावजूद भी बहुत से मुकदमें ऐसे हैं जिनके फैसले की नौबत नहीं आ पाती।

यह जो अमेंडमेंट इस हाउस के सामने रखा गया है उसका मैं खैरमकदम करता हूं और मैं इस अमेंडमेंट को बहुत मुनासिब व माकूल समझता हूं। अगर यह अमेंडमेंट पहले ही आ जाता और सिविल रूल्स में भी इसका जिक्र होता तो ज्यादा बेहतर होता। इससे तीन फायदे हैं। एक तो यह कि सब से ज्यादा मुकदमें १०, १५ साल पहले खर्फाफा अदालतों में हुआ करते थे और हजारों मुकदमों में ऐसा होता था कि जब तक वकील लोग अदालत में पहुंचें तब तक उसका फैसला हो जाया करता था। इस वास्ते उन मुकदमों की निगरानी होती थी। तो जहां तक निगरानी की बात है मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इसके लिये कोई टाइम लिमिट कर दी जाय। मान लीजिये कि एक महीने की टाइम लिमिट रख दी गयी तो उसमें बहुत से लोगों को इन्साफ नहीं मिल पायेगा। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में जाने की वजह से लोगों का रुपया बहुत सर्फ होता था। तीसरी बात यह कि काम ज्यादा होने की वजह से ये मुकदमें बहुत दिनों तक पड़े रहते थे। इस वजह से इस संशोधन के आने से कुछ सहूलियत पैदा हो जायगी। अब तक किसान लोग बहुत परेशान हो जाते थे और बहुत से किसान निगरानी के होने के बावजूद अपनी मुफलिसी की वजह से हाईकोर्ट नहीं पहुंच सकते थे और न वहां के वकीलों की फीस ही दे सकते थे, इस वजह से बहुत सी निगरानियां जो हाई कोर्ट में जाती थीं वह ठीक से नहीं सुनी जा सकती थीं और जो जाती थीं उनका फैसला भी ठीक से नहीं हो पाता था। इस तरह से बहुत बड़ी दिक्कत थी और वक्त से सस्ता न्याय नहीं मिल पाता था और जो होता था वह बहुत मंहगा था। इस तरह से जो प्राविजन माननीय न्याय मंत्री जी ने किया है वह बहुत अच्छा है, हालांकि यह चीज बहुत देर में आई। यह चीज बहुत जरूरी है, जहां हमने जुरिस्डिक्शन को हाई कोर्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ में दिया, अच्छा है, बड़ी आसानी से डिस्पोजल हो जायगा लेकिन साथ ही इस की भी संभावना है कि उन पार्टीज की निगरानियों का फैसला न हो सकेगा क्योंकि यह निगरानियां वाकयात पर नहीं बल्कि कानूनी प्वाइंट्स पर होती हैं। तो ऐसी हालत में उन को इतना मौका मिलना चाहिये कि वह जिस चीज पर निगरानी कराना चाहते हैं उस के लिये काफी समय मिले और सुनने के बाद मौका दिया जाय तो उससे कुछ संजीदगी पैदा होगी।

जैसा कि मैंने कहा अब भी ३८,००० केसेज हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं और १२ साल तक के मामले पड़े हैं जिनके फैसले की बहुत दिक्कत है। हमारी तीन दिक्कतें हैं एक तो समय बहुत ज्यादा लगता है उस की सेविंग होगी, ज्यादा खर्च जो होता है, वह न होगा और तीसरी बात यह है कि कि ज्यादा केसेज एरियर्स में नहीं रहेंगे। केसेज यहीं नहीं कि हाईकोर्ट में ज्यादा हैं बल्कि केसेज जजेज के यहां भी बहुत हैं और मुन्सिफी में भी हैं, बरेली में एडीशनल मुन्सिफ के कोर्ट का अबालिशन किया गया है बहुत से केसेज फैसले के लिये पड़े हुये हैं, हम चाहते हैं कि मुकदमात जल्द फैसल हों और जल्द लोगों को न्याय मिले। अगर मुकदमात के लिये कोई वक्त की पाबन्दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगाई जाती है तो उससे भी बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये यह जो तरमीम है वह बहुत बेहतर है। सिर्फ इसमें डिसक्रिशनरी कुछ न रहे, बल्कि पार्टीज़ की बात सुनी जाय, उनको मौक़ा मिले और दलील हों ताकि हमारे सामने जो दिक्कतें हैं वह रफा हो जायं। डिस्ट्रिक्ट जजी में भी मामले पड़े रहते हैं और फैसले नहीं हो पाते। यह सब चीजें हल हो जायंगी। इसके अलावा हमें इस पर भी जोर देना चाहिये कि कोई भी ऐसे मुकदमें न रहें कि जिनकी निगरानी मुअइयना वक्त की वजह से न हो पाये, निगरानी का अनलिमिटेड पीरियड रहना चाहिये ताकि तमाम ग्रीवान्सेज़ की तलाफी हो सके। इतना कह कर मैं इस तरमीमी बिल की ताईद करता हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---अधिष्ठाता महोदय, जो प्राविन्शियल स्माल काज़ कोर्ट्स का संशोधन विधेयक इस सदन के सामने पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हमारे जो कानून मंत्री जी हैं वह कानून के मामलों में काफी अनुभवी हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि काफी देर में यह संशोधन हमारे सामने आया है। जिस समय सिविल लाज संशोधन विधेयक सन् ५३ में हमारे सामने आया था, हम समझते थे कि उस समय यह संशोधन भी हमारे सामने आयेगा। लेकिन सन् ५३ के बाद अब सन् ५७ में काफी देर के बाद यह पेश किया गया है, इसका मुझे दुःख है। इन चार-पांच सालों में, जैसा कि श्री शिवराज बहादुर जी ने कहा कि, सैकड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं और बेचारे किसानों को बाहर हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। उनके मुकदमें की सुनवाई वहां नहीं होती है तो काफी नुक्सान उन किसानों को उठाना पड़ा। श्रीमन्, जो मेरे दोस्त ने अभी कहा कि डिस्ट्रिक्ट जजेज़ के ऊपर एक अंकुश रख दिया जाय इसका मैं विरोध करता हूं। क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि "जुडीशियरी इज़ दि गार्डियन आफ कांस्टीट्यूशन"। किसी भी न्यायधीश के ऊपर अंकुश रखना उचित सा प्रतीत नहीं होता। माननीय शिवराज बहादुर जी ने जो संशोधन पेश किया है वह यह है कि दोनों पार्टियों को सुनने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट जज तब उसमें फैसला दें ताकि सही तरीके से न्याय हो सके।

*श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)---श्रीमन्, जहां तक इस बिल के फवायद का ताल्लुक है वह आप के सामने वजाहत के साथ बयान किये जा चुके हैं और मैं दोबारा उनको दोहराकर सदन का वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं। मगर इस सिलसिले में कुछ बातें जो अमली दुश्वारियां अदालतों में पेश होंगी उस तरफ मैं अपने मंत्री जी की तवज्जेह जरूर दिलाना चाहता हूं।

जैसा कि हमारे दोस्त ने इससे पहले फरमाया कि इसकी वजह से निगरानियां ज्यादा दायर होंगीं। हमें और आप को यह मालूम है कि जहां तक डिस्ट्रिक्ट जजेज़ के औकात का ताल्लुक है उनका ज्यादा वक्त सेशन के केसेज में लगा रहता है। आम तौर पर तरीका सेशन की इजलास का यह होता है कि दोशम्बा से जुमेरात तक क्रिमिनल केसेज़ करते हैं, सेशंस केसेज करते हैं, जुमेरात को क्रिमिनल अपील्स सुनने के लिये रखते हैं। और बकिया मिसलेनियस डेज को दीवानी की तरफ तवज्जह करते हैं। कुछ सिविल केसेज ऐसे होते हैं, मसलन गार्डियनशिप, इन्साल्वेंसी वगैरह के केसेज, जो बिलकुल डिस्ट्रिक्ट जज के इक्स्क्लूसिव जुरिस्डिक्शन में हैं। इसी सिलसिले में अभी यह भी हो गया है जिसकी वजह से पांच हजार से ज्यादा की डिग्रियां जो बजाय सिविल जज के हाईकोर्ट में जाती थीं उनकी अपीलें बजाय इसके कि हाई कोर्ट में हों, डिस्ट्रिक्ट जज के इजलास में होने लगी हैं। इस तरीके से स्माल काज के मुकदमें उनकी इजलास पर होते रहेंगे। तो इस सिलसिले में कोई ऐसे आर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से हाईकोर्ट के जरिये डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिये जायं जो इस तरफ तवज्जह करें और इस बात की कोशिश करें कि जो जेज दीवानी के मुकदमों के लिये मुकर्रर हों उन पर फौजदारी के मुकदमें न किये जायं। आम-तौर पर सूरत यह होती है कि चूंकि क्रिमिनल केसेज में मुलजिम जेल में रहता है इसलिये उस तरफ उनकी तवज्जह ज्यादा रहती है। इस वजह से दीवानी के मुकदमों को पसेपुश्त डाल देते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

दूसरी बात, जैसा कि अभी एक साहब ने फरमाया वह यह है कि इस बिल में ताखीर हो गयी है। अगर हम सिविल लाज (अमेंडमेंट) ऐक्ट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्माल काज कोर्ट्स की तरफ मंत्री जी की तवज्जेह पहले से है। लिमिटेशन ऐक्ट, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में हम यह देखते हैं कि एक शेड्यूल में स्माल काज में भी अमेंडमेंट किया गया है। तो बेहतर होता कि उसी वक्त यह अमेंडमेंट भी पेश कर दिया जाता। लेकिन जैसा कि हमारे यहां की मसल है कि अगर कल का भूला आज भी वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते, इसलिये १९५३ के बजाय अगर १९५७ में भी तवज्जेह की तो यकीनी हम कोई ऐतराज नहीं कर सकते।

जो नोटिस के सिलसिले में कहा गया उसके बारे में सिर्फ यह अर्ज करूंगा कि इस वक्त भी यह तरीका है कि जब कोई भी निगरानी दायर होती है तो जो फरीक दायर करता है उसके वकील को ऐडमिशन के लिए डिस्ट्रिक्ट जज मौका देते हैं और अगर प्राइमाफेसी में कुछ फोर्स है तो अपोजिट पार्टी को नोटिस जारी कर देते हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट जजेज के ऊपर ऐतमाद रखना चाहिये कि वह किसी के खिलाफ आर्डर तब तक नहीं पास करते हैं जब तक कि सुन नहीं लेते हैं। ऐडमिशन के वक्त आमतौर पर वकील को मौका मिलता है कि वह वजाहत करे। और जिस वक्त वह देखते हैं कि निगरानी की बिलकुल कोई गुंजायश नहीं है और रिजेक्ट हो सकती है तो जरूर कर देते हैं। लेकिन प्राइमाफेसी केस में अगर कोई चीज मिलती है तो ऐडमिट कर लेते हैं।

इन अल्फाज के साथ मैं इसकी ताईद करता हूं और आखिर में अपने न्याय मंत्री की तवज्जह दिलाऊंगा कि अगर आप ने इस सिलसिले में इसकी तरफ तवज्जह न की, निगरानियों का फ़ैसला जल्द न हो सका, तो इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। बल्कि नतीजा यह होगा कि जिनकी डिग्री होगी उनका ऐग्जीक्यूशन रुक जायगा।

हमारी खुशकिस्मती है कि न्याय का महकमा एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो हमारे सूबे के बहुत अच्छे वकील रह चुके हैं और उम्मीद है कि हाई कोर्ट के जरिये हिदायत जरूर जारी करा देंगे कि मुकदमात के फैसले जल्द हो सकें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, स्माल काज कोर्ट्स के सम्बन्ध में जो बहुत से व्याख्यान हुए, मुझे विशेष एतराज नहीं है। लेकिन मैं विशेष तौर से स्माल काज कोर्ट्स के अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यह सुधार जो सोचना गया है यह समुद्र में बूंद के समान है। वास्तविकता तो यह है कि अदालत खफीफ़ा में किसानों को को एक भगदड़ सी दिखाई देती है और न्याय मुश्किल से मिलता है। वकील साहब को बुला कर लाये नहीं कि उससे पहले ही फैसला हो चुका और उसकी अपील करने की गुंजायश जो हाई कोर्ट में थी वह न के बराबर थी। अब जो सुधार सोचा गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां हो सकेगी उसमें भी मुझे शक है। सभी कोर्ट्स में आज कल काम की अधिकता है। उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि न्याय हमेशा देर से ही होता रहा है और होगा। सुधार तो तब हो सकता है जब मौलिक सुधार किये जायं। स्माल काज कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जजेज कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमों की कमी, आने वाले १० सालों में भी नहीं होगी, यह ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि यह देखा जाय कि न्याय सुलभ और सरल दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है। स्माल काज कोर्ट्स में प्रति दिन उनकी फाइलों में ६०, ६०, १००, १०० मुकदमें लगे रहते हैं और प्रत्येक मुकदमें को ५ मिनट से ज्यादा नहीं देख पाते और इतनी जल्दी फैसला करते हैं कि कभी कोई पार्टी पूरी बात नहीं कह पाती जिसकी वजह से निगरानी कराना जरूरी हो जाता है। और वैसे भी अदालतें इतनी ओवर वर्क्ड रहती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस मुकदमेंबाजी को ही का किया जाय। यह जो पीसमील लेजिस्लेशन आया करता है यह ठीक नहीं है। और दूसरे हमारे सामने ऐस० आर० दास की रिपोर्ट भी होनी चाहिये थी।

मैं एक सजेशन आपके सामने रखता हूं इस मुकदमेंबाजी के बोझ को कम करने के लिये शायद कुछ लोग उससे परेशान भी होंगे वह यह है कि अगर पंचायतों के अधिकार को बढ़ा दें तो ठीक होगा। कारण यह है कि आदालतें तो ओवर वर्क्ड रहती हैं, समय कम होता है जिसकी वजह से संतोषप्रदन्याय नहीं हो पाता। हम यह काम उन स्थानों में अधिक संतोषप्रद रूप से कर सकते हैं जहां टाइम हो। यह अभी मानी हुई बात है कि अभी पंचायतों को १०० रुपया तक मुकदमें करने का अधिकार है, स्माल काज कोर्ट्स में ५०० रु० तक। लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि अदालतें बहुत ही ओवर वर्क्ड हैं और इसका सुधार तब तक नहीं हो पायेगा जब तक कि निगरानी को दूर करने के लिये हाई कोर्ट के अधिकारों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जज को अधिकार दें। जो शिकायत हमें हाई कोर्ट के सम्बन्ध में है वही डिस्ट्रिक्ट जजेज कोर्ट के बारे में भी है। इसलिये मेरी राय है कि रिवीजन के अधिकार दोनों अदालतों को कानकरेंट रूप में दे दिये जायं तो अच्छा होगा और साथ ही साथ पंचायतों के अधिकारों को भी बढ़ाकर के इस काम का बटवारा अच्छी तरह से किया जाय। मेरा विश्वास है कि यह संशोधन जो रखा गया है, यद्यपि बहुत देर से आया है इसके बहुत पहले इसको आना चाहिये था और एस० आर० दास की रिपोर्ट भी हमारे सामने होनी चाहिए थी, जिससे कि हम और संशोधन सदन के सामने ला सकते और उन पर विचार कर सकते। लेकिन ऐसा न होते हुए भी आज जो कुछ भी हमारे सामने है उस के आधार पर कहना चाहता हूं कि यह संशोधन है तो अच्छा लेकिन यह पीसमील है, समुद्र में एक बूंद के समान है। इसम अतिरिक्त और भी अनेक सुधारों की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)---माननीय अधिष्ठाता, जो विधेयक इस सदन के सामने रखा गया है वह बहुत ही सीधासादा और बड़ा उपयोगी है। विरोधी दल की तरफ से कुछ इस तरह का सुझाव रखा गया है कि जो संबंधित कागजात हैं वह रखे नहीं गये हैं। इस वजह से इसके ऊपर विचार न किया जाय। मेरे ख्याल से श्रीमान् जी की रूलिंग भी हो चुकी है और मैं दफा ९६ के जो शब्द हैं वह आप के सामने रखना चाहता हूं ---

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed, any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House."

तो मोशन पास हो जाने के बाद अगर कोई सम्बन्धित कागजात हों और उनकी जरूरत समझी जाय तो अख्तियार होगा कि वह कागजात मांग लिये जायं। तो मेरी समझ में यह जो विरोधी दल की तरफ से, सुझाव रखा गया है वह इस स्टेज पर बिलकुल बेकार है।

दूसरी चीज जो मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि यह जो बिल है वह तो एक बहुत ही साधारण सी चीज है। बजाय हाई कोर्ट के उस काम को अब डिस्ट्रिक्ट जज करें और इस विधेयक में कोई चीज और ऐसी नहीं रखी गयी है जिससे जो पावर्स हाई कोर्ट को थीं उनमें से कोई पावर डिस्ट्रिक्ट जज के लिए कम कर दी गई है या बढ़ा दी गई है। तो मैं समझता हूं कि जैसा कि विधेयक रखा गया है उसके पास होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दो चीजें जो रखी गई हैं सदन के सामने वह यह हैं कि पार्टीज को नोटिस दिया जाय और उसके बाद ही उसको सुना जाय। मैं यह समझता हूं कि ऐसी चीज न तो हाई कोर्ट के सामने होती थी और न ही अब जो है उस में उसकी जरूरत है। अगर जज जरूरत समझे तो वह बुला ले वर्ना तो अपीलमें और रिवीजन में कोई बहुत फर्क खास तौर से नहीं रहा है। इसके मानी यह हैं कि हाई कोर्ट में जो रिवीजन अब तक होते रहे हैं उस में वह अगर यह जरूरत समझ रहे हैं कि पार्टीज को बुलाना जरूरी है तो वह नोटिस दे दिया करते थे नहीं तो समरिली रिजेक्ट कर दिया करते थे। इसी तरीके से अब डिस्ट्रिक्ट जज अगर जरूरत समझेगा तो बुला लेगा और नहीं तो नहीं बुलायेगा और वैसे ही रिजेक्ट कर देगा। जो अख्तियार कि हाई कोर्ट को थे वही अख्तियार डिस्ट्रिक्ट जज को होंगे। इसलिए इसमें कोई घटाव बढ़ाव की जरूरत नहीं है।

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

एक चीज यह है कि जैसे हाई कोर्ट पहले यह समझता था कि ९० दिन के अन्दर रिवीजन अगर फाइल किया जाय तो वह विदिन लिमिटेशन समझा जाता था और अगर ९० दिन के बाद पेश होता था तो प्रायः वह रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो अगर जरूरत समझी जाय तो ३० दिन यहां रख दिया जाय कि ३० दिन के अन्दर अगर वह फाइल हो जाय तो विदिन लिमिटेशन समझा जाय क्योंकि यह करीब करीब वहीं पर उसी जिले में उसका डेसीशन होगा जहां पर कि यह केस हुआ है या दूसरे निकटवर्ती जिले में होगा जहां पर कि वह कोर्ट होगी। तो वहां पर अगर ३० दिन के अन्दर वह पेटीशन रिवीजन की पेश हो जाय तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन और कोई पावर्स घटाने या बढ़ाने की बात नहीं है क्योंकि इस पर जितनी पहले की रूलिंग्ज हैं वही डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश होंगी और वही इसके सम्बन्ध में लागू होंगी। तो यह जो विधेयक है कोई ऐसी न तो इसके अन्दर कठिनाई है, नसमझने की इसमें जरूरत है, न कागजात को देने की जरूरत है। चीज बड़ी सीधी है। जस्टिस डिलेड इस "जस्टिस डिनाइड" का जो सिद्धांत था उस सिद्धान्त के हिसाब से उसको दूर करने के लिये जो पावर्स हाई कोर्ट की थीं वे अब डिस्ट्रिक्ट्स को दी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि इसमें न किसी तरमीम की जरूरत है, न कुछ बढ़ाने की जरूरत है और न कुछ घटाने की जरूरत है। जो पावर्स हाई कोर्ट को पहले थीं उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज अब इसके मातहत करेगा और उसी तरह से मुकद्दमे तै करेगा।

श्री पद्माकरलाल श्री वास्तव (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्राविन्शियल स्माल काज कोर्टस् (अमेंडमेंट) बिल, १९५७ आज माननीय सदन के सामने विचारार्थ है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी बात का विरोध खाली विरोध करने के लिये नहीं होना चाहिये। कोई अच्छा काम हो तो कोई वजह नहीं है कि उसका विरोध किया जाय। कुछ माननीय सदस्यों ने यह अलबत्ता कहा कि यह विधेयक बहुत देर में आया। बाहर हाल एक अच्छी चीज है। वह देर में भी आई तो ठीक है।

श्रीमन्, यह तो मालूम ही है कि हर इंसान गलतियां कर सकता है और यह भी मानना पड़ेगा, कि अदालतों से भी गलतियां होती हैं। चाहे वह सिविल कोर्टस् हों या दूसरे कोर्टस् हों, उनसे गलती होना स्वाभाविक है। उन गलतियों को दूर करने का केवल एक ही तरीका पब्लिक के सामने या मुकदमेबाज लोगों के सामने रहता है कि वे निगरानी में जाते हैं या अपील में जाते हैं। खफीफ के मुकदमात के सम्बन्ध में जो प्राविजन स्माल काज कोर्टस् ऐक्ट में था वह यह था कि उनके फैसले की निगरानी हाई कोर्ट में होगी। इससे बहुत दिक्कतें लिटिगेंट पब्लिक के सामने दरपेश आती थीं। पैसे के अभाव के कारण लोग हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। जिसका नतीजा होता था कि चाहे जो कुछ भी उल्टा सीधा फैसला अदालत मातहत दे दे वह उनके लिये बाइंडिंग होता था। वे उसके शिकार होते थे और इंसाफ नहीं पा सकते थे। इस तरमीम से इतना फायदा है कि लिटिगेंट पब्लिक निगरानी करके जो गलतियां हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में ही ठीक करा सकेंगी। इससे उसको काफी सहूलियत न्याय प्राप्त करने में हो गयी।

एक कमी जो इस विधेयक में है, वह मैं श्रीमन्, के द्वारा माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट जज महोदय जब कोई फाइल निगरानी के सम्बन्ध में सम्मन करें तो उनके लिये जरूरी होना चाहिये कि हर पार्टी को नोटिस जारी करें और पार्टीज को सुनने के बाद ही फैसला दें। यह ज्यादा मुनासिब और बेहतर होगा।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर अब वादविवाद बन्द किया जाय क्योंकि इसे सवा बजे तक ही खत्म हो जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां तक हो वे कम समय लें क्योंकि सवा बजे इस बिल को खत्म होना है।

श्री सैयदअली जहीर—मैं तो बहुत कम बोलता हूं और जहां तक हो सकेगा उससे भी कम बोलूंगा। लेकिन जो बहस इस वक्त सदन में हुई है, इस पर जो जो तरमीमें आने वाली थीं गालिबन उस पर भी जो बहस थी वह भी इसी सिलसिले में हो गई और मेरा खयाल है कि वह बहस खत्म हो जायगी उसका जबाव देने के बाद। फिर शायद वे तरमीमें भी न आयें और सवा बजे तक यह बिल खत्म भी हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—तरमीमें तो जरूर आवेंगी।

श्री सैयद अली जहीर—बहरहाल उस पर बहस नहीं होगी, आगे की दूसरी बात है। पहला सवाल जो उठाया गया वह दफा ९६ का था। हमारे असेम्बली रूल्स की धारा ९६ जो है.....

श्री अधिष्ठाता—उस पर बाद में आइयेगा।

श्री सैयद अली जहीर—मैं पहले ही जबाव दे दूं। यह जबाब अर्ज करना कि जो रिपोर्ट थी, जैसा हमारे प्रिऐम्बिल में लिखा हुआ है, यह कमेटी बनायी थी केन्द्रीय सरकार ने। सन् ४९ में यह कमेटी बनी थी और सन् ५० में उसकी रिपोर्ट आई और जब उसकी रिपोर्ट आयी, तो उन्होंने उसकी एक कापी सरकार के लिए भेज दी और हमारी उसके ऊपर राय मांगी गयी। उसमें, जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, सिर्फ एक दफा है जिसका ताल्लुक इस विधेयक से है। वह दफा यह है कि—

".In cases arising out of the small cause Courts the jurisdiction of the High Court under section 25 of the Provincial Small Cause Courts Act can be safely transferred to the district judges. Subject to this, the Committee thinks that the right of application for Revision to the High Court under section 15 of the Act should not be disturbed."

इतनी बात इसमें कानून के मुताल्लिक लिखी हुई है, जैसा आप देखेंगे कि असल में एक जुमला है। वह यह है कि उनकी राय यह है कि जो अधिकार हाई कोर्ट को दफा २५ में मिले हुए हैं वह डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिये जायं और यह रिपोर्ट उन्होंने हमारे पास भेजी है। बरहरहाल इस सरकार ने एक दूसरी कमेटी—वांचू कमेटी—बना रखी थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन् ५१ में पेश की और उस रिपोर्ट में उन्होंने खाली हाई कोर्ट के मुताल्लिक नहीं, बल्कि दीवानी के कुल जितने और कानून हैं, उन सबको देख करके बहुत मुकम्मिल रिपोर्ट दी और यह कहा कि क्या क्या तरमीमें उसमें होनी चाहिये जिसकी वजह से कि हमारे यहां जो दीवानी का प्रोसीजर है उसमें कुछ सहूलियतें हो जायं और मुकदमों में इतनी देर न लगे। हमारी गवर्नमेंट ने उस पर गौर किया और बहुत सी रिकमेंडेशंस वांचू कमेटी कीजो हमने मुनासिब समझीं उनको इस हाउस में पेश किया और वह कानून बन चुकीं।

माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि जहां तक सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीज्जोर का ताल्लुक है, दोनों गवर्नमेंट्स को, यानी केन्द्रीय सरकार को और प्रदेशीय सरकार को, दोनों को अधिकार बराबर का है, कांकरेंट लिस्ट में दोनों मौजूद हैं। जाहिर है कि जो कमेटी अलग उनकी बनी हुई थी दास साहब की, जो केन्द्रीय सरकार ने बनायी, हम इस इन्तजार में थे कि वह पहले कार्यवाही करती और कोई वजह नहीं थी कि वह कार्यवाही नहीं करते। लेकिन जब हमने देखा कि वह कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और यह भी देखा कि यह ऐसी तजवीज है जिसके ऊपर अगर अमल किया जायगा तो काफी हद तक हाई कोर्ट का काम कम हो जायगा तो हमने उसको हाउस के सामने पेश किया, यह समझ कर कि हमारे यहां मुकदमों के फैसलों में जो देर हो रही है वह कम हो जायगी।

[श्री सैयद अली जहीर]

यह आप समझ सकते हैं कि इसमें जो हवाला हमने दिया उस रिपोर्ट का, वह तो महज इसलिए दिया कि उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया था। बहरहाल जब उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की तब इसकी जरूरत हुई कि इस बिल को आपके सामने पेश करें। तो यह कोई उस रिपोर्ट के ऊपर मबनी नहीं है, बल्कि यह तो एक अलग से, जैसी कि उनकी एक तजवीज थी कि वह कार्यवाही करेंगे, जब वह नहीं की तो हमने यह पेश किया और उसका हवाला दे दिया जिसके लिए कि उस रिपोर्ट में एक जुमला है, जो मैंने आपके सामने पढ़ दिया और पेश कर दिया। इस लिए कोई वजह नहीं रह जाती है कि वह रिपोर्ट पेश न की जाय तो कानून पास नहीं कर सकते या इस कानून के पास होने में बाधा है और जब तक उसका पूरा हवाला मालूम न हो, उसके ऊपर सही तौर से कार्यवाही नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात आपके सामने नहीं है। वह तो एक सीधा-सादा कानून है और एक खास मामले के मुताल्लिक है, जिसके मुताल्लिक उनके यहां की जो कमेटी थी उसने एक तजवीज पेश कर दी थी। और यह एतराज कि दफा ९६ के मातहत उस वक्त तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती या नहीं करनी चाहिये, इसमें कोई ज्यादा फोर्स नहीं है और इसको आपको मंजूर नहीं करना चाहिये।

अब जहां तक इस कानून का ताल्लुक है, उसमें दो एतराजात किये गये हैं। पहला तो यह है कि इसमें कोई मियाद मुअय्यन होनी चाहिये कि जिसके अन्दर तजवीज पेश की जाय और कोई निगरानी पेश की जाय। मैं यह अर्ज करूंगा कि आप अगर इस दफा को देखेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि दफा जिस तरह से बनी हुई है, उसमें किसी मियाद की गुंजायश है ही नहीं। वह तो यह है कि:—

".The District Judge, for the purpose of Satisfying himself that a decree or order made in any case decided by a Court of Small Causes was according to Law, may call for the case and pass such order with respect thereto as he thinks fit."

जूरिस्डिक्शन इसमें जज का है कि जब जज अपने को सैटिसफाई करना चाहे और सोचे कि किसी मुकद्दमे का फैसला कानून के खिलाफ हुआ है या नहीं, इसको देखना हो तो वह उसके पेपर्स खुद काल कर सकता है। इसके लिये मियाद रखने के लिये आप नहीं कह सकते हैं कि वह तीन महीने के अन्दर ही मंगाकर देख सकते हैं। अगर एक दिन भी ज्यादा गुजर गया तो नहीं देख सकते हैं। असल में यह कानून जो बना हुआ है वह ऐसा ही है जैसे दफा ११५ है या जैसे दफा २५ थी जिसमें हाई कोर्ट को पावर्स थीं और हाई कोर्ट को पावर है कि जब वह चाहे मंगा कर देख ले कि इसमें इंसाफ हुआ है या नहीं। यह जरूर है कि अमल जो होता है वह यह होता है कि एक फरीक दरख्वास्त देता है तब अदालत गौर करती है कि आया मुकदमा खिलाफ कानून फैसल हुआ है या नहीं। यह सब बातें देखते हैं। इसके लिए एक कन्वेंशन के जरिये, एक रिवाज के जरिये, एक मियाद मुकर्रर हो जाती है। जैसे कि हाई कोर्ट में तीन महीने की हो गई है और वह जनरल प्रिंसिपल के ऊपर होती है। कोई अपने राइट के ऊपर सो नहीं सकता है। अगर कोई आदमी अपने हकूकों के बचाने के लिये उजलत नहीं करता और बिला वजह वक्त सर्फ कर देता है तो फिर उसकी दरख्वास्त ऐन्टरटेन नहीं हो सकती है। यह एस्टेबलिश्ड प्रिंसिपल इक्वैटी का है। अगर कोई आदमी सो जाता है और १५—२० साल बाद कहे कि मेरे साथ बेइंसाफी हुई थी और अदालत में पहुंचे तो उसकी दरख्वास्त जो एक मुद्दत के बाद आती है तो ऐन्टरटेन नहीं की जाती है और खारिज कर दी जाती है कि तुमने देर कर दी। लेकिन ऐसे केसेज हो सकते हैं कि अदालत को मालूम हो कि अन्याय हुआ बावजूद देर हो जाने के, जो दरख्वास्त कर रहा है, वह हक उसे मिलना चाहिये तो अदालत

का डिसक्रीशन फैटर नहीं किया जा सकता है, उसके अधिकार को छीना नहीं जा सकता है, मुद्दत मुअयन करके। चुनांचे हमने समझा कि जैसे पहले रिवाज बन गया था उसी तरह से होना चाहिये, कोई मियाद नहीं होनी चाहिये, उनको जनरल डिसक्रीशन होना चाहिये। जब कोई देर में जायगा तो यह भी दरख्वास्त खारिज करने की वजह से हो जायगी। अगर कोई बेइंसाफी होगी या गलतफहमी की वजह से फैसला कर दिया है तो उसको अख्तियार होगा कि बावजूद देर हो जाने के, मदाखलत कर सके।

दूसरी दलील यह पेश की गई है और इसमें यह कहा गया है कि ऐसा अख्तियार होना चाहिये कि दोनों फरीकों को सुनने के बाद फैसला करना चाहिये। मैं अर्ज करूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है। इसमें तो सिर्फ यह होता है कि जो दरख्वास्त देने वाला होता है, या तो वह या उसका वकील अदालत में जाता है और दरख्वास्त पेश करता है और यह बतलाता है कि आया उसकी निगरानी काबिले कबूल है या नहीं हाई कोर्ट में यह होता है, जो प्रैक्टिस करते हैं वह जानते होंगे कि जब कोई दरख्वास्त देता है तो वह यह देखते हैं कि इसमें कोई कानूनी प्वाइंट है या नहीं और अदालत में पूछने पर वह बतलाता है। अगर कानूनी प्वाइन्ट नहीं होता है तो अदालत कहती है कि यह तो वाके आती है और उसको खारिज कर देती है। इससे मालूम होता है कि दफा २५ कोई खराब नहीं है। वकील जो कहता है उसमें जज दूसरे फरीक के खिलाफ फैसला नहीं करता है, इसलिये उसको नोटिस नहीं देता इसमें भी हमारा खयाल है कि जब कोई दरख्वास्त देगा तो उसको अदालत को इत्मीनान दिलाना पड़ेगा कि दफा २५ के जो हदूद हैं उसके मातहत यह दरख्वास्त आती है या नहीं या उस हदूद के वह बाहर है तो उसकी दरख्वास्त उसी जगह पर खारिज कर दी जायगी फिर दूसरे फरीक को नोटिस देने की जरूरत नहीं है चूंकि उसके मुताल्लिक जो कुछ फैसला वह तो उसे मालूम ही है। लेकिन इसके बावजूद अगर उसके दिमाग में आये कि कोई कानूनी खामी है और वह उस पर गौर करना चाहे तो जाहिर है कि वह नोटिस देगा फिर दोनों फरीक को सुनेगा। यह तो बाद की कार्यवाही होगी। लेकिन ये अल्फाज इसमें लिख देना कि फरीक को बुला कर सुने या एक फरीक को जरूर सने इसके कोई माने नहीं होते हैं क्योंकि एक फरीक को तो जरूर सुना जायगा। बगैर सुने तो खारिज ही नहीं हो सकती। वह कहीं छिप कर तो दरख्वास्त दे नहीं आयेगा जो दो तीन महीने बाद वह खारिज की जाय। तो चीज तो बहुत खुली हुई है कि जो प्रोसीजर हाई कोर्ट में लागू है उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज के यहां मुन्तकिल कर रहे हैं। हमारा सूबा इतना बड़ा है कि आप जानते हैं कि अगर एक आदमी गाजीपुर में रहता है और स्माल काज कोर्ट से उसका कोई सौ दो सौ रूपये का मुकदमा है वह खारिज हो जाता है। अब अगर वह समझता है कि वह गलत खारिज हो गया तो इलाहाबाद दौड़ कर आये और तब जाकर कहीं अपील फाइल करें। अगर डिस्ट्रिक्ट जज को आप अख्तियार दे देंगे तो उसको एक बड़ी अदालत में इस बात का मौका मिलेगा कि अगर उसके साथ बेइन्साफी हुई है तो उस पर गौर किया जा सके।

इन सब बातों को देखते हुये मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह से यह बिल आपके सामने पेश किया गया है इसको इसी तरह से सदन मन्जूर फरमाये। जहां तक तरमीमों का ताल्लुक है वह तो जब दो, चार, दस बरस तक इस पर अमल दरामद हो चुके और कोई दिक्कत महसूस हो तब इस बात का वक्त होगा कि ये दिक्कतें मवक्किलान को महसूस हो रही हैं और उसके ऊपर अगर कोई तजवीज आप पेश करेंगे तो हमेशा गवर्नमेंट उस पर गौर करने के लिये तैयार रहेगी। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि जिस सूरत में यह बिल पेश किया गया है उसको उसी रूप में मन्जूर किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्राविन्शियल स्माल काज कोर्टस् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, पर जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

ऐक्ट संख्या ९, १८८७ की धारा २५ का संशोधन।

२—प्राविन्शियल स्माल काज कोर्टस् ऐक्ट, १८८७ की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

Revision of decrees and orders of Courts of small causes.

"25. The District Judge, for the purpose of satisfying himself that a decree or order made in any case decided by a Court of Small Causes was according to Law, may call for the case and pass such order with respect thereto as he thinks fit."

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—श्रीमन् अधिष्ठाता महोदय, मेरे संशोधन नम्बर १ और ७ साथ साथ आते हैं लिहाजा मैं आज्ञा चाहूंगा कि मैं दोनों को पेश कर सकूं।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है, दोनों पेश कर दीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—मेरा संशोधन यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २५ का क्रमांक २५ (अ) कर दिया जाय और एक नयी धारा २५ (ब) इस प्रकार जोड़ दी जाय:—

"२५ (ब)—उन सब मामलों में जो निगरानी के रूप में हाई कोर्ट में प्रस्तुत हैं जिला जज को यह (निगरानी सुनने का) अधिकार दिया जाता है। और हाई कोर्ट उन सब निगरानियों को उन जिला जजों के न्यायालयों में स्थानान्तर कर दे जिन्हें उन निगरानियों का इस धारा के अन्तर्गत सुनने का अधिकार हो।"

श्री मान्, यहां पर हर एक की राय यही है कि मुकदमों में फैसला देर से होता है। मंत्री महोदय ने भी अपनी स्पीच में यही कहा था कि चूंकि इन्साफ को जल्दी करने की जरूरत है लिहाजा यह संशोधन लाया जा रहा है। यह सबको अच्छी तरह से मालूम है कि हाई कोर्ट में बहुत सी निगरानियां पड़ी हुई हैं जो ५-५, ७-७ साल से पड़ी हुई हैं और बहुत सी निगरानियां तो शायद जिस मतलब से दायर की गयी हों उनका वह मतलब भी खत्म हो गया हो। इसलिये जो निगरानियां इस वक्त हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं उनको भी अगर डिस्ट्रिक्ट जजेज के यहां ट्रांसफर कर दिया जाय तो हाई कोर्ट का काम भी कम हो जायगा और जो भी ५, ७, १० हजार निगरानियां होंगी वे ५२ जिलों में बंट जायंगी जिससे उनका फैसला भी जल्दी हो सकेगा और लोगों को भी सहूलियत होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह निहायत इन्नोसेन्ट अमेंडमेंट है और गवर्नमेंट इसको स्वीकार करेगी।

श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, मेरे खयाल में यह पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा कि जो निगरानियां दफा २५ की इस वक्त हाई कोर्ट में हैं वह भी वापस कर दी जायं।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। क्या यह इस सदन का जूरिस्डिक्शन होगा कि वह हाई कोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा सके कि वह निगरानियों को वापस कर दे।

श्री अधिष्ठाता—इसमें जूरिस्डिक्शन का सवाल नहीं है। इस प्रकार का संशोधन यहां आ सकता है।

श्री सैयद अली जहीर—मैं यह निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि इस वक्त जो निगरानियां हाई कोर्ट में हैं वह तो वैसे ही अपनी जगह पर रहेंगी बल्कि वह भी निगरानियां जो कि इस दौरान में आयेंगी यानी आज तो बहस हो रही है, यह कानून जब बनेगा, जिस तारीख से लागू होगा, इस दौरान में भी हाईकोर्ट का जूरिस्डिक्शन कायम रहेगा? बहरहाल, जब यह कानून नाफिज हो जायगा, तारीख का एलान कर दिया जायगा उसके बाद यह निगरानियां डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जाया करेंगी।

जहां तक जूरिस्डिक्शन का ताल्लुक है, हाईकोर्ट को जितना नूरिस्डिक्शन है वह तो यही हाउस उसको कन्फर करता है। थोड़ा जमाना हुआ हमने यह फैसला किया था कि ५ हजार की जो अपीलें हैं वह बजाय हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज के यहां हुआ करें और वह डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होने लगीं। इसी तरह के कानून बराबर हम बनाते हैं और उसमे हम तै करते हैं कि हाई कोर्ट का जूरिस्डिक्शन किस सब्जेक्ट पर कितना रहेगा। लेजिस्लेचर की पावर इस मामले में सुप्रीम है। फैसला कैसे हो, क्या हो इसका जूरिस्डिक्शन हाईकोर्ट को है इसमें हम दखल नहीं दे सकते। हमने जो कानून बना दिया है उसको इंटरप्रेट करना और उसके मतलब निकालना यह हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का जूरिस्डिक्शन है और इसमें लेजिस्लेचर दखल नही दे सकता। लेकिन क्या कानून होगा यह नूरिस्डिक्शन लेजिलेचर का है, वह रहेगा।

बहरहाल, मैं अर्ज करूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है और इसको अभी छोड़ देना चाहिये जब से कानून नाफिज होगा और तारीख का एलान हो जायगा तो जो निगरानियां उसके बाद में होंगी वह बजाय हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जाया करेंगी।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल--श्रीमन्, मैं न्याय मंत्री जी के इस भाषण के बाद समझता हूं कि इन दोनों संशोधनों को वापस ले लूं, और मैं उनको वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार की खंड २ में प्रस्तावित धारा २५ की पंक्ति ३ में शब्द "may" और शब्द "call" के बीच में शब्द "within 30 days from the date of such decree or order" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह मूल अधिनियम सन् १८८७ का है और अच्छा होता कि ७० वर्षों के तजुरबे से फायदा उठाया जाता। अभी माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया उससे कुछ ऐसा आभास होता था कि यह संशोधन कुछ ऐसी बात को मांगता है जो कुछ अनुचित सी है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा समय की सीमा को देखते हुए कि इसी सदन में जब हमने एन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट पास किया था और उसमें इसी तरह की एक धारा रखी थी जिसके रिवीजन के लिये प्रोवाइड किया था उस वक्त भी ठीक यही शब्द हमने रखे थे। इसके अतिरिक्त रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट जो हमने पास किया था उसमें भी जहां पर हमने रिवीजन की बात रखी है उसमें भी ऐसी ही परिभाषा दी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यदि जज स्वयं रेकर्ड को काल करता है तो फिर उसके ऊपर अंकुश लगाना कहां तक उचित होगा। पहली बात तो बहुत आदर के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि कृपा करके यह देखा गया होता कि हाई कोर्ट में इस बड़े काल में जितने मुकदमे रिवीजन के लिये दायर हुए उनमें कितने ऐसे थे कि जिनमें हाई कोर्ट के जजेज ने अपने अधिकार पर उनको मंगवा कर उनके फैसलों में परिवर्तन किया, तब शायद यह पता चलता कि एक प्रतिशत भी ऐसे मुकदमे नहीं हैं। ९९ प्रतिशत मुकदमे वही होते हैं जिनमें पार्टीज प्रार्थना करती हैं और उनकी प्रार्थना के आधार पर मिसलें मंगवाई जाती हैं। लेकिन इस बात को छोड़ते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जजेज के लिये भी यह अधिकार रहे तो इसमें हानि कैसे हो सकती है? क्योंकि जो दो पार्टीज होती हैं अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो सब से ज्यादा उनका कर्तव्य होता है कि वह डिस्ट्रिक्ट जज का ध्यान समय के अन्दर आकर्षित कर दें। अगर वह समझते हैं कि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ तो फिर हमें क्यों चिन्ता हो? इसलिये मैं समझता हूं कि ३० दिन का समय रखना उचित होगा। मेरा विचार है कि यदि माननीय न्याय मंत्री जी अभी इस संशोधन को स्वीकार करना उचित नहीं समझते हैं तो श्रीमन्, कुछ समय बाद इस तरह का संशोधन स्वीकार करना आवश्यक होगा। लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना है कि यदि वह विचार करें, यह समझें कि ऐसे मुकदमों के बारें में कुछ

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

निश्चितता होनी आवश्यक है तो टाइम लिमिट होना आवश्यक होगा। हाईकोर्ट में तीन महीने की अवधि होती है यह मंत्री जी ने फरमाया। ठीक है, लेकिन वह तो एक परम्परा है। उनको देखना पड़ता है कि अगर देर हुई है तो वह रीजनेबिल है या नहीं। इन तमाम बातों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह उसको उचित समझें तो स्वीकार कर लें।

श्री शिवराजबहादुर—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन की तफसील में जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त ने जो अमेंडमेंट रखा है कि ३० दिन के अन्दर निगरानी होनी चाहिये, उससे मैं सहमत नहीं हूं। ३० दिन की मियाद रखने के मायने यह हैं कि हम उनके पैरों में बेड़ी डाल देना चाहते हैं। मान लीजिये कि एक आदमी पर नालिश हुई, डिग्री हो गई वह उसी को ले कर परेशान है, अब उसी थोड़े वक्त के अन्दर वह निगरानी के लिये अर्जी दे, तो यह सब वह कहां से कर पायेगा। यह उनके अधिकारों को महदूद करना होगा। यहाँ पर जो दफा २५ हाईकोर्ट के लिये थी, उसी तरह से वही डिस्ट्रिक्ट जज के लिये रखी गयी है। यहां पर उनके अधिकारों को बढ़ाने या घटाने का सवाल नहीं है। सिर्फ इसलिये कि हाईकोर्ट में ज्यादा पैसा लगता था, ज्यादा देर लगती थी और इंसाफ ठीक से नहीं हो पाता था इसलिये ये अख्तियारात डिस्ट्रिक्ट जजेज को मुन्तकिल कर दिये गये हैं। इसका मंशा इतना ही है और इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। मैं तो अर्ज करता हूं कि रिवीजन के लिये कोई मियाद न हो। यह तीन महीने का जो रिवाज हो गया है, वह तो सिर्फ रिवाज ही है। वैसे निगरानी तो किसी वक्त भी हो सकती है। हाई कोर्ट के जज किसी भी फाइल को, जिसमें कोई कानूनी गलती रह गई है किसी वक्त भी तलब कर सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। तीस दिन की मियाद ला कर हम मजलूमों को और परेशान करेंगे और इसके कोई माने नहीं हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये। जिस सूरत में २५ धारा रखी गयी है उसी सूरत में उसको रहना चाहिये वरना ऐसे बहुत से गरीब किसान रह जायेंगे जो अपनी निगरानी नहीं कर सकेंगे और जो नजरसानी कराने के हक से महरूम रह जायेंगे। इसलिये न तो मजलूम किसान के लिये भला होगा और न कोर्ट के लिये यह चीज फायदेमन्द होगी क्योंकि उसकी पावर को महदूद कर दिया जायगा। इसलिये यह तरमीम उचित नहीं मालूम होती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा अग्रवाल जी की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर यह तरमीम "within 30 days from the date of such decree or order" यहां पर रख दी गयी तो उसका असर उन दोनों पर यानी "call for the case" पर और 'pass such orders with respect thereto as he thinks fit' पर आयेगा। इसके रखने से "विदिन ३० डेज" की बात ही गवर्न नहीं होगी बल्कि "सच डिक्री आर आर्डर्स" भी गवर्न होंगे। इसका नतीजा यह होगा कि अदालत के ऊपर भी यह बंदिश लग जायगी। उसको अगर ३० दिन से एक दिन भी ज्यादा लग जायगा और एक दिन भी गुजर जायगा तो चाहे अदालत ने कागजात को भी तलब कर लिया हो वह परिवर्तन नहीं कर सकेगी। निगरानी पर मुद्दत ९० दिन की रखी गयी है तो यहां भी कम से कम इतनी ही मुद्दत जरूर होनी चाहिये। यह दूसरी बात है कि अदालत को यह मालूम न हो कि कोई कानूनी गलती है मगर पारटीज की बातचीत से अगर कोर्ट को मालूम हो जाय कि कोई कानूनी गलती है तो अदालत को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसको कभी भी दुरुस्त कर दे और वह गलती न रहने दे। इसको वाकई देखा जाय तो पार्टीज का इतना राइट नहीं है जितना कि अदालत का राइट है। वह अपनी अदालत की गलती को स्वयं दुरुस्त कर सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह दो बातें हैं। अदालत के ऊपर बेजा बंदिश आती है और यह ३० दिन की मियाद कम है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार रखने से यह रिवीजन ही बिलकुल बेकार हो जायगा।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, जो अभी संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है इसके मुताल्लिक बहुत से एतराजात तो इस सदन के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, वह सही हैं। एक एतराज इसके मुताल्लिक और भी है। जो ३० दिन की मियाद रखी जा रही है उसके लिहाज से अगर यह मान लिया गया कि फरीकैन जो हैं वही जो निगरानी दायर करेंगे उसके मुताबिक यह चीज ज्यादा से ज्यादा हो सकती थी लेकिन अगर कोई निगरानी दायर हुई और फर्ज कीजिये कि डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ३० दिन के अन्दर न आसके। वह ३० दिन की छुट्टी पर है या बीमार है तो इसका नतीजा यह होगा कि वह निगरानी जो दायर हुई थी किसी तरह से कामयाब नहीं हो सकती। उसकी फाइल किसी तरह से काल नहीं हो सकती। जैसे ही २० दिन बीत जायेंगे जज साहब के बीमार या छुट्टी पर होने की वजह से तो वह निगरानी नहीं देख सकेगा। ऐसी हालत में जो यह ३० दिन का प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है यह बहुत अनुचित होगा। जैसा कि और भाइयों ने कहा कि ३० दिन की मियाद रखने का मतलब यह होगा कि बहुत से बेचारे गरीब किसान जो निगरानी दायर करना चाहते हैं वह दायर नहीं कर सकेंगे और वह अपने हक से वंचित रह जायेंगे और यह उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनुचित है और यह वापस लिया जाय तो अच्छा है।

श्री सैयद अली जहीर---मैं कोई बहुत लम्बी तकरीर नहीं करना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत वजाहत के साथ इसकी दिक्कतों को बयान कर दिया है जिनकी वजह से यह तरमीम मुनासिब नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो अलफाज इस दफा में रखे गये हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट जज को अख्तियार दिया गया है:--

"For the purpose of satisfying himself that a decree or order made in any case decided by a Court."

तो इस वजह से इसमें किसी मियाद का रखना किसी तरह से मुनासिब नहीं है। जिन ऐक्ट्स का हवाला दिया गया है, जैसे इनकम्बर्ड ऐसटेट्स ऐक्ट, मुझे नहीं मालूम कि उनमें क्या अलफाज थे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---मेरे संशोधन के बारे में जो बातें कही गयी हैं मैं फिर समय की कमी को देखते हुए केवल यह निवेदन करूंगा कि मैं तो यह समझता था कि मेरे संशोधन में काफी वजन है। माननीय मंत्री जी की आशंका सही होती तो वह दिक्कत पैदा कर सकती थी। फिर भी वह एक और संशोधन से दूर हो सकती थी। उसका उपचार एक साधारण से संशोधन से हो सकता था। समय की कमी के कारण हम अपनी सारी बातें नहीं रख सकते। आगे अनुभव प्राप्त होने पर कदाचित ऐसे संशोधन की आवश्यकता महसूस हो। इसलिये अब मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २५ की अंतिम पंक्ति में शब्द "case" और शब्द "and" के बीच में शब्द "after hearing the parties on merits of the case" रख दिये जायें।

मैं अपने न्याय मंत्री जी का अहसानमन्द हूं कि उन्होंने अपने समय में से हमें कुछ समय प्रदान किया। आशा यह थी कि हमारा संशोधन और दूसरे इसी प्रकार के बाद में आनेवाले संशोधन स्वीकृत हो जावेंगे चूंकि वे बेगुनाह जिसे अंग्रेजी में कहते हैं innocent, हैं। जिनसे इस तरमीम की पुष्टि होती है और न्याय पाने की कोशिश करने वालों को मदद मिलती है। लेकिन अफसोस हुआ कि हमारी आशा निराशा में परिणत हो गई। सरकारी पक्ष से कुछ ऐसा इशारा हमें पहले मिला था कि हमारे संशोधन स्वीकार कर लिये जावेंगे चूंकि वे

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

कन्स्ट्रक्टिव संशोधन हैं। इस सदन का भी समय बच जाता और इस पर बहस की जरूरत न रहती बल्कि यह उन्हीं के कमरे में डिसकस होकर स्वीकृत होने के बाद खत्म हो जाता।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा . . . .

श्री अधिष्ठाता--मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि सवा बजे तक ही इस पर डिसकशन खत्म हो जाना चाहिये था, लेकिन चूंकि आप बोल रहे थे इसलिये मैं आपको दो मिनट का और समय देता हूं। पहले ही सवा बज चुका है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--अधिष्ठाता महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम लोग जिनका कि अमेंडमेंट था बोलने के लिये कई बार उठे लेकिन बदकिस्मती से चेयरमैन साहब की नजर हम पर न पड़ी। इस तरह से जिनके अमेंडमेंट्स थे उनको तो बोलने का मौका करीब-करीब एकाध को छोड़ कर नहीं मिला और जिनका अमेंडमेंट नहीं था उनको मौका दिया गया। तो आपसे मेरी अर्ज यही है कि यह दो मिनट की पाबन्दी आप न लगा कर मेहरबानी से इस पर विचार करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--अभी जैसा कि मैंने कहा कि सवा बजे तक डिसकशन खत्म हो जाना चाहिये था और चूंकि सवा बज चुके हैं लिहाजा अब उस पर सिर्फ वोटिंग ही ली जा सकती है। चूंकि आप बोल रहे थे इसलिये मैंने दो मिनट का समय दिया है। अब कोई डिसकशन नहीं होगा। आपके बोलने के बाद वोटिंग होगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--बिजनेस एडवाइजरी कमेटी . . . . .

श्री राजनारायण--जब सवा बजे तक इसके लिये तय था कि इस पर बहस सवा बजे समाप्त हो जानी चाहिये और जब इसको आगे बढ़ाने के लिये कोई रेज्योल्यूशन भी नहीं आया तो फिर इस पर आगे चर्चा कैसे हो सकती है ? जब एक बार इस सदन ने तय कर दिया था कि सवा बजे तक इस विधेयक पर बहस चलेगी और इस रिजोल्यूशन को काट कर फिर आगे समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ तो ऐसी हालत में मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को छोड़ दिया जाय और अब कोई दूसरा विषय लिया जाय। क्योंकि यह अवैध हो जायगा और इस आदरणीय हाउस ने जो प्रस्ताव पास किया है उसके विरुद्ध होगा।

सहकारिता उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज सवा बजे के बाद हाउस अभी बैठा है, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि १५ मिनट और अधिक समय इसके लिये ले लिया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। श्रीमन्, मेरा तर्क यह है कि यह सदन की मर्यादा का प्रश्न है और इस सदन में बार-बार ऐसी बात नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह सदन है, आदरणीय सदन है, कोई कांग्रेस कमेटी का दफ्तर नहीं है कि जब चाहा कोई प्रस्ताव पास करो, जब चाहा तब उसको उलट दो। यह इस सदन की मर्यादा और महिमा तथा गरिमा का प्रश्न है और जब एक बार उसने संयम के साथ, सद्बुद्धि के साथ एक फैसला किया तो उस पर उसे आरूढ़ रहना चाहिये। सदन ने यह फैसला दे दिया था कि सवा बजे तक इस विधेयक को पास हो जाना चाहिये, सवा बजे तक वह नहीं पास हुआ तो कहीं न कहीं खामी रह गयी। एक बजे चाहिये था कि बहस को बन्द कर दिया जाता।

श्रीमन्, यह देखा जाय कि माननीय मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव इस समय रखा है और वह भी यह जानते हुए कि मैंने एक वैधानिक प्रश्न उठाया है, उसी के बीच में यह प्रस्ताव पेश कर दिया। हाईकोर्ट में रिट दाखिल है, रोज इस सदन में चर्चा होती रहती है कि हाई कोर्ट में रिट दाखिल हो, और फिर सदन में कोई चर्चा हो तो वह कंटेम्ट आफ कोर्ट हो जायगा। मगर माननीय मंत्री जी ने उसका भी ख्याल नहीं किया, खैर इस समय मैं उन तमाम बातों की ओर नहीं जाना चाहता। यह जानते हुए भी कि हमारा एक वैधानिक प्रश्न था और मेरे वैधानिक प्रश्न पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है, उसी के बीच में यह प्रस्ताव आया है इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि सदन को पूरा अधिकार है कि वह १५ मिनट समय बढ़ावे। मैं इसको वोट के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित करने के लिये सदन का १५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:--

पक्ष में--६८,
विपक्ष में--४२)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा सदन से अर्ज कर रहा था कि मेरा जो संशोधन है वह एक दम कांस्ट्रक्टिव है, इससे कोई अन्तर मूल विधेयक में नहीं आता है क्योंकि इस से एक अतिरिक्त सुविधा लिटिगेंट पब्लिक को मिलती है और जैसा कि मंत्री जी ने फरमाया कि जो आदमी रिवीजन पेश करता है उसके बाद मामूली तरीके पर पार्टी बुलाई जायंगी और उनकी बातों पर विचार करने के बाद जज निर्णय देंगे। हाई-कोर्ट्स का जो तरीका कई सौ सालों से रहा है उसको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि हाई कोर्ट किसी पार्टी को बुलाने पर बाध्य हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किन्हीं जज साहब ने कभी पार्टीज को बुलाने की तकलीफ फरमाई हो, कहा जाता है कि पार्टीज बुलाई जायंगी लेकिन जज लोग अपने चेम्बर में ही केसेज को खारिज कर देते हैं और पार्टीज को अपनी बात कहने का कोई मौका नहीं रहता जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा। ऐसा भी होता है जैसा कि खकीफा की अदालत में ज्यों ही केस पुकारे जाते हैं और वकीलों के आने में जरा भी देर हो जाती है तो डिगरी दे दी जाती है और कोई रास्ता फिर अपनी बात कहने का नहीं रह जाता।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--मैं २ मिनट में अभी समाप्त किये देता हूं। जैसा मैं चाहता हूं इससे इन पार्टीज को एक बार अपनी बात कहने का मौका मिल जायगा और अगर उनको नीचे की अदालत में किसी बात को लाने का मौका नहीं मिल सका है तो वह यहां मिल जायगा। अगर थोड़ा और समय लगाकर किसी को अधिक न्याय मिल सकता है तो हमें उस चीज को मानना चाहिये। हाई कोर्ट के जजेज तो तजुर्बेकार होते हैं वह चेम्बर में डिसमिस कर देते थे तो बात और थी लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजेज को इतना तजुरबा नहीं है कि वह चेम्बर में ही फैसला कर सकें। इसलिये मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि वह दोनों पार्टीज को अपनी बात उनके सामने कहने का मौका दें और इसका विरोध न करें।

श्री सैयद अली जहीर--अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपनी इब्तदाई तकरीर में यह अर्ज कर दिया था कि जो प्रोसीड्योर है वह यह है कि जो निगरानी करने वाला शख्स होता है वह जाकर दरख्वास्त को पेश करता है और उसी वक्त अमूमन हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट जज के यहां उसको जो कुछ उसके हक में कहना है उसका मौका मिल जाया करेगा। उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट जज साहब यह समझेंगे कि इसमें कोई गुंजाइश है और वह मुनासिब है तो उस वक्त यकीनन दूसरे फरीक को नोटिस देंगे। लेकिन अगर वह समझेंगे

कि इसमें कोई प्वाइन्ट आफ ला इनवाल्व नहीं है तो वहीं पर सुनने के बाद रिजेक्ट कर दें ऐसा प्रोसीड्योर में मौजूद है। तो ऐसी सूरत में यह कहना कि दोनों फरीकों को बुला कर निगरानी में सुना जाय यह, किसी तरह से मुनासिब नहीं है क्योंकि उसकी गरज यह नहीं है कि उसमें जान हो या न हो, दूसरे फरीक को बुलाया जाय और इतना फासिला तय करना और खर्चा बरदाश्त करना पड़े। यह मंशा नहीं है। तो मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि यह जो तरमीम पेश की गयी है यह शायद किसी गलतफहमी की बुनियाद पर है और जो मैंने अर्ज किया उसका लिहाज माननीय सदस्य ने नहीं किया। अगर वह मुलाहिजा करेंगे तो समझेंगे कि इस किस्म की तरमीम की कोई जरूरत नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैंने तो जनाबवाला, इसलिये अर्ज किया, जैसे कई तरमीमें ऐसी होती हैं, अगर तजुरबा हमको यह बताता है, पिछले कई सालों के तजुरबे से, अगर गलती हुई है और उसको ठीक करना है तो कोई वजह नहीं है कि ठीक न किया जाय। हमने ऐसे संशोधन कर दिये हैं जिनसे न्याय का गला घोंटा गया है। दफा १४५ जाब्ता फौजदारी में जो पहले से दो तरफा शहादत ली जाती थी अब क्या तरमीम कर दी गयी है कि अफेडेविट दीजिये दोतरफा। अब मैजिस्ट्रेट को यह दिक्कत होती है कि किस के अफीडेविट को सच माने। अफीडेविट के बाद होगा कि दीवानी में चले जाओ वहां पर राइट्स को डिटरमिन करा लो यानी जो चीज पहले मैजिस्ट्रेट की अदालत में ही तय हो जाती थी अब उसके लिये दीवानी में जाना पड़ता है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इसमें न्याय देने के लिये समय मिलता है। इसलिये यह तरमीम जरूरी है।

दूसरा प्वाइन्ट यह है कि हाई कोर्ट के बराबर डिस्ट्रिक्ट जज को तजुरबा नहीं होता। उनके लिये चैम्बर में ही फैसला दे देना कि इस मामले को सुना जाय या न सुना जाय जैसा कि माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि पार्टीज को काल कर लें, अगर मंत्री जी यह तरमीम भी कर दें, अगर इतना ही जोड़ दिया जाय तो हम लोग सैटिस्फाइड हो जायेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, मुझे कोई मजीद बात नहीं कहनी है। यहां क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड का जिक्र और उसकी कोई बहस नहीं है। यह तो खुला मामला है कि जिस तरह से हाईकोर्ट को अख्तियारात हैं वही अख्तियारात डिस्ट्रिक्ट जज को दिये जा रहे हैं। ऐसी हालत में मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २५ की अंतिम पंक्ति में शब्द "case" और शब्द "and" के बीच में शब्द "after hearing the parties on merits of the case" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—अब जो संशोधन बाकी रह गये हैं मैं उन पर बिना बाद विवाद के राय ले लूंगा। किसी माननीय सदस्य को अब बोलने का कोई अधिकार नहीं है, न गवर्नमेंट के पक्ष के और न विपक्ष के सदस्य को।

(कुछ रुक कर)

प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २५ की अंतिम पंक्ति के शब्द "and" और शब्द "pass" के बीच में शब्द "after hearing the parties" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २५ की अंतिम पंक्ति के शब्द "with respect thereto" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

कुछ प्रयोजनों के निमित्त प्राविंशियल स्माल काज कोर्टस ऐक्ट, १८८७ को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ को उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—(१) यह अधिनियम प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

मादक-कर राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, यूनाइटेड प्राविंसेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ में बना था जो कि मोटर स्प्रिट की फुटकर बिक्री के कर के निमित्त बनाया गया था। इस ऐक्ट के अधीन १८ साल तक काम करने के पश्चात् यह अनुभव प्राप्त हुआ कि मोटर स्प्रिट के अन्तर्गत डीजल आयल भी आता है। इस तरह से मोटर स्प्रिट की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। और यही कारण है कि इस ऐक्ट के अन्तर्गत फुटकर व्यापारियों के पास लाइसेंस होते हुए भी उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जा सका। साथ ही साथ संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ में बना था। और उसके अन्तर्गत मोटर स्प्रिट पर

*१८ अप्रैल, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

[डाक्टर सीताराम]

डीजल आयल पर उस वक्त तक टैक्स नहीं लगाया जा सकता जब तक कि मोटर स्प्रिट की परिभाषा में से डीजल आयल की परिभाषा को हम बाहर नहीं निकाल देते हैं। इसलिये इस कांट्रैडिक्शन को दूर करने के लिये इस तरह का एक विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ सेक्शन तीन जो है उसकी परिभाषा साफ रख दी गई है जिससे कि भविष्य में बिक्रीकर लगाया जा सके। उद्देश्य और कारण में सब बातें पूर्ण रूप से दी गई हैं और आशा है कि उसको पढ़ने के पश्चात् माननीय सदस्यगण इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस संशोधन विधेयक में सिर्फ दो बातें हैं। एक तो पेट्रोल की परिभाषा से डीजल आयल को निकालना है और सेक्शन तीन के अन्तर्गत इलैस्टिसिटी मिलती है जिससे कि निकट भविष्य में चलकर के बिक्री कर लगाया जा सके।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय।

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय के भाषण को विधिवत् सुनता रहा और मुझे आश्चर्य होता है कि माननीय मंत्री महोदय इस विषय को इतना अपने भाषण द्वारा जटिल बना चुके हैं कि मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों को तो समझने में कठिनाई हुई होगी और मेरा जो संशोधन है यह केवल इसलिये लाया गया है कि मंत्री महोदय को सुनने के उपरान्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब इसका सेलेक्ट कमेटी के पास जाना नितान्त आवश्यक है। मान्यवर, यह विधेयक जो लाया गया, जैसा कि उद्देश्य और कारण से स्पष्ट है, उसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि एक तो इस ऐक्ट में विरोधाभास है जिसको कि दूर करने के लिये विधेयक लाया गया है और वह कांट्रेडिक्शन इस स्थान पर है कि जहां पर मोटर स्प्रिट की परिभाषा दी गई है उसके अन्तर्गत डिजल आयल भी आता है और जब डिजल आयल उसके अन्तर्गत आता है तो जैसा कि हमारी सरकार उसको चाहती है उस पर यू०पी० सेल्स टैक्स के अन्तर्गत टैक्स लगाये, वह टैक्स लगाने में विवश हैं और जब तक यह मोटर स्प्रिट की परिभाषा में है तब तक यू०पी० सेल्स टैक्स के अधीन इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता और डिजल आयल पर कोई रिटेल डीलर्स नहीं है, इस वजह से मोटर स्प्रिट के अन्तर्गत भी उस परिभाषा के रहते हुए भी कोई आमदनी उनको नहीं होती। इसको घुम-घुमा के मंत्री महोदय ने इतना जटिल बना दिया कि जिसको समझने में माननीय सदस्यों को कठिनाई हुई होगी। और दूसरा उद्देश्य तो देखने में बड़ा निर्दोष है और बहुत छोटा सा संशोधन माननीय मंत्री महोदय ला रहे हैं, लेकिन असल में सरकार चाहती क्या है? क्या उनको ऐसा अधिकार दे दिया जाय कि जिसके ऊपर कोई भी प्रतिबन्ध इस सदन का न हो? माना कि वह जितना टैक्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस यूनाइटेड प्राविंसेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट के सेक्शन तीन को, श्रीमन्, मैं पढ़ दे रहा हूं।

"There shall be levied from every retail dealer and collected in such manner as may be prescribed a tax on the ratail scales of Motor Spirit at such rate as may be notified not exceeding two annas per gallon on such sales."

इसके माने यह हैं कि चाहे वे १४ आने पर गैलन आन सच सेल्स लें, चाहे १५ आने और चाहे पूरा रुपया लें। जो चाहें वे लें, लेकिन इसके लिये कोई प्रतिबन्ध उनके ऊपर नहीं होना चाहिये और उद्देश्य व कारण को दिखाते हुये आप बहाना क्या लेते हैं कि इलेस्टिसिटी होनी चाहिये। दिस इज टू रिजिड ऐट प्रजेंट। उसका हिन्दी अनुवाद भी है जो इस प्रकार है:—"कर लगाने के अधिकार को विस्तारण बनाने के अभिप्राय से, ऐक्ट की धारा ३ में भी संशोधन किया जा रहा है।" इस अधिकार को विस्तारण बनाने के लिये उनके पास कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाल नहीं थी जो खुल कर यह कहते कि ३ आने चाहिये या चार आने चाहिये। एक चुप्पी साधे हुये मंत्री महोदय बैठे हुये हैं। वह क्योंकि अधिकारों का विस्तारण चाहते हैं उन अधिकारों के विस्तारण के आवरण में कितना कर लगाना चाहते हैं यह मालूम नहीं।

इस सदन से वे चाहते क्या हैं? कहते हैं बहुत निर्दोष संशोधन है। वह संशोधन क्या है? जो दो आने पर गैलन है वह निकाल दिया जाय। परन्तु वे इस बात पर गौर करें कि कर दाताओं के पास क्या यह पर्चेजिंग पावर है कि वे किसी तरह का भी कर दे सकते हैं। इस सरकार के करों की भरमार से आज प्रदेश की कितनी दुर्गति है उस पर अधिक कहना आवश्यक नहीं है। चाहे इस दल में हों या उस दल में हों सब इस बात पर एक मत हैं। क्योंकि प्रतिबन्ध है इसलिये जबान हिला नहीं सकते। अगर लाबी में आप मेरे साथ जायेंगे तो असली हालत का पता हो जायगा। टैक्सेशन की भी एक सीमा होती है।

दो आने के बदले किस तरह से आप टैक्स लगाना चाहते हैं उसे खुल कर आप कहते नहीं। अगर सरकार सीधे यह संशोधन चाहती थी तो खुल कर यह कहना चाहिये था कि दो आने की जगह वह कितना चाहती है। मान्यवर, १८ वर्ष के अनुभव के बाद इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि इस परिभाषा में परिवर्तन होना चाहिये ताकि इस संशोधन से लाभ उठाया जा सके। वास्तविकता जो है, जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है, जिस पर सरकार चुप है वह यही है कि दो आने का नियंत्रण हटा लिया जाय और प्रतिबन्ध हटाने के बाद पूर्ण रूपेण अधिकार दे दिये जायं और मोटर स्प्रिट पर जितने टैक्सेज वे लगाना चाहते हैं उन्हें वे लगा सकें और हम बैठ कर इसका यहां प्रतिपादन करें।

मान्यवर, यह जितना सरल, निर्दोष व स्वच्छ व पवित्र विधेयक समझा जा रहा है उतना नहीं है। मैं इसको अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि यह अधिकार सरकार को दिया तो इससे इसका दुरुपयोग होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इसके विरोधी हैं, कोई टैक्स बढ़ाना नहीं चाहते तब तो ठीक है, लेकिन बढ़ाते हैं तो खुल कर कम से कम यह बतलावें कि कितना बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस मत से उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य हमसे अलग नहीं होंगे, उनको मतभेद नहीं होगा कि सरकार की इसके बारे में स्पष्ट नीति क्या है वह हमको मालूम होना चाहिये।

मान्यवर, मैं, आपके द्वारा, मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि या तो इस विधेयक को वापस ले लें और यदि नहीं लेना चाहते हैं तो प्रवर समिति में जाने दें और कम से कम इस बात को उस जगह साफ हो जाने दें। कहीं बाद को फिर यह सवाल उठे कि १८ वर्ष के अनुभव के बाद उनको केवल दो गलतियां मालूम हुईं जिसके लिये यह आया हुआ है। तो मैं उनको थोड़ा सा मौका और देना चाहता हूं कि १८ वर्ष के जो कटु अनुभव हों उनसे कुछ लाभ उठाते हुए यह उत्तर प्रदेश सेल आफ मोटर स्पिरिट्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, जो आ रहा है, यह केवल इन्हीं दो धाराओं के लिये न आवे, इन दो खंडों के लिये नहीं, बल्कि इसको गम्भीरता से सोच लें और जो कुछ करना चाहते हों वह उसको साफ-तौर से ठिकाने से खुद करावें और हमको इस अन्धकार में न रखें। कभी न कभी हम लोग प्रकाश में आयेंगे। इसलिये यह साफ होना चाहिये कि वह दो आने के बजाय क्या चाहते हैं, उनके हिसाब रखने वालों ने कोई अन्दाजा तो किया होगा कि जो बढ़ा कर हमारे बजट में आयेगा, तो कुछ तो मालूम हो कि कितना बढ़ाना चाहते हैं?

लिहाजा इन सब चीजों की बिना पर मुझे यह कहना है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय, या माननीय मंत्री जी इसको वापस ले लें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, आज इस बिल को सदन में देख कर एक अचम्भा सा हुआ, कारण कि पिछले ऐक्ट में दो आने रुपये का मोटर स्पिरिट पर टैक्स पहले से ही लागू है और इस बिल के लाने का मंशा यह मालूम होता है कि मोटर स्पिरिट की परिभाषा में डीजल आयल को भी खींच लिया जाय। एक तरफ हमारी सरकार

[श्री शिवप्रसाद नागर]

द्वारा "ग्रो मोर फूड" की स्कीम चलायी जाती है, एक तरफ अन्न उत्पादन के लिये सरकार कटिबद्ध है, एक तरफ पूर्वी १५ जिलों में अकाल पड़ रहा है, एक तरफ दानापुर के पहाड़ी इलाकों में अन्न की इतनी कमी है कि हवाई जहाज से अन्न बरसाया जा रहा है, और दूसरी तरफ डीजल आयल पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। इस प्रकार से अन्न उत्पादन के जो साधन हैं उनके लिये एक बड़ी भारी बाधा उपस्थित हो जायगी।

मैं, आप के द्वारा, सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे जिले खीरी में इस समय कम से कम १,२०० ट्रैक्टर हैं और मेरा खयाल यह है कि उस १,२०० की संख्या में करीब १,००० ट्रैक्टर डीजल आयल से चलते हैं। मोटर स्प्रिट की परिभाषा में डीजल आयल के लाने से तमाम किसानों के लिये बड़ा जुल्म होगा जो ट्रैक्टरों के द्वारा गल्ला उत्पादन करते हैं और अन्य खाद्यान्नों को पैदा करके देश की सेवा करते हैं। मैं आप के द्वारा सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त पर डीजल आयल पर टैक्स लगा देने के माने यह हैं कि उन तमाम नागरिकों को बेकार कर देना है जिनके द्वारा आज देश की स्थिति सुधारने का हमने संकल्प किया है। जो मोटर विहिकिल्स ऐसी हैं जो थ्री टनर हैं, जोकि लोड उठाकर चलती हैं या सवारियां लेकर चलती हैं उन पर यह सरकार साल में १,४०० रुपया टैक्स लगा कर वसूल करती है और फाइव टनर मोटर विहिकिल्स से सालाना २,५०० रुपया वसूल करती है। आप गौर तो करें कि कितना बड़ा टैक्स इन मोटरों से वसूल होता है जो कि हमारे अन्न का आदान-प्रदान करती हैं, जो इधर से उधर गल्ला बेच कर अन्न की समस्या को एक माने में हल करती हैं, उनके साथ कितना अन्याय और जुल्म हो रहा है। मगर हम यह कह देना चाहते हैं कि जहां तक मोटर स्प्रिट का सवाल है अगर इसको पेट्रोल तक ही सीमित रखा जाता तो हम समझते की लक्जरी का सवाल है। जो कारें चलती हैं, मोटर साइकिल चलती हैं, उनके ऊपर यह टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन हम इसको उल्टा समझ रहे हैं कि वह लोग जो मोटर के ऊपर ढाई मन की बोरी लाद कर मजदूरी कर के अपना पेट भरते हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिये यह टैक्स लगाया जा रहा है। जो मोटर इस तरह से स्प्रिट की परिभाषा डीजल आयल में लाई जा रही है उसमें गरीब जनता के साथ बड़ा भारी जुल्म है। बात तो साफ यह है कि डीजल आयल से एक भी कार नहीं चलती है। सब ठेले चलते हैं और वह बसेज चलती हैं जिन पर गरीब जनता सवार होती है और गरीब जनता के लिये उन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है।

हम उनसे पूछना चाहते हैं कि डीजल आयल पर कर बढ़ाने के बाद क्या छोटी जनता पर जो ढाई आने, छै पैसे का टिकट ले कर बस पर चलती है, इसका असर नहीं पड़ेगा, इसका बोझा नहीं पड़ेगा? क्या वह लोग जो १०, १५ मील जाते हैं और बस के सहारे जाते हैं और अपनी किसनई का समय बचाते हैं और आज कल छै पैसे, दो आने खर्च कर के चले जाते हैं, अगर टैक्स बढ़ा दिया गया तो वह टिकट नहीं खरीद सकेंगे और पैदल जाना होगा। नतीजा यह होगा कि उनके पैदल चलने से काश्तकारी का अमूल्य समय नष्ट होगा। इसलिये श्रीमन्, हम आपके द्वारा माननीय आबकारी मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि मोटर स्प्रिट को पेट्रोल और पावर अल्कोहल तक ही सीमित रखा जाय और डीजल आयल पर टैक्स लगाना छोटी जनता के साथ अन्याय होगा। वैसे तो आप को अधिकार है जो चाहे करें, क्योंकि सदन के अंदर जो सरकारी पार्टी बहुमत में है, यह हमेशा परिपाटी रही कि अगर भारी भरकम शरीर वाला गिर पड़ता है तो अल्पमत वाले लोग वैसे ही कुचल जाया करते हैं। हम अल्पमत में हैं, हम कितनी ही दलील दें, कितनी ही बहस करें, और कितनी ही जिरह करें लेकिन जब आखिर में आप हाथ उठाने की बात कहेंगे तो यह बहुमत वाले भारी भरकम शरीर लेकर हमारे ऊपर गिर पड़ेंगे और हम कुचल जायेंगे। हमारी आवाज उठ नहीं सकेगी, गरीबों की आवाज बुलन्द नहीं हो सकेगी।

श्रीमन्, हम आप के द्वारा माननीय आबकारी मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वह इस पर दुबारा गौर करें और बेहतर यह होगा कि सरकारी प्रवर समिति में इसे भेज दिया

जाय और वहां पर इस पर गौर किया जाय और फिर सदन में लाया जाय और फिर इस पर विचार किया जाय। डीजल आयल को मोटर स्पिरिट की परिभाषा में लाने से गरीबों के साथ बड़ा भारी अन्याय होगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अवधेश प्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इस कानून की सब से पहली मंशा यह है कि डीजल आयल पर टैक्स लगाया जा सके। मुझसे पहले बोलने वाले सज्जन ने यह बतलाया है कि डीजल आयल आमतौर पर ट्रैक्टरों में, आटा पीसने की चक्कियों आदि में इस्तेमाल किया जाता है। छोटे उद्योगों में भी काम में आता है जिनमें छोटे-छोटे मजदूर काम करते हैं। वैसे ही हमारे प्रदेश में उद्योगों की बुरी हालत है। अगर हम इस टैक्स के लगाने की सुविधा सरकार को देते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे छोटे उद्योगों पर बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा और मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है उस पर भी असर पड़ेगा जब कि वह बन्द हो जायंगे।

इस कानून का दूसरा मंशा यह है कि दो आने जो मोटर स्प्रिट पर टैक्स की हद लगी हुई है, उसको तोड़ दिया जाय और सरकार को छूट दे दी जाय कि वह मन माने ढंग से जितना चाहे उतना टैक्स लगा सके। मैं इसको भी सिद्धान्ततः उचित नहीं समझता। मैं इसके लिये अपनी कोई राय सरकार के पक्ष में देने के लिये तैयार होता यदि मंत्री जी इस प्रस्ताव को रखने से पहले यह बतलाते कि अब तक जो उनको दो आने का अधिकार था उससे कम वसूल करते रहे? मैं जहां तक समझता हूं उनके अधिकार की सीमा जहां तक थी उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करने में उन्होंने अब तक कोई कमी नहीं की है और अब जब कि उनके अधिकार की कोई सीमा ही नहीं रहेगी तब वे अपने अधिकार का दुरुपयोग कहां तक करेंगे इसकी मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। इन कारणों से मैं अधिक न कह कर के इस कानून के विरोध में जो अवधेश प्रताप जी का प्रस्ताव है कि प्रवर समिति को भेज दिया जाय उसका समर्थन करता हूं और मेरा हाउस से निवेदन है कि वह इसको स्वीकार करें।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—चेयरमैन महोदय, जो यह बिल भवन के सामने पेश है देखने में भले ही छोटा मालूम पड़ता है, मगर इसका परिणाम सारे उत्तर प्रदेश के बहुत से छोटे-छोटे किसानों और छोटे-छोटे कारोबार करने वालों पर पड़ने जा रहा है। आप जानते हैं, श्रीमान जी, कि डीजल आयल आजकल ऐसी वस्तु हो गयी है कि गवर्नमेंट इस बात को प्रोत्साहन देने जा रही है कि काटेज इंडस्ट्रीज डेवलप की जायं और उसमें जो इंजन चलें वे डीजल आयल इस्तेमाल करें। साथ-साथ खेती में इसका काफ़ी प्रयोग हो रहा है। आज कहा जाता है कि खेती की पैदावार बढ़ाने का विशेष उद्योग किया जाय। अभी जो डेवलपमेंट कान्फ्रेन्स मसूरी में हुई है उसमें ३० प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक की आवाज उठायी गई है और उद्योग किया जाने वाला है कि ५० प्रतिशत अपने प्रान्त में खाद्य का उत्पादन बढ़े। आज खाद्य की समस्या हमारे प्रदेश में कितनी भयंकर होती जा रही है। इस उद्योग में भी डीजल आयल का बड़ा भारी हाथ होने जा रहा है। मैं तो यह भय करता हूं कि अगर ये छोटे-छोटे टैक्सेज बढ़ाये जायंगे तो बड़ा धक्का लगेगा। आज अमरीका जैसे देश में जहां इतने बड़े स्केल पर खेती हो रही है वहां पर एग्रीकल्चरल परपजेज के लिये पेट्रोल पर भी एक पैसे का टैक्स नहीं है। आज जहां पर लाखों गैलन रोज पेट्रोल और डीजल आयल खर्च हो रहा है वहां जो खेती में उपयोग हो रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है। मगर यहां पर जो संशोधन बिल पेश हुआ है उस में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं रखी गयी है। जो लोग व्यवसाय करते हैं और लाभ उठाते हैं उनसे भले ही आप कर लें, मगर फिर भी टैक्स का बोझ बर्दाश्त करने की एक हद होती है जिस हद तक वह बर्दाश्त किया जा सकता है। सरकार ने तो केवल आमदनी बढ़ाने के विचार से ही इसे देखा, लेकिन इसका क्या असर होगा इस पर उसने ठीक से विचार नहीं किया है और न भवन में इतनी जल्दी विचार हो ही सकता है। इसलिये माननीय अवधेश प्रताप जी ने इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है ताकि वहां ठीक से इस पर विचार हो सके।

[श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह]

इसकी धारा ३ के अन्दर जो दो आने टैक्स है वह हटाया जा रहा है। लेकिन हटाये जाने का मतलब यह नहीं है कि दो आने भी नहीं रहेगा बल्कि उसके बजाय यह सुनाई पड़ने वाला है कि टैक्स का बोझ भारी होने वाला है। लोग डीजल आयल से चलने वाले पम्पिंग सेट्स लगा कर काम चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाये जा रहे हैं। तो वैसे ही यह समस्या बड़ी भारी हो रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल आयल के दाम बढ़ चुके हैं और जो अन्य अनाज पैदा करने के साधन हैं उन सब के दाम बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ाये जावेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि खाद्य समस्या को हल करने के लिये सरकार जो प्रयत्न कर रही है उसको धक्का पहुंचेगा। यह सभी माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि खेतिहर मजदूरों ने खाद पैदा करने में अपनी बहुमूल्य शक्ति, समय और धन लगाया है और सरकारी तौर से जो जमीन तोड़ी गयी है, जो अनाज पैदा किया जा रहा है उससे कहीं अधिक अनाज छोटे और बड़े किसानों ने पैदा किया है। मेरे ख्याल से जो अड़चनें इस डीजल आयल और दूसरी खाद्य पैदा करने के साधनों पर टैक्स लगा-कर पैदा कर रही है उसका बड़ा बुरा परिणाम पहुंचने वाला है। मैं सरकार से कहूंगा कि जरा शान्ति से सोचें, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। प्रवर समिति में जो लोग विशेष जानकारी रखते हैं वह बैठेंगे और ठीक से विचार विनिमय होगा और ज्यादा गौर इस मसले पर होगा। मेरे ख्याल से इससे सरकार को लाभ होगा और असली सूरत सामने नजर आयेगी। इन शब्दों के साथ में जो अवधेश प्रताप सिंह जी का जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसे जरूर स्वीकार करेगी।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक आज से पहले भी इस सदन की कार्यसूची में था। जब-जब कार्यसूची मैंने पढ़ी उसमें न तो कोई संशोधन था और न कोई प्रवर समिति के लिये ही संशोधन था। आज प्रातःकाल जब मैंने कार्यसूची को पढ़ा तो मुझे विस्मय हुआ। इस छोटे से विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये दो से ज्यादा संकल्प, जिसमें विधेयक में केवल दो धारायें हों, जिसमें केवल एक संशोधन हो उसके लिये भी प्रवर समिति में भेजने की बात कही जाय तो, श्रीमन्, मैं यही कहूंगा कि यदि औषधि भी भोजन बना ली जाय तो उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना किसी तरह से भी उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हम उस ध्येय की पूर्ति में केवल विलम्ब ही करेंगे।

श्रीमन्, इस विधेयक और उसके द्वारा प्रस्तुत किये हुये संशोधन पर आते हुये मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं उनमें डीजल आयल पर टैक्स लगने से जो सम्भावित कठिनाइयां हो सकती हैं उनका चित्रण किया गया है और उनसे जो जो कष्ट हो सकते हैं उन सब का ब्यान किया गया, लेकिन मुझे खेद है कि उन माननीय मित्रों ने यह जानने का कष्ट नहीं किया कि डीजल आयल पर आज नया टैक्स तो नहीं लग रहा है। डीजल आयल पर सेल्स टैक्स अब तक भी पड़ता है। सेल्स टैक्स ऐक्ट के शिड्यूल २ के पांचवें आइटम में आप देखें। इस संशोधन विधेयक के द्वारा कोई सेल्स टैक्स बढ़ाये जाने की बात डीजल आयल पर नहीं है। केवल जो मंशा इससे पूरा हो रहा है वह यह है कि जो विरोधाभास की सम्भावनायें हैं वह कदाचित इस कानून से बाक़ी न रह जायं।

मैं यह भी कह रहा हूं कि असल बात यह है कि यू० पी० में कुछ फैसलों में इस टैक्स के लेने को गलत माना गया है और उसी भावना से इस संशोधन को प्रस्तुत किया गया कि हमारे प्रदेश में ऐसी स्थिति न आवे कि हेरफेर के कारण डीजल आयल पर जितना टैक्स लिया जाता है उसका लिया जाना अवैध घोषित किया जा सके। इस वक्त पोजीशन यह है कि सेल्स टैक्स ऐक्ट के अनुसार मोटर स्प्रिट के साथ-साथ डीजल आयल पर भी टैक्स नहीं आता है क्योंकि इसमें जो डेफनीशन दी है उस में डीजल आयल आ जाता है। तो इससे थोड़ा सा विरोधाभास होता है और विरोधाभास इस संशोधन विधेयक द्वारा दूर हो जाता है।

दूसरा इसका परिणाम यह है कि इसके द्वारा मोटर स्प्रिट्स पर और पेट्रोल पर भी टैक्स लगता है। मैं माननीय सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि जब इस सदन में सेल्स टैक्स पर बड़ी-बड़ी बहसें और वाद-विवाद हुए थे उस समय हमारे सामने बैठने वाले मित्रों ने इस तरह का प्रस्ताव किया था कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि उन चीजों पर सेल्स टैक्स बढ़ाया जाय कि जो लक्जरी गुड्स हों। उसी वक्त एक सब-कमेटी बनायी गयी थी। मैं भी उसका सदस्य था। उसने लिखित प्रस्ताव किये थे और उनमें यह एक प्रस्ताव भी था कि हम मोटर स्प्रिट पर टैक्स बढ़ा कर उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। तो मैं, श्रीमन्, बड़े ताज्जुब से सुन रहा था कि वही सज्जन जो इस बात की पुकार किया करते थे कि लक्जरी गुड्स पर टैक्स बढ़ाया जाय, आज इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं। जब मोटर स्प्रिट पर टैक्स बढ़ाने की बात होती है तब भी उन्हें आपत्ति है।

मैं इस हद तक इस बात में सहमत हूं कि अच्छा होता अगर सरकार एक अनियंत्रित शक्ति अपने हाथ में न रखती। अगर वह दो आने के बजाय, चार आना या छः आना, जिस रेट से भी वह टैक्स लगाना चाहते थे, उस को यहां स्पष्ट कर देते तो अच्छा होता। लेकिन यह कमी तो सदन के सदस्य अपने किसी संशोधन द्वारा पूरी कर सकते थे। मैंने जब इस बारे में कोई संशोधन नहीं देखा तो मैं यही समझा कि सदन का निश्चित यह मत है कि लक्जरी गुड्स पर जितना भी टैक्स सरकार लगाना चाहे, उसको लगाने दिया जाय। इसमें कोई नियंत्रण न करना ही उचित होगा। मेरी व्यक्तिगत तो यह धारणा है कि हमें जो अपने टैक्सेशन पालिसी करनी है उसमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज आफ लाइफ़ हैं उन पर कम से कम दर से टैक्स लगे या बिल्कुल न लगे और जो लक्जरीज हैं, जिनका प्रयोग बड़े आदमी करते हैं, या कर सकते हैं उन पर अधिक से अधिक मात्रा में टैक्स लगे। यह सिद्धांत हमें स्वीकार करना पड़ेगा और इसी पर सरकार चले तो उचित होगा, कल्याणकारी होगा और प्रदेश की जनता के लिये सुखदायी होगा। ऐसा करने से हम उस बोझ को कम कर सकेंगे जो एसेंशियल कमोडिटीज पर टैक्स लगा कर हम बढ़ा रहे हैं। बात यह है, श्रीमन्, कि जब तक हम दोनों तरफ निगाह नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं चलेगा। एक तरफ तो हम लक्जरी गुड्स पर टैक्स की दरों को ऊंचा करें, साथ ही जो हमारी एसेंशियल गुड्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जिनका प्रभाव छोटे से छोटे व्यक्ति पर भी पड़ सकता है, उन पर हम टैक्स का बोझ कम करें। यह हमारी नीति होनी चाहिये। मैं जो समझता था कि यह संशोधन विधेयक उस नीति की तरफ एक कदम है इसलिये सब ओर से इसका स्वागत होगा तो मैं इसका स्वागत करता और आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्या इसका उसी भावना से स्वागत करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ इसका स्वागत करता हूं और इस प्रवर समिति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—अधिष्ठाता महोदय, आप ने मुझे जो बोलने का अवसर दिया कई बार खड़े होने पर, उस के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यह विधेयक ६ उद्देश्यों को ले कर यहां प्रस्तुत किया गया है। प्रथम तो यह कि माननीय मंत्री जी को १८ वर्ष का अनुभव हुआ है और उस अनुभव के बाद ही उन्हें यह सूझी कि अब यह विधेयक वह इस विधान सभा में रखें, जब कि वह पहले भी रख सकते थे। दूसरा कारण उन ६ कारणों में से यह है कि डीजल आयल पर मनमाना टैक्स लगाने का अधिकार उनको इस सदन ने नहीं दिया था। अब उन्हें यह सूझी कि मनमाना टैक्स वह डीजल आयल पर लगायें और इसके लिये विधेयक रखा गया। तीसरा कारण यह है कि अभी तक डीजल आयल पर टैक्स लगाने में प्रतिबन्ध था। वह दो आने से अधिक टैक्स नहीं लगा सकते थे। अब इसके द्वारा वह यह चाहते हैं कि दो आने से अधिक जितना वह चाहें, टैक्स लगा सकें, इसका अधिकार उन्हें मिल जाय। चौथा कारण यह है कि वह यह चाहते हैं कि डीजल आयल पर जो टैक्स लगे वह अब से नहीं, ९ साल पहले से लगे। इसके द्वितीय खंड में लिखा है "इसे १ अप्रैल, १९४८ ई० से रखा गया समझा जाय" यानी १९४८ से वह जितना चाहें सेल्स टैक्स डीजल आयल पर लगा सकते हैं।

[श्री राजेन्द्रसिंह]

यदि ऐसा था जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि पहले डीजल आयल पर सेल्स टैक्स नहीं लग रहा था तो फिर क्या आवश्यकता थी कि इसको मोटर स्प्रिट की परिभाषा के अन्दर लाया जाय और उसकी परिभाषा से इसको अलग किया जाय। इसका कारण केवल यही है कि डीजल आयल पर मनमाने ढंग से टैक्स लगाया जाय और मनमाने ढंग पर मोटर स्प्रिट पर भी टैकस लगाया जाय। यह दो उद्देश्य हैं उन ६ उद्देश्यों में से जो इस विधेयक को यहां पर रखने में साधक हुये हैं।

अब मैं इसके खंडों पर आता हूं। इसमें पहली बात तो यह कही गयी है कि ९ वर्ष पहले से इसको लागू किया गया समझा जायगा और दूसरी बात इसमें जो दो आना की थी उसको हटाने के लिये कहा गया है। इसका अर्थ केवल यही है कि इन पर मनमाने तरीके से टैक्स लगाया जा सके। कहा यह जाता है कि यह मोटर स्प्रिट एक लक्जरी गुड्स है और इस पर अधिक टैक्स लगना चाहिये, लेकिन यह अर्थ इसका नहीं है कि यह सदन सरकार को यह अधिकार दे दे कि वह जितना चाहे उतना टैक्स लगा दे। सरकार के सीमित अधिकार होने चाहिये, किन्तु इस विधेयक के द्वारा सरकार ने जो असीमित अधिकार पाने का प्रयत्न किया है वह गलत है। इस कारण से ही हम इसका विरोध करते हैं।

अब मैं इस विधेयक की कमी पर आता हूं। पहली बात तो यह है कि सन् १९४८ से टैक्स लगना चाहिये। ऐसा इसमें मंजूर करने के लिये कहा गया है। अगर सन् १९४८ से टैक्स लगाया जायगा तो फिर समस्या उठेगी कि जब ९ साल से टैक्स नहीं लग रहा था तो उस पर इतने दिनों का टैक्स लगाया जाय और ९ वर्ष के रिकार्ड लोगों के पास, डीजल आयल वालों के पास हों। उस पर सरकार को यह अधिकार होगा कि जितना चाहे उतना टैक्स लगाये और सरकार उनसे ९ वर्ष का टैक्स मांगे। उनके पास हिसाब नहीं होगा और वह फर्जी हिसाब बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके आफिसर्स उनसे हिसाब जरूर मांगेंगे। इससे भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि ९ साल का हिसाब नहीं दिया जा सकता। यह प्रयत्न वह अपने अधिकार से करेंगे। इससे जरूर गोलमाल होगा।

दूसरी बात यह है कि इस मोटर स्प्रिट पर क्या टैक्स होगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। दो आने की बात भी जो इसमें कही गयी है कि वह हटा दिया जाय इससे भी यह सन्देह पैदा होता है कि सरकार इसको स्पष्ट करना नहीं चाहती है। सदन मन्त्री महोदय को इस प्रकार के अधिकार देने के विरुद्ध हैं जिससे वह मोटर स्प्रिट पर चाहे जितना टैक्स लगा सकें और यह औचित्यपूर्ण भी नहीं है।

तीसरी बात यह है कि डीजल आयल पर कितना टैक्स लगे इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। मोटर स्प्रिट पर कितना टैक्स लगे यह भी स्पष्ट नहीं है। अगर आप सेल्स टैक्स पहले से ले रहे थे तो इस विधेयक को बनाने की आवश्यकता क्या थी। और अगर नहीं ले रहे थे तो फिर आप जब से यह विधेयक पारित हो तब से ९ वर्ष पहले का टैक्स लगाने का मतलब यह होगा कि उन लोगों से ९ वर्ष पहले का हिसाब मांगा जाय और सरकारी अधिकारी, जब उनको हिसाब नहीं मिलेगा, तो वे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने में सहायक होंगे। इस कारण से मैं इसका विरोध करता हूं। सबसे बड़ा कारण मेरे विरोध का यही है कि मोटर स्प्रिट पर टैक्स लगा देना और डिजल आयल पर भी टैक्स लगा देना। किसी एक माननीय सदस्य ने इशारा किया था कि किसी प्रान्त में इस प्रकार के विधेयक को चैलेंज किया गया है और बतलाया था कि मोटर स्प्रिट की परिभाषा के अन्दर डीजेल आयल नहीं आता है तो उसके डर से यहां पर सरकार यह विधेयक लाई है। किन्तु सरकार ने यहां पर न तो मोटर स्प्रिट के विषय में और न डिजल आयल के विषय में किसी टैक्स की लगने की बात को स्पष्ट किया है।

एक और बात यह है कि डीजल आयल पर टैक्स लगाने का अर्थ यह होगा कि उन तमाम बातों पर आघात करें जिनको सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है। एक खाद्य समिति स्थिति पर और दूसरे ग्रामोद्योग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो सरकार का जितना रुपया व्यय होता है वह आधे से ज्यादा शहरों पर होता है, देहातों पर कम होता है। डिजल आयल से ट्रैक्टर चलते हैं उससे गल्ला पैदा होता है जो हमारी खाद्य समस्या है। अगर इस आयल पर टैक्स लगाया जायगा तो खाद्य समस्या पर प्रभाव पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि टैक्स नहीं लगना चाहिये लेकिन कितना टैक्स डीजल आयल पर लगना चाहिये और किस सीमा तक लगना चाहिये इसके लिये असीमित अधिकार माननीय मन्त्री जी को यह सदन देना कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ग्रामों में चक्कियां डीजल आयल से चलती हैं और यह एक प्रकार का ग्रामोद्योग ही है। इसलिये ग्रामों के आर्थिक विकास को धक्का लगेगा। इसलिए कम टैक्स लगाने का सीमित अधिकार सरकार को मिलना चाहिये। यह तो नितान्त ही अनावश्यक है कि सदन यह अधिकार सरकार को दे दे कि ९ वर्ष पहले से टैक्स लगाया जाय। मैं संक्षेप में यह प्रस्तुत करता हूं कि इसके उद्देश्य और खंडों में अनिश्चितता है, यह पहले से लगाया जा रहा है और सरकार असीमित अधिकार चाहती है। इन तीनों कारणों से मैं यह निवेदन करता हूं कि इस विधेयक से अपने विचारों को ठीक से सम्बद्ध कर सकने के लिये इसे प्रवर समिति में भेजा जाय और श्री अवधेश प्रताप सिंह जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने बहुत से माननीय साथियों के भाषण सुने। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी और राजेन्द्रसिंह जी का भाषण सुन कर बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने माननीय नागर जी तथा और माननीय सदस्यों के भाषण सुने तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तरफ तो सदन की मर्यादा की बात कही जाती है और दूसरी ओर यह कहा जाता है कि ऐसी ऐसी चीजों पर कर लगाया नहीं जाना चाहिये। जिससे सरकार को असीमित अधिकार मिले। यह भी कहा गया ऐसी जगहों पर टैक्स लगाया जाय जो बड़ी हैं और जिससे सरकार को कुछ आमदनी भी हो। वह यह भी कहते हैं कि ट्रैक्टर जो डीजल आयल से चलता है, उसके तेल पर टैक्स न लगाया जाय। यह मैं नहीं समझ पाया। उनकी नीति एक होनी चाहिये कि खेती की कहां तक सीमा उनकी है और वह कैसे होती है। बड़े जोरो से उन्होंने कहा कि बड़े किसानों की कमरें टूट जावेंगी। हमारे प्रान्त में खेतिहर कितने हैं और कितने ट्रैक्टर से खेती करते हैं। ट्रैक्टर से बड़े-बड़े फर्म वाले ही काम करते हैं। प्रान्त में उनकी संख्या कितनी है? मेरे हिन्दू महासभा के साथ श्री राजेन्द्र सिंह ने अभी कहा कि सरकार असीमित अधिकार चाहती है।

श्री राजेन्द्रसिंह—अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे हिन्दू महासभाई बतला दिया। उनका भ्रम है। मैं केसरिया टोपी पहने हूं। इसलिये उनका भ्रम दूर हो जाना चाहिये कि मैं हिन्दू महासभाई नहीं हूं।

श्री धनुषधारी पांडेय—खैर, वह जनसंघ के हैं। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी को यह अधिकार नहीं देना चाहिये कि जितना चाहें उतना कर लगा सकें। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको ऐसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिये कि यह सरकार मनमाना टैक्स लगाने के लिये असीमित अधिकार चाहती है। इस हाउस की मर्यादा के लिये उन्हें इन शब्दों को वापस लेना चाहिये। वह चाहते हैं कि उन लोगों पर टैक्स न लगाया जाय जो अपनी पूंजी को ट्रैक्टर के द्वारा बढ़ाकर उसे रखना चाहते हैं। अगर माननीय सदस्य कोई रास्ता या मद बता दें जहां से रुपया आ सके तो उस पर भी कर न लगाया जायगा। वैसे यह तो उनके उसूल के अनुसार बड़ों पर ही लगाया जाता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे विषय पर ही बोलें। किसानों में छोटे और बड़े का भेदभाव करना यहां उचित नहीं है। यहां डीजल आयल और ट्रैक्टर की बात है कोई भेद-भाव छोटे बड़े किसान का उपस्थित करना मुनासिब नहीं है।

श्री धनुषधारी पांडेय—श्रीमन्, मैंने जो कहा उसका लुब्बेलुआब आब है कि ट्रैक्टर्स को चलाने वाले वही लोग हैं जिनके पास हजारों बीघा जमीन है। अब हम यह देखेंगे कि उन लोगों की क्या संख्या है जो ट्रैक्टर्स के बिना काम करने वाले हैं। उनकी संख्या हमारे प्रान्त में ८०–८२ प्रतिशत है। अतः ट्रैक्टर्स से जिन लोगों का पालन-पोषण होता है वे बड़े हैं और बहुत कम संख्या में हैं। अगर उन लोगों के ऊपर और आटे की चक्की लगाने वालों के ऊपर प्रदेश के किसी विकास के लिये अथवा अन्य किसी काम के लिये कोई रुपया लिया जाता है तो उसको किसी भी प्रकार अनुचित नहीं कहा जा सकता।

तीसरी बात यह है। मोटर के बारे में कहा गया कि मोटर पर चलने वाले किसान परेशान हो जायंगे। जिनके पास पैसा है वही मोटर से चलते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वे पैदल चलते हैं। और जिनके पास पैसा है अगर उनसे पैसा लिया जाता है तो उनके सिद्धान्त के अनुसार लिया जाता है। उन्होंने बड़े लोगों और ऐश आराम की चीजों पर टैक्स लगाये जाने का बार-बार समर्थन किया है। लम्बी चौड़ी खेती ही ट्रैक्टर्स से होती है। छोटे लोग तो हल बैल से खेती करते हैं। एक ट्रैक्टर २० हल के बराबर होता है। उसके कारण २० हल वाले और ४० बैल बेकार हो जाते हैं। अतः इस बेकारी की बात को देखते हुए, तथा और अन्य मूल बातों को देखते हुए, मैं आशा करता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव मान लेंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रक्रिया नियमावली की धारा १७३ के अनुसार, आपकी इजाजत से, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। वह प्रस्ताव इस संबंध में है कि आज विधान भवन के सामने समाजवादी दल का एक नौजवान भूख हड़ताल कर रहा है। अगर जांच कमेटी बैठा दी जायगी तो वह भूख हड़ताल तोड़ देगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि उनकी ओर से जांच कमेटी की स्थापना के बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—अधिष्ठाता महोदय, यह सवाल जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किस प्रकार से इस बिल से संबंधित है।

श्री अधिष्ठाता—मैं इसको मुनासिब नहीं समझता और न कायदे के मुताबिक ही है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में तथा माननीय सदस्य, फैजाबाद द्वारा उपस्थित संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। किन्तु, अधिष्ठाता महोदय, पहले इसके कि मैं इस विधेयक पर या इस संशोधन पर कुछ निवेदन करूं, मैं आपसे अत्यन्त विनम्रतापूर्वक एक प्रार्थना अवश्य करना चाहता हूं, वह यह कि जहां आपका कर्त्तव्य यह है कि आप विरोधी दल के सदस्यों के हकों की रक्षा करें, वहाँ आपका कर्तव्य यह भी है कि मैजोरिटी दल के हकों की भी रक्षा करें.....।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—मैं आपकी बात नहीं मानने को तैयार हूं। आर्डर, आर्डर।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या किसी सदस्य को अधिकार है कि वह आर्डर, आर्डर कहे?

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—मेम्बर, आर्डर-आर्डर कह सकता है।

(बड़े जोरों का शोरगुल)

श्री अधिष्ठाता—आर्डर, आर्डर।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—श्रीमन्, शायद माननीय सदस्य विरोधी दल के यह नहीं समझ पाये हैं कि आर्डर के माने है क्या ? आर्डर आर्डर केवल चेयरमैन के मुंह से ही नहीं निकलता है। माननीय सदस्य के मुह से भी निकल सकता है। यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, बल्कि प्वायंट आफ डिसआर्डर है।

(फिर जोरों की आवाजें)

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—मैं ईल्ड करने के लिये तैयार नहीं हूं।

(फिर जोरों का शोर गुल)

श्री अधिष्ठाता—आप बैठ जायं।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन् हमारे लिये प्वाइंट आफ आर्डर ही केवल एक चीज है जिसको पाने के हम हकदार हैं.....।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—मैं यह अर्ज कर रहा हूं....।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, माननीय सदस्य की यह हठधर्मी है और यह चेयर का अपमान है कि आपके कहने पर भी वे नहीं बैठ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—आपका प्वायंट आफ आर्डर नहीं है इसलिये मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। आप खामोश रहें।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां आपका यह कर्त्तव्य है कि विरोधी दल के हकों की आप रक्षा करें, वहां आपका कर्त्तव्य यह है भी कि आप मेजारिटी दल के हकों की भी रक्षा करें। अत. इसके पहले कि मैं कुछ निवेदन करूं, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा और माननीय सदस्यों के लिये मैं नहीं कहता जो कि बोल चुके हैं लेकिन कम से कम मुझे तो इन प्वायंट आफ आर्डर के बौछारों से अवश्य बचायें, क्योंकि यह प्वाइंट आफ आर्डर के बजाय प्वाइंट आफ डिसआर्डर है। श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य, फैजाबाद ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का संशोधन क्यों रखा ? मैं यह समझ सकता हूं किन्हीं कारणों से चाहे विरोधी दल के माननीय सदस्य हों, चाहे इस ओर के माननीय सदस्य हों, किसी विधेयक को नापसन्द करें, मैं यह भी समझ सकता हूं कि वे सरकार की टैक्सेशन की पालिसी को नापसन्द करें या किसी बस्तु पर टैक्स लगाए जाय और वे उस पालिसी का विरोध करें, किन्तु प्रवर समिति में ऐसे विधेयक को भेजना जिसमें केवल दो प्वाइंट्स के लिये ही यहां संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं समझता हूं, भवन और उत्तर प्रदेश की जनता का समय तथा रुपये का नष्ट करना है।

श्रीमन्, बहुत जोरों से विरोध हुआ कि इस विधेयक के द्वारा डीजल आयल पर टैक्स लगाया जायगा। या तो हमारे माननीय सदस्य चाहे विरोध करने की कोई चीज न हो फिर भी विरोध करने के लिये उसका विरोध कर रहे हैं या कोई भ्रम है जिसकी वजह से वे विरोध कर रहे हैं। यहां पर तो यही साबित होता है कि उनके समझ में हर एक चीज का विरोध अवश्य करना चाहिये। खास तौर से ऐसे विधेयक का जिसमें ऐक्ट का कोई नाम आया हो विरोध करते हैं। किन्तु यदि ठीक न चिपके तो भ्रम समझा जाय, यह न समझा जाय कि विरोध-विरोध के लिये है, मेरी समझ में नहीं आता कि मोटर स्प्रिट की परिभाषा से डीजल आयल को बाहर करने से उनको क्या आपत्ति हो सकती है तथा उन लोगों को कैसे नुकसान है जो गरीब काश्तकार ट्रैक्टर चलाते हैं। जरा समझें विधेयक को और

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

जरा समझें संशोधन को कि क्या मतलब है इसको प्रवर समिति में भेजने से। श्रीमन्, माननीय मंत्री बतला चुके हैं कि मोटर स्प्रिट की परिभाषा से डीजल आयल को निकालने के माने यह होते हैं कि डीजल आयल को मोटर स्प्रिट न समझा जायगा और उसी के बाद माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि और दूसरा जो संशोधन है उसके द्वारा यह हो सकता है कि मोटर स्प्रिट पर टैक्स बढ़ाया जाय। तो जहां पर मोटर स्प्रिट पर टैक्स बढ़ाने की बात है उसी समय वे यह भी कहते हैं कि डीजल आयल को उसकी परिभाषा से निकाल देंगे जिससे मोटर स्प्रिट पर जब टैक्स लगाया जाय तो डीजयल आयल पर टैक्स न लगा सके। किन्तु कहा यह जाता है कि गजब हो गया, अन्धेर हो गया उन गरीब काश्तकारों के साथ जो कि ट्रैक्टर द्वारा अपनी खेती करते हैं। कहां एक तरफ तो यह कहा जाता है कि जमीन का बटवारा होना चाहिये जिसके द्वारा fragmentation of land अवश्य होगा और कहां आज बड़े-बड़े फार्मों के लिये तथा उन पर ट्रैक्टर चलाने वाले काश्तकारों के लिये माननीय सदस्य तरमीम पर आंसू बहा रहे हैं। मोटर स्प्रिट पर टैक्स बढ़ेगा और सरकार अधिकार ले रही है कि चाहे जितना टैक्स लगा दे तो सवाल यह है कि कितना बढ़ा दिया जायगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि मोटर स्प्रिट का प्रयोग तो एक लगजरी है और यह एक लगजरी का आर्टिकिल है और इस पर जितना टैक्स लगाया जाय अच्छा है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज सन् ५७ में मोटर स्प्रिट लगजरी का आर्टिकिल नहीं है, हो सकता है वह सुरेश प्रकाश के लिये हो या राजा साहब मनकापुर के लिये हो, लेकिन जहांतक सरकार का और उसके काम का संबंध है और जहां तक डेवलपमेंट के काम का सवाल है जिससे जनता का लाभ हो रहा है वहां मोटर स्प्रिट आज हरगिज आर्टिकिल आफ लगजरी नहीं है। कोई सीमा न रखते हुये अगर टैक्स बढ़ाया जाता है और सदन सरकार को अधिकार देता है कि वह टैक्स जितना चाहे लगा सके तो इसके विरोध न करने का मेरा एक ही कारण है और वह यह है कि सरकार स्वयं कभी ऐसा न करेगी कि वह इतना टैक्स लगा दे, कि उसके कारण सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ही खत्म हो जाय। वह ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि Boomerang की तरह वह अपने ऊपर ही वापस आता है। इसका कारण यह है कि सरकार स्वयं अपने डेवलपमेंट के कामों में लाखों मन पेट्रोल खर्च करती है। मान लीजिये इस वक्त दो आने रुपये का पेट्रोल टैक्स है और उसको बढ़ा कर सरकार १२ आने या एक रुपया कर दे तो जहां पर डेवलपमेंट के कामों में उसका एक करोड़ रुपया व्यय हो रहा है वहां क्या सरकार टैक्स बढ़ाकर यह करेगी कि एक तरफ तो वह अधिक टैक्स में पैसा वसूल करे और फिर दूसरी तरफ अधिक व्यय करे इस मद में, मेरी समझ में। यह बात नहीं आती कि ऐसा किया जायगा, इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। मोटर स्प्रिट पर यदि कुछ टैक्स बढ़ जायगा तो लोग मोटर पर चढ़ना छोड़ देंगे या टैक्स पेयर की कमर टूट जायगी यह मैं नहीं मानता। कहा गया है कि डीजल आयल पर टैक्स लगाया गया तो ९ पिछले वर्षों का टैक्स लग जायगा। शायद माननीय सदस्य को नहीं मालूम कि सरकार का एक्साइज विभाग डीजल आयल पर टैक्स नहीं ले रहा है और जब ऐसा कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो ९ साल पीछे से कैसे लग जायगा और जो टैक्स लिया जा रहा है वह सेल्स टैक्स विभाग द्वारा, तो फिर पिछले ९ वर्षों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

एक सदस्य—नाम लेकर समझाइये।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—मेरी समझ में नहीं आता कि मैं बार-बार नाम लेकर किनको-किनको समझाऊंगा जबकि सब नासमझ बैठे हैं।

श्रीमन्, कहा जाता है कि खाद्य समस्या और उत्पादन पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा और नुक्सान हो जायगा और काटेज इंडस्ट्री पर भी बड़ा बुरा असर पड़ जायगा। भवन के बाहर बड़ा शोर मचाया जायेगा कि देखो गरीब जनता पर बड़ा टैक्स लगाया जा रहा है। उनसे कहा जायेगा कि तुम ने हमें वोट दे कर भेजा है और हम ने तुम्हारी ओर से टैक्स का बहुत विरोध किया, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं मानी। लेकिन, श्रीमन्, गरीब किसान पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा और न इस तरह का कोई टैक्स इस विधेयक द्वारा लगाया ही जा रहा है। यह तो केवल इनकी जगलरी आफ वर्ड्स है। बाहर जाकर देखा जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि कौन जनता की आंख में धूल झोंक रहा है। इस ओर के माननीय सदस्य भी इस विधेयक को पढ़ सकते हैं और जनता को समझा सकते हैं और उस ओर के सदस्य भी विधेयक को देख सकते हैं। और इसमें क्या है यह सब जनता को समझा सकते हैं। किन्तु वास्तविकता क्या है इसको जनता खूब समझती है। यहां पर यह कहना कि इस विधेयक द्वारा बड़ा गजब हो जायगा और काटेज इंडस्ट्री खत्म हो जायगी और खाद्य समस्या बड़ी विकट हो जायगी, अगर इस टैक्स को लगाया गया, क्योंकि यह टैक्स ट्रैक्टर्स में चलने वाले डीजल आयल पर लगेगा जिससे इस प्रदेश का गरीब काश्तकार मर जायगा, कहां तक न्यायसंगत तथा उचित है।

श्रीमन्--जिस देहात की जनता ने हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को यहां भेजा है उन्हें माननीय सदस्य गलतफहमी में रख कर यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि उनके प्रयोग की सामग्री पर सरकार टैक्स लगा रही थी जिसका उन्होंने घोर विरोध किया। जनता भी इस भ्रम में रहेगी इन्होंने हमारे लिये वहां क्या किया। वह तो समझेंगे कि टैक्स लग रहा था। वह कहेंगी कि हमने माननीय सदस्य, फैजाबाद को ग्यारह या बारह हजार वोटों से जिताया। तो उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन कर दिया। किन्तु वह बेचारे क्या जानते हैं कि यहां पर बिलकुल गलत चीज पर माननीय सदस्य ने एक विवाद उठा कर उससे गलत फायदा उठाना चाहते हैं। वह बेचारे यह कहां समझ पाते हैं।

गरीब जनता बेचारी यह कहां से समझ सकती है कि डीजल आयल पर टैक्स नहीं लग रहा था। वास्तविकता यह है कि डीजल आयल को जो पैट्रोल पर और अधिक टैक्स लगने जा रहा है उससे बचाया जा रहा है। माननीय सदस्य, फैजाबाद के अपने कार्यकर्त्ता भी होंगे। उनके क्षेत्र में कल ही ढोल पीटी जायगी कि हम गरीबों की सारी रोजी और जिन्दगी जिस विधेयक से छिन रही थी उस पर संशोधन लाये और उस विधेयक को अगर रोक नहीं सकते तो पारित होने में देर ही लगा दी और यह उनका हक भी है। कल ही ढोल पीटा जायगा (शोर) उन गरीब काश्तकारों से कहा जायगा कि जिससे तुम्हारा ट्रैक्टर चलता है, जो तुम फैजाबाद से खरीद कर लाये हो, बड़ा गजब हो गया, उस पर सरकार टैक्स लगाने जा रही थी और लगा दिया होता अगर माननीय सदस्य फैजाबाद न होते। किन्तु वास्तविक बात यह है कि सरकार ने इसकी चेष्टा की है कि जब मोटर स्प्रिट पर हम टैक्स बढ़ावें तो श्रीमन्, माननीय सदस्य, फैजाबाद और माननीय सदस्य, लखीमपुर, और माननीय सदस्य, गोंडा सुन लें, सरकार ने इसका प्रयत्न किया है कि जब हम मोटर स्प्रिट पर टैक्स बढ़ावें उसमें कहीं ऐसा न हो कि उस बड़ी गरीब जनता का गला घुट जाय और डीजल आयल पर टैक्स लग जाय।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री सुरेशप्रकाशसिंह--मैं नहीं बैठूंगा।

श्री अधिष्ठाता--(खड़े हुए सदस्य से) बैठिए।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह--जब तक प्वाइन्ट आफ आर्डर न हो मैं हर्गिज नहीं बैठूंगा।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सुरेशप्रकाश, आप एक मिनट के लिये बैठ जाइये।

[श्री अधिष्ठाता]

(खड़े हुए सदस्य से) देखिये, जिस वक्त स्पीकर खड़ा हो तो मैं यह मुनासिब समझता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिये कि सब साहबान जो इस वक्त हाउस में हों, चाहे सरकारी पक्ष के या विपक्ष के, उन सबको अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिये।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—उधर के लिये भी यह लागू हो।

श्री अधिष्ठाता—मैंने दोनों के लिये कहा।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—पहले आप उनको समझाइये।

श्री अधिष्ठाता—खामोश रहिये।

इस सदन का मान रखना, इस सदन में आर्डर रखना, यह मेरा और आप का, सबका फर्ज है। आप जो मुझे पावर्स देते हैं वह केवल सदन में अमनोअमान और शांतिपूर्वक यहां की प्रोसीडिंग्स चलाने के लिये देते हैं। मैं समझता हूं कि आप सब साहबान को मेरी इसमें मदद करनी चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि प्वाइन्ट आफ आर्डर को मिसयूज नहीं करना चाहिए। यूं तो हर माननीय सदस्य का अधिकार है कि प्वाइन्ट आफ आर्डर को उठाये और उसको सबसे पहले प्रायरिटी दी जाय; लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिये। अगर वास्तव में माननीय सदस्य यह समझते हों कि प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, तो उनको प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाना चाहिये। अगर वह प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज भी करते हैं तो दूसरे सदस्य जो उस वक्त हाउस में भाषण दे रहे हों, चाहे वह प्वाइन्ट आफ आर्डर कितना ही नाजायज हो, कितना ही गलत हो, उनको भी अपना स्थान ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि यह स्पीकर का अधिकार है कि यह तय करे कि प्वाइन्ट आफ़ आर्डर ठीक है या नहीं। इन बातों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप प्वाइन्ट आफ आर्डर का बार-बार इस्तेमाल न करें जब तक कि आप वाकई तौर पर उसका जायज इस्तेमाल न समझते हों।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से क्षमा मांगता हुआ अत्यन्त नम्रतापूर्वक एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं, और वह इसलिये कर रहा हूं कि हमारे बहुत से मित्र नये आये हैं। मेरा यह हक है कि जब मैं बोल रहा हूं और कोई माननीय सदस्य खड़े हो जायं, उस समय मैं अपना स्थान ग्रहण करूं या न करूं, किन्तु यदि प्वाइन्ट आफ आर्डर पर वह खड़े होंगे तो मैं अवश्य ही अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा और यह चेयर के ऊपर है कि उस पर कोई व्यवस्था दे। किन्तु मेरा यह हक है, और इसीलिये मैं खड़ा रहा हूं और रहूंगा, अगर कोई प्वाइन्ट आफ़ आर्डर उपस्थित न हो। अगर माननीय सदस्य मुझे रोकना चाहते हैं तो केवल उनके पास एक ही तरीका है, प्वाइन्ट आफ़ आर्डर का, अन्यथा मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ मैं कहता हूं उसके जवाब में आपके पास कहने को कुछ नहीं है, आप केवल मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हैं।

जहां तक विधेयक का सवाल है मैं बहुत कुछ कह चुका हूं और अब अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर—अधिष्ठाता महोदय, अभी आपने .....

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य किस अधिकार से खड़े हुये हैं। क्या प्वाइन्ट आफ आर्डर किया था?

श्री अधिष्ठाता—स्पीकर से कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—श्रीमन्, अब यहां डिबेट चल रही है और वह एक दफा बोल चुके हैं, इसलिये दोबारा नहीं बोल सकते। अगर प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया है तो बोल सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी यहां पर यह प्रश्न था, आपने एक व्यवस्था दी कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो और कोई प्वाइन्ट आफ़ आर्डर उठावे, चाहे रेलीवेंट हो या इर्रेलीवेंट हो, यह स्पीकर तय करेगा। अभी हमारे माननीय सुरेश प्रकाश जी ने बताया था कि नये सदस्य चुनकर आये हैं इसलिये उनसे गल्ती हो सकती है, तो क्या मैं उनसे पूंछ सकता हूं कि आपकी व्यवस्था के पश्चात् जब कोई सदस्य प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाता है तो माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं नहीं बैठूंगा, क्या यह अनुकूल है?

श्री अधिष्ठाता—आप उनसे पूछ रहे हैं, यदि वे चाहें तो जवाब दे दें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत बिल पर माननीय सदस्यों के विचार इस सदन में उपस्थित हुये हैं। जो दलीलें और तकरीरें इस तरफ से और उस तरफ से हुई हैं मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं जिसको सदन के दोनों तरफ के लोग पसन्द करेंगे। कोई भी टैक्स जो सरकार जनता पर लगाती है, उस टैक्स का बड़ी खुशी के साथ कोई भी स्वागत नहीं करता। परन्तु मुल्क की व्यवस्था के लिये हमारी सरकार के पास कोई इतना अतुल धन नहीं है कि बिना टैक्स लगाये सरकार मुल्क की व्यवस्था कर सके। अनप्लेजेंट ड्यूटी होते हुये भी माननीय सदस्यों को उस पार से और इस पार से इस बात को ग्रहण करना होगा और सहन करना होगा कि टैक्स को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुल्क की अगर व्यवस्था करनी है तो उसके लिये धन की आवश्यकता पड़ेगी ही। इसीलिये श्रीमन्, खासकर जब कि माननीय सदस्यों को अपने वोटरों के पास जाना पड़ता है तो किसी को भी यह अच्छा नहीं लगता है कि वह टैक्स लेकर जनता के पास जाय। लेकिन यह बुरी बात होते हुए भी हम समझते हैं कि जब इस मुल्क की व्यवस्था करने के लिये हम यहां बैठे हैं तो हर माननीय सदस्य का कर्त्तव्य हो जाता है कि बड़ी गम्भीरता के साथ मुल्क के प्रश्नों पर विचार करे और केवल तर्क के खातिर तर्क न दे। आर्ग्यूमेंट के लिये आर्ग्यूमेंट हम न दें और समय को जाया न करें। इस टैक्स के मुताल्लिक यह कहा गया है कि इसका इंसीडेंस जनता पर पड़ता है। मैं पूछता हूं कि कौन सा ऐसा टैक्स आज तक गवर्नमेंट ने लगाया है जिस टैक्स का इंसीडेंस जनता पर नहीं पड़ रहा है? यह किसने इन्कार किया, किसने कहा कि टैक्स का इंसीडेंस, उसका असर, जनता पर नहीं पड़ता है? कोई भी टैक्स हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर टैक्स का असर जनता के ऊपर पड़ता है। तो यह दलील पेश करना कि इसका असर जनता पर पड़ता है, यह दलील बेअसर है। टैक्स असरदार है और जो दलील दी गई है वह बेअसर है। उसमें केवल इतना देखने की जरूरत है कि वह टैक्स जिस वस्तु पर लग रहा है, जिस आइटम पर वह टैक्स लगाया जा रहा है वह आइटम ऐसा है या नहीं कि जो प्राफिटेबुल हो, जिससे जनता की आमदनी बढ़ती हो।

अगर डीजल आयल के इस्तेमाल से, स्पिरिट के इस्तेमाल से, जनता अपनी इनकम के रिसोर्सेज को डेवलप करती है तो सरकार अगर उस बढ़ती हुई आमदनी में से एक छोटा सा भाग उसका ले लेती है तो सरकार कोई ज्यादती जनता के प्रति नहीं करती है और सरकार जितने कदम उठाती है अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिये, और जो छोटे-मोटे टैक्सों को लगाती है, उसमें कोई ज्यादती नहीं है। मैं इस बात को, इस दलील को मानता हूं कि अगर इस टैक्स के लगा देना से जनता की इनकम इतनी खत्म होती है कि जितना टैक्स सरकार की ट्रेजरी में जाता है उससे ज्यादा नुक्सान उसको प्रोडक्शन में होता है तो, इस सरकार को टैक्स, टैक्सेशन के प्रिंसिपल के मुताबिक जस्टीफाइड नहीं है और उस टैक्सेशन का अपोजीशन होना चाहिये। वह टैक्स नहीं लगना चाहिये जिससे कि जनता की उत्पादन शक्ति में इतना अन्तर हो जाय। केवल यही एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिससे कि आप उस टैक्सेशन को अपोज कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की दलीलें और तकरीरें इस सदन में पेश की गई

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हैं, मैं समझता हूं कि उन दलीलों और तकरीरों के अन्दर कोई भी प्रिंसिपल टैक्सेशन के निहित नहीं हैं और न कोई सिद्धांत उन्होंने बतलाये। यहां इस सदन के अन्दर माननीय सदस्य जनता के विश्वास को लेकर दाखिल हुये हैं और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है कि वह जनता की व्यवस्था करेंगे। तो अगर रुपया नहीं होगा, खजाना नहीं होगा, तो क्या आप यह समझ सकते हैं कि आप इस मुल्क की व्यवस्था करने में सफल होंगे ? अगर आपको मुल्क के रिसोर्सेज को डेवलप करना है तो आपको अनप्लेजेंट होते हुये भी इस ड्यूटी को करना होगा। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि दलील और तकरीर को केवल दलील और तकरीर की खातिर उपस्थित न करें। हम देखें कि इसके अन्दर तथ्य क्या है।

जहां तक माननीय सदस्य का यह तर्क है कि सरकार को अनलिमिटेड पावर न दी जाय तो अगर सरकार को टैक्सेशन बनाने के पावर्स दिये जाते हैं तो उसके लिमिटेशंस अवश्य होने चाहिये, कोई निरंकुशता नहीं होनी चाहिये। अगर कोई आदमी उस पावर का दुरुपयोग करना चाहे तो यह गुंजायश नहीं होनी चाहिये कि वह उस पावर को मिसयूज कर सके। पावर वहीं तक दी जानी चाहिये जहां तक कि उसके दुरुपयोग किये जाने की कोई पासिबिलिटी न रहे, बल्कि इस प्रकार की पासिबिलिटी को कानून के द्वारा खत्म किया जाता है जिससे जनता में उस प्वाइंट को लेकर बदअमनी फैलने का कोई डर हो। कोई बात अनिश्चित नहीं रहनी चाहिये और अगर कोई अनिश्चितता है तो उसको उस बिल की धारा में अमेंडमेंट करके खत्म किया जा सकता है।

इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों की उजरदारी थी कि यह टैक्स तो लगाना ही नहीं चाहते। जब आप का तर्क और दलील यह हैं कि टैक्स लगाना ही नहीं चाहते तो आप का प्रस्ताव प्रवर समिति को भेज दिया जाय, यह बिल्कुल अनटेनेबिल है, अनरीजनेबिल है। इसके अन्दर कोई तथ्य नहीं है। जो साहब कहते हैं लगाना चाहिये, ठीक है लगाना चाहिये। लेकिन सरकार की पावर की लिमिट होनी चाहिये और उस लिमिट को अमेंडमेंट के द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, इंश्योर किया जा सकता है, ऐश्योर किया जा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब तक यह न बताया जाय कि इसके अन्दर एक नई धारा होनी चाहिये थी, जिस धारा में ऐसा प्राविजन हो जो अमेंटमेंट के द्वारा एक्सरसाइज्ड धारा में नहीं लाया जा सकता है तब तो ग्राउंड बनाया जा सकता है कि उसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। वह कौन सा अमेंडमेंट है जो एक्सर-साइज्ड धाराओं में अमेंटमेंट के द्वारा लाना नामुमकिन है ? अगर अमेंडमेंट के द्वारा प्राविजन लाया जा सकता है तब तो प्रवर समिति में इस बिल को भेजना कोई मानी नहीं रखता। अगर कोई ऐसी धारा इनकांसिस्टेंट आफ दी स्प्रिट आफ दी ऐक्ट हो; और अमेंडमेंट द्वारा कांसिस्टेंट नहीं बनाई जा सकती, तब तो इस सदन में यह कारण दिया जा सकता है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। लेकिन सही तरीका न सोच कर तोड़ मरोड़ कर बात रखना कुछ न्यायसंगत नहीं मालूम होता। किसी भी पढ़े लिखे और विद्वान आदमी को, जैसे कि इस सदन के माननीय सदस्य हैं, खोखले तर्कों को छोड़ देना चाहिये। हमारी राय इस कुर्सी पर बैठने में और उस कुर्सी पर बैठने में तब्दील नहीं होना चाहिये। कुर्सी चेंज करने से हमारी राय चेंज नहीं होनी चाहिये। बुद्धिजीवी लोगों को अपने तर्क के द्वारा एक कामन सिद्धान्त पर आ ही जाना चाहिये। आखिर वह तर्क क्या है, बुद्धि क्या है जो कामन ग्राउन्ड नहीं ढूंढ सकते, जिस पर हम दोनों पार्टीज के लोग सही और सच्ची बात को नहीं कह सकते ? यह तो होना ही चाहिये। बुद्धिजीवी लोग यही कहा करते हैं कि कोआ-परेशन और संगठन से काम होना चाहिये।

इन बातों कहते हुए मैं दरख्वास्त करता हूं कि हाउस के दोनों तरफ की पार्टीज इस पार हों या उस पार---गवर्नमेंट कोई कदम सही उठाती है तो उसका सम्मान करें और लमिटेशन की जो बात कही गयी उसका मैं समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो प्रवर समिति के सुपुर्द इस विधेयक को करने के लिये कहा गया है तो उस पर इस तरह स कुछ लोगों ने बतलाया कि डीजेल आयल से चलने वाले ट्रैक्टरों के लिये बड़ी मुश्किल हो रही है। उस पर उधर से एक सदस्य ने कुछ कहा कि ट्रैक्टर्स को बड़े-बड़े किसान ही चलाते हैं, जिनके पास बड़ी-बड़ी ज्यादातर जमीनें हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ठेले, जिन पर कि गल्ला ढोया जाता है, जिन पर कपड़ा ढोया जाता है या रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें ढोई जाती हैं, जिनको हर खास व आम और हर शख्श इस्तेमाल करता है, वह क्या डीजेल से नहीं चलते हैं? अगर उन पर टैक्स बढ़ाया जाता है तो लामुहाला जो चीजें ढोयी जायंगी, उन पर भी असर पड़ेगा और हर एक खास व आम पर पड़ेगा। यह कह देना कि टैक्टर चलाने वाले पर असर पड़ेगा, बड़े-बड़े किसानों पर पड़ेगा, मेरी नजर में यह चीज बहुत जचती नहीं। (विघ्न) जब कुछ लोग कुछ बात कह रहे हैं तो मुझे जरूर सुनना चाहिये कि मैं उसका जवाब तो दे सकूं। तो कहने का मतलब मेरा यह था कि दूसरी चीज जो अभी एक सदस्य महोदय ने कही कि प्रवर समिति में इसे देने की क्या जरूरत है, इसमें अमेंडमेंट आ सकता है, तो प्रवर समिति में देने के लिये जो सुझाव दिया गया है वह महज सदन का समय बचाने के लिये दिया गया है। अगर बहस इस तरीके की रहेगी तो समय ज्यादा खर्च होगा, बेकार की बातें होंगी, हुल्लड़ मचेगा, जैसा कि अभी आपके सामने हुआ, और आप को भी रूलिंग देनी पड़ी, लिहाजा इन सब चीजों को बचाने के लिये यहां प्रवर समिति की बात कही गयी है और इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का, जो हमारे श्री अवधेश प्रताप सिंह का है, उसका समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव—अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में जो भाषण हो रहे हैं, उनको मैंने सुना, लेकिन मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि भाषण करने वाले महानुभावों ने शायद इस विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्य को पढ़ने, उसे थोड़ा मनन करने का प्रयत्न नहीं किया। यदि वह उद्देश्य तथा कारणों की ओर दृष्टि डालें तो यह कोई नया कर लगाने का प्रश्न नहीं है। यह तो थोड़ी सी टेक्निकल जो एक कठिनाई है, उस को दूर करने का प्रयत्न है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यदि उस परिस्थिति को समझ लेंगे तो उनके दिल में जो भ्रम है वह दूर हो जायगा।

वस्तुस्थिति यह है कि यूनाइटेड प्राविंसेज सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ में जो बनाया गया, वह मोटर स्पिरिट पर जो रिटेलर्स थे, जो फुटकर बेचने वाले लोग हैं, उनके जरिये से उस पर टैक्स वसूल करने का उसका लक्ष्य था। परन्तु इस दौरान में इस ऐक्ट पर गौर करने से यह मालूम हुआ और सरकार को यह पता लगा कि वस्तुतः मोटर स्पिरिट में डीजेल आयल तो आता है, लेकिन डिजेल आयल रिटेलर्स के जरिये बिकता ही नहीं, इस लिये कानून की वजह से उस पर से टैक्स छुट जाता है। तो इस विधेयक का लक्ष्य केवल यह है कि एक तो उस परिभाषा में से डीजेल आयल को निकाल लिया जाय ताकि जो टैक्स लगाने की मंशा थी वह रिटेलर्स की मार्फत न बिकने के कारण टैक्स से बच जाते थे। इस परिभाषा में में जो १९३९ की परिभाषा थी, उसके लक्ष की पूर्ति की जाय। विपक्ष की तरफ से या अन्य माननीय सदस्यों की ओर से जो यह भाव प्रकट किये गये कि टैक्स का बोझा जनता के ऊपर कम से कम पड़ना चाहिये, मैं इस भावना का आदर करता हूं। मेरे प्रगतिशील राजा लोग, जिन्होंने इस प्रजा की बात को उठाया उन राजा महानुभावों से मेरा कहना यह है कि आज देश में यह करीब-करीब निश्चित हो चुका है कि हमारे देश की 'कृषि ट्रैक्टर, के सहारे नहीं चल सकती है, आज देश की जोत जो खंडित है उसमें ट्रैक्टर का उपयोग नहीं होगा। मुमकिन है कुछ प्रगतिशील पार्टी के राजा लोग इसका उपयोग कर रहे हों, लेकिन जनता जनार्दन यानी किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, इसलिये जनता की आड़ में इस चीज को उठाना मेरे ख्याल से लक्ष्य नहीं है बल्कि वह जनता की आड़ में अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

दूसरी बात मैं आप से यह कहना चाहता था, और मैं इस बात को वैसे मानता हूं और आपको मालूम भी होगा, कि समय-समय पर मैंने सदन में बिजली के बढ़े हुये कर का घोर विरोध भी किया है क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस देश में सस्ती बिजली जनता को उपलब्ध होनी चाहिये। आखिर इस देश में जिसमें ९९ प्रतिशत लोग गरीब हैं, अगर कोई भी टैक्स लगता है तो उसका असर गरीबों पर ही पड़ता है। आखिर इस देश के निर्माण के लिये, शिक्षा के लिये और अन्य विकास कार्यों के लिये पैसा कहां से आये? आप चाहते हैं कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्स पर से टैक्स हटा लिया जाय, आबपाशी वाला टैक्स बंद किया जाय, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दी जाय, इस प्रदेश में किसी की भी १०० रुपये से कम तनख्वाह न हो, यह सब चीजें मैं मानता हूं कि देश की प्रगति के लिये, देश के उत्थान के लिये, होनी चाहिये और यह लक्ष्य हमारा भी है और इसकी ओर हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पैसे कहां से आयेंगे? जिस वक्त डीजेल से खेती करने वाले लोगों पर असर पड़ा तो वह चिल्लाते हैं कि यह टैक्स नहीं लगना चाहिये। हालांकि यह टैक्स कोई नया नहीं लग रहा है। यह तो १९३९ से लगा हुआ है। इसमें केवल एक टैक्नीकल खामी है जिसकी वजह से टैक्स से लोग बच गये हैं, उसकी पूर्ति के लिये यह प्रस्तुत किया गया है।

एक बात और मेरे भाई ने कही और मैं उनकी भावना से बिल्कुल सहमत हूं कि जो भी टैक्स लगे उसको अंधेरे में नहीं लगना चाहिये, मैं उनकी इस भावना का आदर करता हूं। विरोधी दल के सदस्यों के जो भाषण हुये हैं उनमें एक विरोधाभास है। एक तरफ तो वे कहते हैं कि डीजेल आयल पर टैक्स लगाना जनता के हित में नहीं है और दूसरी तरफ़ यह कहते हैं कि इसको प्रवर समिति को भेज देना चाहिये। प्रवर समिति को भेजने का मतलब ही यह है कि हम उसके आधारभूत सिद्धान्त को मानते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---वैधानिक प्रश्न। मैं आप का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस सम्बन्ध में कल भी आप व्यवस्था दे चुके हैं, पहले अधिष्ठाता महोदय भी व्यवस्था दे चुके थे और कई बार अध्यक्ष महोदय ने भी व्यवस्था दी थी कि जब तक संशोधन सदन में पेश न हो जाय और सामने न हो तब तक संशोधन पर वाद-विवाद नहीं हो सकता। माननीय विभव जी ने इस नियम के विरुद्ध संशोधन पर वाद-विवाद प्रारम्भ कर दिया है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या उन्हें इस प्रकार वाद-विवाद करने का अधिकार है?

श्री अधिष्ठाता--माननीय विभव जी जरा ध्यान रखेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव---मैं तो विधेयक के उद्देश्य और कारणों को बताये हुये यह कह रहा था कि प्रवर समिति को भेजने का जो प्रस्ताव है उसके मैं विरुद्ध हूं और उसका कारण मैं बतला रहा था कि क्यों इसको प्रवर समिति के पास नहीं भेजना चाहिये। मैं नहीं समझा कि उसमें कौन सा प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि यह विरोधाभास है कि एक तरफ तो यह कहा जाय कि डीजेल आयल पर टैक्स लगाना ही नहीं चाहिये और दूसरी तरफ यह कहना कि प्रवर समिति को भेजना चाहिये। मैं समझता हूं कि उनको सीधा विरोध करना चाहिये था कि इसको हम नामंजूर करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेजने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)---चैयरमैन महोदय, देर से जो स्पीचेज इस टैक्सेशन के सिलसिले में हो रही हैं उनको बड़े गौर से सुनने के बाद मैं सिर्फ एक नतीजे पर पहुंचा हूं और वह यह है कि हमारी सरकार को दो चीजों की मीनिया हो गया है, एक टैक्स लगाने का और दूसरे परिभाषा का जब भी सवाल पैदा होता है तो हमारी सरकार किसी न किसी बहाने से कोई टैक्स लगा देती है। आज आपके सामने जो मसला है वह बड़ा सीधा सादा है कि

आया डीजल आयल पर टैक्स लगा है या नहीं ? एक तरफ तो हमारी सरकार कोई राय नहीं कायम कर पाती, कोई बात समझने की कोशिश नहीं करती, और जब इधर से एतराज किया जाता है तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि टैक्स पहले से ही लगा हुआ है, हमको तो सिर्फ परिभाषा दुरुस्त करनी है। अगर यही बात है तो मेरे खयाल में सरकार ने जिस शक्ल में यह बिल पेश किया है वह बिलकुल गलत है। बजाय इसके, जहां पर मोटर स्प्रिट की डेफ़िनीशन मौजूद है या अगर ऐक्ट में नहीं मौजूद है तो उन्हें सीधे से मोटर स्प्रिट की डेफ़िनीशन में डीजल आयल और शामिल कर देना चाहिये। बरखिलाफ इसके सरकार ने यह तरीका इस्तेमाल किया है कि डीजल आयल पर टैक्स लगा दिया है और जनता के सामने जब यह चीज पेश होती है तो अपना मुंह छिपाने के लिये और जनता को धोखा देने के लिये उन्होंने यह बहाना निकाल लिया है कि यह तो पुराना लगा हुआ टैक्स है और हम इसी को कानून के शिकन्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसी के साथ-साथ हम लोगों की तरफ से एतराज किये जाने के जवाब में सरकार की तरफ से जो साहबान बोले हैं उन्होंने यह कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि विरोधी दल के लोग जो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो आये दिन यह कहा करते हैं कि नेसेसिटीज के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिये, लग्जरीज के ऊपर लगना चाहिये, वे इस बिल की मुखालिफत कैसे कर रहे हैं ? वह हमसे यह पूछना चाहते हैं कि जब लग्जरीज पर टैक्स लग रहा है, नेसेसिटीज पर नहीं लग रहा है तब आप क्यों इसकी मुखालिफत कर रहे हैं ? हम चाहते हैं कि हमारे और सरकार के दर्मियान का मुआहिदा हो जाय और वे नेसैसिटीज के ऊपर से टैक्सेज हटा लें, गल्ले के ऊपर से टैक्स हटा लें, शुगर के ऊपर से कपड़े के ऊपर से टैक्सेज हटा लें, तो मैं अपनी तरफ से और विरोधी दलों वालों की तरफ से उनको इस बात का आश्वासन देता हूं कि आप डिजेल आयल के ऊपर २ आने के बजाय ४ आने टैक्स लगा दें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। हमें सबक पढ़ाने के बजाय खुद जरा सोचें कि आपने नेसेसिटीज पर किस कदर टैक्सेज लगा रखे हैं। क्या आप को वह दिन याद नहीं है जब आप ने नमक पर भी टैक्स लगाया था और हम विरोधी दल वालों की मुखालिफत की वजह से ही आपको उस टैक्स को टैक्सों की फेहरिस्त में से काटना पड़ा था ? हर जरूरी चीज पर सरकार ने टैक्स लगाया है, लगाती चली जाती है और दावा भी करती जाती है कि हमारी जम्हूरी हुकूमत है और हम डिमोक्रेटिक प्रिंसिपिल्स पर हुकूमत करते हैं, लेकिन सरकार ने शायद डिमोक्रेसी की तारीफ नहीं पढ़ी है। डिमोक्रसी के माने हैं गवर्नमेंट आफ दि पीपुल, बाई दि पीपुल, एण्ड फार दि पीपुल। लेकिन सरकार (आफ दि पीपुल) तो मानती है (बाई दि पीपुल) कहती है लेकिन, (फार दि पीपुल) को पढ़ना नहीं जानती। जनता के लिये हुकूमत के माने क्या यह हैं कि आप जनता के ऊपर इस तरह से नैससिटीज पर टैक्स बढ़ाते रहें ? हमारे वे सदस्य जो मौजूद नहीं हैं उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले फरमाया था कि हम लोग जगलरी आफ वर्ड्स करते हैं और एक तरीके पर किसी तरीके से कायम नहीं रहते हैं, लेकिन वे खुद मुजरिम हो कर हमको सबक पढ़ाते हैं। वह लोग तो जो गालिबन खुद जगलरी आफ वर्ड्स करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन हम जो अपनी जगह जहां थे वहीं बैठे हुये हैं वे जगलरी आफ वर्ड्स करते हैं, यह कहा जाता है।

दूसरी बात यह कही गई कि बाज सूबों में इस बात को हाईकोर्ट में रिट के जरिये से चैलेंज किया गया है कि आया डिजेल आयल मोटर स्प्रिट की तारीफ में आता है या नहीं। मैं यह नहीं कहता कि आप डीजेल आयल को टैक्सेशन की लिस्ट से निकाल दीजिये। हमारी मांग है कि हम और आप बैठकर संजीदगी के साथ इस मसले पर राय कायम करें कि आया डिजेल आयल मोटर स्प्रिट की तारीफ में आता है या नहीं। लेकिन हमारी सरकार तो हेस्टी लेजिस्लेशन करने की आदी है, वह चाहती है कि बिल डेढ़ बजे पेश हो और साढ़े चार बजे तक पास हो जाय। हम नहीं कहते कि आप इस बिल को न पास कीजिये, लेकिन आइये, इस सदन के समझदार आदमी एक जगह बैठ कर संजीदगी के साथ गौर कर लें और अगर वहां मुखालिफत होगी तो फिर इसी फ्लोर के ऊपर डिस्कशन हो जायगा।

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

इन शब्दों के साथ यह हमारी निहायत सीधी सादी मांग है कि आइये, हम और आप बैठ कर सेलेक्ट कमेटी के अन्दर इस मसले पर गौर कर लें। इस बात के साथ मैं इस बात की पुरजोर ताईद करता हूं कि इस मसले को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अधिष्ठाता जी, इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के विरुद्ध माननीय देवकीनन्दन जी विभव ने जो भाषण दिया उसे सुन कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे उसमें न तो सिर का पता चला और न पूंछ का। वह शुरू से लेकर आखिर तक एक बंडिल आफ कंट्रैडिक्शन्स था।

हां, एक बात उन्होंने बहुत निष्पक्ष भाव से कही थी कि जो लोग इससे पहले भाषण दे चुके हैं उनमें से किसी ने भी, मालूम पड़ता है, इस बिल को पढ़ा नहीं है, क्योंकि १० हजार पन्ने की किताब है। कोई इसे कैसे पढ़ सकता है? लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने माननीय मन्त्री जी के बारे में भी कहा कि उन्होंने भी इस विधेयक को नहीं पढ़ा। इस निष्पक्षता के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

उसके बाद विभव जी कुछ दलीलों पर आये और खासकर प्रगतिशील राजाओं के ऊपर आये। मैं विभव जी से पूछना चाहता हूं और अन्य माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या राजा लोग प्रगतिशील नहीं हो सकते और अगर ये राजा लोग प्रगतिशील नहीं हो सकते हैं तो कांग्रेस के राजाओं का स्थान कहां है? या तो यह माना जाय कि कांग्रेस प्रगतिशील नहीं है या यह माना जाय कि प्रगतिशील कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी राजा रखे जाते हैं। लेकिन जब यह दूसरे दलों में रहते हैं तो कांग्रेस के कुछ महानुभावों को सौतिया-डाह हो जाता है। मैं माननीय विभव जी से खासतौर पर यह जानना चाहता हूं कि यह राघवेन्द्र प्रताप जी जो बैठे हैं वह आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं, प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं और माननीय विभव जी से बहुत पहले से कांग्रेस के एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और सचेतक रहे हैं, लेकिन चूंकि आज वह इधर आ गये इसलिये प्रगतिशील नहीं रहे। उस समय तक प्रगतिशील थे, अब नहीं रहे। कुंवर सुरेश प्रकाश जी यहां से उठ कर वहां बैठ गये, वह प्रगतिशील हो गये, लेकिन उधर से इधर जो आ जाय वह प्रगतिशील नहीं रहा। प्रगतिशीलता की यह परिभाषा मुझे आज ही मालूम हुई है। मैं माननीय विभव जी से उस डिक्शनरी को जानना चाहूंगा कि जिसमें प्रगतिशीलता की यह परिभाषा दी हुई है।

इसके अलावा माननीय विभव जी को जनता के प्रेम की ऐसी बाढ़ आई कि मुझे भय होने लगा कि इस बाढ़ में कहीं सदन न बह जाय। इतना अधिक प्रेम आया कि उन्होंने कहा कि अगर डिजल आयल पर टैक्स नहीं लगाया गया तो जनता का बड़ा अहित हो जायगा। शायद उन्होंने डिजेल आयल को लक्जरी समझा है .....

श्री देवकीनन्दन विभव—मैंने यह कभी नहीं कहा कि जनता का अहित हो जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—उन्होंने यह कहा कि अगर जनता पर यह टैक्स नहीं लगेगा तो कोई हानि होगी। इस विषय को भी मैं लेता हूं। डिजेल आयल के जरिये से जो लोग ट्रैक्टर्स चलाते हैं और जो खेती होती है, उससे खेती की पैदावार बढ़ती है या नहीं? और खेती की पैदावार बढ़ने से राज्य का और जनता का हित होता है या नहीं, यह मैं जानना चाहूंगा? आज शहरों के वह लोग जो खेती से कोई जानकारी नहीं रखते, बड़े-बड़े राजाओं और फार्म वालों को गालियां देना अपना फर्ज समझते हैं। मेरा खयाल यह है कि ट्रैक्टरों में डिजेल आयल इस्तेमाल करने वाले सदस्य इधर से ज्यादा उधर होंगे और इसलिये जनता का सवाल इसमें नहीं आता है। इसके

अलावा एक बात और है। मुट्ठी भर ट्रैक्टर चलाने वाले अगर इस का उपयोग करते हैं तो उनसे कितना रुपया वसूल होगा ? इसका विरोध स्वयं विभव जी ने किया। उन्होंने कहा कि जब बिजली की दरें बढ़ाई गईं तो उन्होंने खास तौर पर इसका जोरदार विरोध किया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिजली का उपयोग शहरों की जनता को छोड़ कर देहात की कितनी प्रतिशत जनता करती है और उससे जनता का कितना लाभ होता है ? वह तो केवल शहरों का मामला था। इसमें तो कुछ लाभ उनको हो भी सकता है। तो शहरों के मामले में तो जनता का प्रेम लबलबा पड़े और देहातों के लिये जनता का प्रेम कहीं भाग जाता है, यहां रहता ही नहीं ! इसलिये उनका भाषण एक कंट्रैडिक्शन्स का बंडल था। उसमें स्वयं माननीय विभव जी ने विरोधाभास की बात कही। उनके भाषण में विरोधाभास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह भी देखने की बात है कि अगर डिजेल आयल पर टैक्स न लगाया जाय तो सरकार की कितनी हानि होगी और अगर लगाया जाता है तो उससे प्रदेश की कितनी हानि होगी। यह हिसाब अगर माननीय मंत्री जी बता दें या विभव जी बता दें कि दोनों में कितनी हानि होती है तो मैं समझूंगा कि माननीय विभव जी की दलीलों में वास्तव में कोई अर्थ है, कोई सार है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में इस विधेयक के जाने का सामर्थन करता हूं। मैं बिल के उद्देश्य को गलत समझता हूं और मैं पहले उद्देश्य का विरोध करता हूं, लेकिन अगर वह विरोध नहीं चलता है तो मेरा दूसरा तर्क यह है, कि यह तो मेरे लिये डिफेन्स होगा, कि सेलेक्ट कमेटी में जाकर ऐसा संशोधन कर सकूं जिससे किसानों की, जनता की कम से कम हानि हो और कम से कम हानि कृषि की पैदावार की हो। इसमें मुझे कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता है, लेकिन विभव जी ने जो भी बातें शुरु से आखिर तक अपने भाषण में कहीं उनमें परस्पर विरोध की बातें ही कहीं गयीं। उनकी पहली दलील उनकी दूसरी दलील को काटती रही और उन दोनों दलीलों में आपस में विरोधाभास पैदा होता रहा। इस कारण इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री अवधेश प्रताप सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आज डेढ़ घंटे से इस सदन में इस डीजल आयल और मोटर स्पिरिट के सम्बन्ध में, इस विधेयक के बारे में जो बहस हो रही थी उसको बराबर सुनता रहा। साथ ही मैंने सरकार के पक्ष के लोगों की भी बातें सुनी हैं और विरोधी पक्ष के लोगों की भी बातें सुनी हैं। मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जिस समय सरकारी पक्ष से यह दुहाई दी गयी कि लग्जरी में डीजल आयल आता है। बार-बार इस प्रकार की सरकार के पक्ष की ओर से दुहाई दी गयी और उसमें धनुषधारी जी ने यह बात कहीं कि जो गरीब किसान होते हैं वह मोटर से नहीं चलते हैं, वह पैदल चलते हैं। मेरी समझ में धनुषधारी महोदय उस समय यह भूल गये कि जो किसान दिन भर मेहनत करता है और यदि वह पैदल दूर तक जाता है तो सुबह से शाम तक उस स्थान पर पहुंचता है और यदि वह मोटर से जाता है तो सिर्फ आधे घंटे में पहुंच कर अपने पूरे दिन का काम समाप्त कर लेता है। इस प्रकार से गांव की इकनामी मोटर के द्वारा अधिक सफल होती है। इस बात को भुलाकर सिर्फ यह कहा गया कि पैसे वाले व्यक्ति ही मोटर पर बैठते हैं, मामूली गरीब आदमी उस पर नहीं बैठते हैं। साथ ही बार-बार इस बात के उदाहरण भी दिये गये कि जब हम लोग लग्जरी की चीजों पर टैक्स लगाते हैं तब भी विरोधी पक्ष के लोग इस का विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि जब हम लोग खाने की चीजों पर, जो जीवन के लिये नितान्त आवश्यक चीजें हैं उन पर टैक्स न लगाने की आवाज उठाते हैं तब कह दिया जाता है कि इस समय पैसे की बहुत जरूरत है। किन्तु हम इस प्रकार के करों को सहन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के काम तो यह सरकार ही किया करती है। इसी सरकार के

[श्री मलिखानसिंह]

द्वारा, गांधी जी द्वारा चलाये गये साबरमती नमक आन्दोलन जिसमें हमारे हजारों व्यक्ति जेल गये थे, जिसमें हजारों माताओं बहनों की जेल के अन्दर हड्डियां तोड़ी गयी थीं, ताकत से मदान्ध होकर नमक पर टैक्स लगाया गया था। क्या उन्होंने वह गलतियां नहीं कीं? हम पर यह लांछन लगाया जाता है कि सिर्फ विरोधी पक्ष का काम विरोध करना है। मैं इस बात पर आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यदि पैसे का सदुपयोग हो, यदि राष्ट्र के उत्थान के लिये इस पैसे का सदुपयोग हो और राष्ट्र के उत्थान के काम में सरकार पैसे का सदुपयोग करने के लिये तैयार हो जाय तो हम देश के लिये खून तक देने के लिये तैयार हैं। लेकिन जब नाजायज टैक्स की बात आती है, उन गरीब किसान और मजदूरों के ऊपर टैक्स का भार डालने की बात आती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, तब कुछ पैसा कमाते हैं, उनके ऊपर जब नाजायज तरीके का टैक्स पड़ता है तो उस समय विरोध का प्रश्न पैदा होता है। सरकार के लिये तो यह टैक्स लगाने का एक नया जरिया बीच में पैदा हो गया। गांवों में उद्योगों के सम्बन्ध में विभव जी ने यह कहा कि वहां पर बिजली का रेट कम किया गया है तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर कितनी बिजली पहुंच चुकी है और कहां-कहां पर बिजली की चक्की चल रही है और कहां-कहां पर बिजली के छोटे उद्योग-धन्धे चल रहे हैं। उनको यह मालूम नहीं है कि यह सारी की सारी योजनायें थोड़ी सी जगहों पर ही पहुंची हैं। देहात में नहीं पहुंची हैं। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, हमारी सरकार बिजली पर टैक्स कम करती है और डीजल आयल पर लगाती है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि बिजली का टैक्स, शहर के लोग ही, सरमायेदार ही देते हैं। किसान और मजदूर की हर आवश्यक चीज पर जिसका असर पड़ता है, उसके आयात और निर्यात पर जिस चीज के ऊपर टैक्स लगाने से भारी बोझ पड़ता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, यह नहीं होना चाहिये। इस विधेयक में तो टैक्स कोई सीमा ही नहीं रखता है। उसके बारे में माननीय रावत जी का भाषण भी पूरा हो जाता है कि टैक्सेशन की सरकार की कुछ सीमा होनी चाहिये। यह बात प्रवर समिति में ४, ६ लोग बैठ कर अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि हम सरकार को कितना टैक्स लगाने का अधिकार दें। इसलिये मैं इस बात का पुनः समर्थन करता हूं कि यह बिल प्रवर समिति में जाय।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिये माननीय विभव जी से खूराक मिली। उन्होंने वकालत जब की कि डीजल आयल पर टैक्स लगाना चाहिये तो मुझे यह बात अस्वाभाविक नहीं मालूम हुई, क्योंकि मुझे बड़ी गलतफहमी विभव जी के बारे में थी। लेकिन जब मैंने फैक्ट्स फाइन्डिंग कमेटी के सदस्य की हैसियत से उनकी रिपोर्ट पढ़ी और उसमें उनके सुझावों को देखा तो मैं समझ सका कि अगर उनकी तरफ से इस तरह की बात कही जाय तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिये। उस कमेटी में वह उनकी अकेले की राय नहीं है। उनके साथ बैठने वालों में बड़े विश्वासपात्र लोगों की वह राय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डीजल आयल का इस्तेमाल ट्यूबवैल में भी होता है या नहीं, उनको मालूम है या नहीं, इस बात को जरा वे सोचें। पम्पिंग सेट जो पानी निकालने का काम करते हैं, उनमें भी इस्तेमाल होता है या नहीं? डीजल आयल का नाम सुनकर मुझे याद आ गया कि आज भी यू० पी० सरकार के काफी ऐसे ट्यूबवेल्स और पम्पिंग सेट हैं जो डीजल आयल से चलाये जाते हैं। बिजली से जो ट्यूबवेल चलते हैं उनके साथ उनके रेट में जमीन और आसमान का अन्तर होता है। मैं बहुत बारीकी में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतनी बात मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि अगर डीजल आयल पर टैक्स लगाकर उसकी कीमत बढ़ाकर पानी का रेट बढ़ता है तो उसका असर काश्तकार पर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अवश्य पड़ेगा। चाहे वह प्रगतिशील राजा लोगों की जमीन हो या विभव जी की हो या बिना जमीन वालों की हो या महीलाल जी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमीन हो, सब पर पानी के रेट का असर अवश्य पड़ेगा। तो इसलिये विभव जी जरा इस पहलू पर भी विचार करें और सोचें कि डीजल आयल पर कर बढ़ाया जाय या नहीं। प्रवर समिति में जाने से यह बात सब साफ हो जायगी कि डीजल आयल का असर कहां-कहां पड़ता है और आटा चक्की पर भी गांव में पड़ेगा या नहीं। गरीब लोगों के काम आने वाली चीजों पर कितना असर रखेगा, यह भी विभव जी को सोचना है। अगर सिंहानियां जी और कानपुर के करोड़ों रुपया खाने वाले लोग प्रगतिशील हो सकते हैं, लाख दो लाख नहीं, दस बीस लाख रुपया हजम करने वाले लोग, प्रगतिशील हो सकते हैं और कांग्रेस में दाखिल हो सकते हैं और कांग्रेस उनकी लाश को लेकर धो सकती है और डुग्गी पीट सकती है कि वे प्रगतिशील लोग हैं, देश द्रोही नहीं बल्कि देश हितैषी लोग हैं, तो इसमें शर्म करनी चाहिये।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—कानपुर के भैरोंघाट में वे लोग....

श्री गेंदासिंह—हमको तो ऐसा लगता है कि गंगाप्रसाद जी बगैर डीजल आयल का आटा खाये बातों का वजन हासिल नहीं कर सकते। गोंडे में उसी डीजल आयल से चक्की चलती है और उसी चक्की का आटा उन्हें खाना पड़ता है। तो मैं उनसे मेहरबानी करके यह सोचने को कहूंगा। क्योंकि मैं तो असल में बात कर रहा था कानपुर की, गोंडा की तरफ की कोई बात ही न थी। कानपुर की तरफ की बात कर रहा था कि अगर प्रगतिशील उनको समझा जा सकता है तो वे राजा नाम से भी शर्माने लगे हैं। कहते हैं कि राजा किसलिये कहते हो, थोड़ी सी जमीन रह गयी है। अगर आप प्रगतिशील बनना चाहते हैं, मैंने ईमानदारी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अवश्य ही सारा देश प्रगतिशील हो सकता है तो फिर रास्ता क्यों नहीं बनाती उधर की पार्टी? सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस पार्टी की है जिसके हाथ में सारे देश की हुकूमत है। प्रगतिशील बनाने की जिम्मेदारी इधर की भी है लेकिन जब गंगाराम जी के बिरादरी वालों को जमीन दी जाय, हम लोग इस प्रकार का प्रस्ताव करते हैं, तो वहां से जवाब मिलता है कि यह बेवकूफी की बात है और उस समय गंगाराम जी भी हाथ उठाते हैं कि ऐसा ही होना चाहिये, और ऐसा ही उधर बैठने वाले हरि प्रसाद जी भी करते हैं। वे कहते हैं कि गवर्नमेंट आफ यू० पी० कहती है कि जमीन का बटवारा नहीं होना चाहिये, इसलिये नहीं होना चाहिये। और कारण? कारण यह कि यहां जमीन ज्यादा नहीं है। जब घर में कमी होती है तो झगड़ा होता है और बटवारा होता है लेकिन वे कहते हैं कि कमी है इसलिये बटवारे की आवश्यकता नहीं है और उस वक्त जब हम इसका प्रस्ताव रखते हैं तो गंगाराम जी की बिरादरी वाले सब भाई हमारी मुखालिफत करते हैं। अब जरूर मालूम होता है कि बात कुछ समझ में आयी है। मैं कहता हूं कि राजा इधर नहीं हैं, उधर बैठे हुए हैं। राजा बिरला है, सिंहानिया हैं, डालमियां हैं, टाटा हैं, जो आपके दोस्त हैं। ये राजा नहीं हैं? उन राजाओं को आपने मौका दे रखा है कि वे देश की सम्पत्ति को बेदर्दी से लूट कर उसमें आग लगा दें। डीजल आयल के ऊपर दो-दो आने पैसे टैक्स लगा कर आप उसे खर्च करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि सोचने की तबियत आपकी है, आप इसको प्रगतिशील समझें या जो जी में आये समझें, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुल्क समझेगा कि कौन प्रगतिशील है। अब की मर्तबा कुछ समझ सका है, कुछ और समझ जायगा। आप मेहरबानी करके न समझिये। आप अपने को समझिये कि आप भगवान है, खुदा मियां हैं, आप समझते जाइये अपने को, फिर मुल्क समझ लेगा कि आप खुदा मियां हैं या कौन हैं।

मेहरबानी करके आप जरा सोचें कि डीजल आयल पर अगर आप कर लगायेंगे तो जो चक्की वाले हैं, पानी वाले हैं, या गरीब लोग जो कि ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, ट्रैक्टर तो श्री हरिसिंह के खेत में भी चल जायगा अगर होता खेत तो। तो ऐसी चीजों पर कर नहीं लगना चाहिये। कर लगाने वाली बात पूछेंगे तो इस वक्त ज्यादा वक्त लग जायगा इसलिये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं बतलाऊंगा कि कहां-कहां कर लगाना चाहिये, हम जानते हैं कि कहां-कहां

[श्री गेंदासिंह]

कर लगाया जा सकता है, लेकिन आप उसको छिपाते हैं, सरकार उसको छिपाना चाहती है, लेकिन वह चीज खुल जाती है। जब मौका आवेगा तो मैं बतलाऊंगा किसी दिन इत्मीनान के साथ आप बैठिये, श्री धर्म सिंह भी हैं और माननीय वित्त मंत्री जी भी हैं, और लोग भी हैं, किसी दिन बैठें तो मैं बतलाऊंगा कि इस-इस जगह से टैक्स लिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त डीजल आयल की बात है तो आप इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजिये, वहीं पर ठंडे दिल से विचार हो जायगा, अगर यहां पर न समझते हों तो हो सकता है कि वहां पर समझ में आ जाय। तो मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आज आपने मुझे इस विधेयक पर अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं बोलने को तैयार भी नहीं था, क्योंकि आज तक इस हाउस में हमारे पुराने साथी जो थे, जिनके लिये हमारे दिल में बड़ी श्रद्धा थी उन्होंने हमको विशेषकर बोलने के लिये उतारू किया, नहीं तो हम देख रहे थे कि अभी तक उस ढंग का वातावरण नहीं आया कि हम प्यार और मुहब्बत के साथ एक दूसरे के विचारों से सहमत होकर अपने जनहित की बातों पर विचार कर सकें। लेकिन जिनमें मैं बहुत श्रद्धा रखता था, माननीय गेंदा सिंह जी में, उनके मुंह से जब मैंने यह शब्द सुना कि जिसमें उन्होंने गंगा सिंह का उदाहरण दिया कि उन्होंने यह कहा कि वे तो चक्की वाला आटा ही खाते हैं जो बहुत शक्तिशाली होता है, उसमें बड़ा बल होता है। इस तरह से आपने गंगा सिंह का उदाहरण देकर डीजल आयल से चलने वाली चक्कियों के आटे का समर्थन किया। वाह रे पुजारियों! कहां तो माननीय गेंदा सिंह जी पहले ट्रैक्टर वालों के विरोधी थे, और मैं स्वयं उनके साथ विरोध करता था कि अगर एक ट्रैक्टर भी चलता है तो उसकी वजह से १००, ५० किसान जो उसमें मजदूर के रूप में काम करते हैं, बेकार हो जायेंगे और उनके बदले में दो आदमी ही से काम चल जायगा। एक भिश्ती और दूसरा एक मजदूर, कुल दो आदमी ही उस काम को कर लेंगे। लेकिन आज माननीय गेंदा सिंह जी उन ट्रैक्टरों वालों का समर्थन कर रहे हैं। अब मैं कहूं तो क्या कहूं जब कि ऐसे नेता जो सदैव ट्रैक्टर के विरोधी रहे हैं उसी का समर्थन कर रहे हैं। जहां तक जमीन के बटवारे की बात है यह धोखा देने की बातें सदैव रही हैं तो वह वर्ग अब धोखे में आने वाला नहीं है जिसको आप बटवारे का सबक सिखाते हैं आपने कोई जमीनें उनको बांटी हैं? या आप सिर्फ उनको बहकाने के लिये कि जो गरीब हैं, हरिजन हैं उनसे वोट पाने के लिये यह सब कहते हैं? आपने बिलकुल जमीन नहीं बांटी हैं। आप केवल प्रोपेगेंडे के लिये ऐसा कहते हैं और उसी प्रोपेगेंडे से आप यहां आ कर बैठ गये हैं. . . .

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य विषय पर ही बोलें।

श्री हरीसिंह---मैं उधर के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे केवल प्रोपेगेंडा न करें बल्कि जहां तक ट्रैक्टर्स का सवाल है, गरीब किसान के यहां ट्रैक्टर्स नहीं चलता, ट्रैक्टर तो उसी के यहां चलेगा जिसके पास बड़ा फार्म है और जो मालदार आदमी है, आपकी तो कोशिश होनी चाहिये कि टैक्सेज इस तरह से लगें कि जिससे उनका भार बड़े लोगों पर पड़े और गरीब उससे बचें, यह ट्रैक्टर और मोटर क्या छोटे आदमी रखेंगे? गरीब यह टैक्स क्यों देंगे? उनसे इसका कोई मतलब न होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस टैक्स का विरोध न करना चाहिये बल्कि उधर वालों को भी इसका साथ देना चाहिये और कहना चाहिये कि ऐसी चीजों पर अवश्य टैक्स लगे कि जिससे बड़े लोगों की जेब से पैसा निकल कर सरकार के पास आये और फिर वह गरीबों के हित में व्यय हो। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह टैक्स जरूर लगाया जाय।

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी देर से इस संशोधन पर वाद-विवाद हो रहा था और मैं देख रहा था कि

"यह किस का जिक्र था, क्या कह रहे थे, माजरा क्या था,
सुनाई जा रही थी आज किस की दास्तां मुझको ।।"

सबसे बड़ी चीज जो संशोधन पर राय जाहिर करते वक्त यहां कही गई वह यह थी, और अक्सर लोगों ने कहा कि इसको किसी ने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। मैं तो नहीं समझता कि यहां पर जो लेजिस्लेटर्स बैठे हैं या जो पब्लिक के नुमाइन्दे यहां बैठे हैं उन्होंने इसे न पढ़ा हो। लेकिन एक बात का मुझे जरूर अफसोस है कि जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया जाय कम से कम उसकी ओपिनिंग स्पीच जो हो वह मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा, किसी मिनिस्टर के द्वारा होती है तो वह ओपिनिंग स्पीच इतनी वाजेह होनी चाहिये कि संशोधन में जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं वह उस स्पीच में रोजे रोशन की तरह जाहिर हो जायं। लेकिन बदकिस्मती से आबकारी मंत्री जी ने अपने संशोधन के ऊपर जो राय जाहिर की उससे तफसील के साथ हम उस चीज को नहीं समझ सके कि उनका मतलब क्या है। मैं आपके जरिये से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा मकसद यह नहीं है कि उनको उसका मकसद मालूम नहीं है लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि :

"कलामे मीर समझे और जुबाने मीर जा, समझे।
मगर इन का कहा यह आप समझें या खुदा समझे ।।"

चीज जितनी वाजेह होनी चाहिये थी माननीय मंत्री जी ने उसको उतना साफ नहीं किया कि सब लोग उसको समझ जाते। थोड़ी सी बात थी कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं थी और इख्तसार में कही जा सकती थी, दो चीजें हैं उसी चीज को तूल भी दिया जा सकता है और इख्तसार में भी समझाया जा सकता है। मैं आपसे अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारे सामने सफाई के साथ रख दिया जाता कि उनका क्या मन्शा है। आज हम एक तरफ तो यह देखते हैं कि लोग लग्जरी चाहते हैं और दूसरी तरफ बेयर नेसेसिटीज आफ लाइफ का सवाल है। हमारे जीवन का संघर्ष है, हम चाहते हैं कि जनता जिन्दा रहे। लोग कहते हैं कि अपोजीशन के मेंम्बर बड़ी जोरदार स्पीच करते हैं। भाई, आप बहुमत में हैं। बात तो आज आपकी मान ली जायगी, क्योंकि आप अक्सरियत में हैं। लेकिन कल की बात सुनिये—

"यह दस्तूरे जुबां बन्दी है कैसा तेरी महफिल में,
यहां तो बात कहने को तरसती है जुबां मेरी।"

कासिर रहते हैं हम अर्ज करने से, अपने ख्यालात को जाहिर करने से, कि जो टैक्स आप लगा रहे हैं वह दुरुस्त हैं या नहीं। कम से कम हमें लबकुशाई की इजाजत होनी चाहिये, हमें अपनी राय जाहिर करने की इजाजत होनी चाहिये। जब एक आदमी सत्तर, पछत्तर हजार आदमियों का नुमाइन्दा होकर आपके सामने आता है तो सत्तर, पछत्तर हजार आदमियों के ख्यालात की तरजुमानी करता है। उनके ख्यालात को सुनना चाहिये चाहे आप उससे सहमत हों या असहमत हों। तो आज जो डीजल आयल के बारे में आपने रखा है, देखना यह है कि यह लग्जरीज में शामिल होता है या बेयर नेसेसिटीज का सवाल है।

मैं आपके सामने अधिष्ठाता महोदय के जरिये से बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि जहां तक टैक्सों का ताल्लुक है इतने टैक्स हैं, कुछ भाइयों ने यह कहा कि यह टैक्स नहीं, कुछ ने कहा कि नहीं लगाया जा रहा है, कुछ ने कहा बहुत दिन से लगा हुआ है। इस वक्त मुझे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज बहादुर]

एक किस्सा ६ अंधे आदमियों का याद आ गया। एक ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। दूसरे ने पूछा हाथी कैसा होता है तो उसने जवाब दिया कि 'इट इज लाइक ए रोप" रस्से के मानिन्द है। दूसरे ने टांग पकड़ ली। उससे पूछा हाथी कैसा है। तो उसने कहा "इट इज लाइक ए वाल" यह दीवार की तरह है। यही अमेंडमेंट और विधेयक का हाल है। किसी ने कहा कि १९४८ से लागू करना चाहते हैं। किसी ने कहा कि पहले से लगा हुआ है आज हम लगाना नहीं चाहते। मैं आपके जरिये से यह जानना चाहता हूं कि हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने भी यह वाजेह नहीं किया कि उसको हम अलग करना चाहते हैं, उसको डेफिनीशन से बाहर लाना चाहते हैं, यह नहीं फरमाया। हम साफ बात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दो और दो चार। लेकिन अगर दो और दो चार के बजाय पांच लाना चाहें उस वक्त मंतिक़ अजीब हो जाता है। अगर यह जाहिर हो जाता कि वह अमेंडमेंट में क्या चाहते हैं, कितनी दर उस पर चाहते हैं, इसे टैक्स से बरी करना चाहते हैं या उस पर टैक्स लाना चाहते हैं, तो चीज साफ जाहिर हो जाती।

जहां तक डीजल आयल का सवाल है बहुत से लोगों ने यह चीज आपके सामने रखी है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इतना साफ कर देना चाहता हूं कि जहां तक हमारे खाने-पीने की चीजों का ताल्लुक है उससे इसका जरूर घनिष्ठ संबंध है। इसे चक्कियों में जलाया जाता है। मुझे भी देहात से वास्ता है। देहातों में बहुत से घरों में चक्कियां नहीं चलतीं। लोगों ने थोड़ा सा गल्ला साइकिल पर या सर पर लिया और बाजार से पिसा लाते हैं। लारियों में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा मोटर पम्प्स और ट्रैक्टर वगैरह में इस्तेमाल होता है। मेरे एक भाई ने कहा कि गवर्नमेंट ट्रैक्टर्स को इनकरेज नहीं करना चाहती है। मैं आपके जरिये यह निवेदन करूंगा कि रुद्रपुर और लखीमपुर में गवर्नमेंट फार्म्स हैं, वहां पर ट्रैक्टर्स से खेती कर रहे हैं या वहां बैलों से या भैंसों से काश्त हो रही है? मेरा ख्याल यह है कि मुझे उत्तर यह मिलेगा कि ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। जिस चीज को आप खुद इस्तेमाल करते हैं, जो जनता और पब्लिक की चीज है उस पर टैक्स लगाने पर इतनी आसानी से कहा जाय, राय आम्मा, पब्लिक के विचार को बिलकुल भी रखने न दिया जाय कि पब्लिक की आवाज क्या है। जहां तक अपोजीशन का ताल्लुक है इस्माल काज कोर्ट का विधेयक हमारे सामने पेश किया गया। हमने खुले दिल से समर्थन किया। हमने आप के जरिये सदन में अर्ज किया कि इसको जरूर पास करना चाहिये, इससे फायदा है। लेकिन जिस वक्त टैक्सेशन का सवाल है और हमारा गला घोंटा जाता है, हम अपनी बात नहीं कह सकते तो बड़ी दिक्कत होती है। फिर भी एक ऐसे विधेयक के मुताल्लिक जिसके बारे में खुद कोई चीज जाहिर नहीं है तो जिस वक्त यह सवाल किया जाता है कि इस अमेंडमेंट को जो बड़े सीधे सादे लफ्जों में रखा हुआ है, और आपके जरिये कहना चाहता हूं, मंत्री जी ने बड़े खूबसूरत लफ्जों में इस सूरत में रखा, जिससे उसका असल मकसद छप गया। हम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है कि हम क्या इस पर राय दें। अगर यह क्लीयर कर देते तो हमको दिक्कत नहीं पड़ती। लेकिन दिक्कत यह थी कि एक छोटा डिब्बा था, फिर उसके बाद बड़ा डिब्बा, और बड़ा डिब्बा था यहां तक उसको कनसील किया गया कि छुपते-छुपते उसका असल मकसद फौत हो गया। मुझे श्रीमन्, यह महसूस होता है कि जरूर इसके पीछे कोई चीज है, मुमकिन है मैं गलत हूं और कोई टैक्स न बढ़ाया जाय, लेकिन जो मैं समझा बहुत सी तकरीरों से नहीं, बल्कि आबकारी मंत्री जी के अमेंडमेंट और उनके थोड़े से मुख्तसर लफ्जों में से जो जान सका वह यह है कि उसके दरपरदा कोई बड़ी जबरदस्त चीज है और वह टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिये टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिये और मैं समझता हूं बेहतर यही है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि अच्छी तरह से हम इस पर विचार कर सकें और विचार करने के बाद यह आवे। जिस काम को अच्छी तरह से करते हैं वह ठीक होता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि मूल संशोधन को प्रवर समिति में भेज देना चाहिये ताकि उस पर विचार करने के बाद यह विधेयक पुनः सदन के समक्ष उपस्थित किया जाय और हम एक सुनिश्चित राय के साथ मत दे सकें। सरकारी बेंचों की तरफ से यह बात कही गई कि डीजल आयल पर जो बिक्री-कर लगाया जायगा उससे साधारण जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि जो धनी वर्ग है हमारे देश का वह इससे प्रभावित होता है। यों तो सरकारी दल के लिये यह अनिवार्य सा होता है कि चाहे कोई भी विधेयक सदन के सामने हो वह आंख मूंदकर उसका समर्थन करने के लिये खड़े हो जाते हैं। और यह बिक्री-कर तो एक ऐसी सोने की चिड़िया सरकार को मिल गई कि जब भी मौका मिले इसका इस्तेमाल जनता की भलाई के नाम पर यह सरकार करती है। सरकारी दल के लोगों को याद होगा कि जब पिछली बार नमक पर बिक्री-कर लगाया गया, उस नमक पर जिसका उपयोग हर गरीब आदमी करता है और जिस पर कर लगने के विरोध में महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक डांडी यात्रा की थी, उसका भी जब विधेयक सदन के सामने पेश हुआ था तो सरकारी दल के लोगों ने समर्थन किया, चाहे उनका दिल न चाहता हो, लेकिन हाथ उठ गया। विरोधी पक्ष की तरफ से उस समय भी यह आवाज उठायी गई थी कि इस कर का जनता के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा और यह कर बिल्कुल गलत है। तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि चाहे आप जितना भी चिल्लायें हम इस कर को हटाने वाले नहीं हैं। लेकिन जनता ने उनको मजबूर किया। जनशक्ति उस कर के विरोध में खड़ी हुई। आपने अपने बहुमत से सदन में उसको पारित किया लेकिन जब जनमत ने मजबूर किया तो आपको कर हटाना पड़ा।

मैं दो मूल कारणों से इसका विरोध करता हूं। दो ऐसे मूल कारण हैं जिसकी वजह से इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना अनिवार्य है। पहला तो यह कि यह जो धारा ३ में कहा गया है कि मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "नाट एक्सीडिंग टू आनाज पर गैलन" निकाल दिये जायं; यह सरकार एक ऐसा अस्त्र अपने हाथ में लेना चाहती है कि भविष्य में जब भी वह चाहे जितना भी चाहे वह उस कर को बढ़ा सके। यह बिलकुल एक अनिश्चित सी धारा होगी और यह सदन की मर्यादा के और सरकारी दल की मर्यादा के भी प्रतिकूल बात होगी कि किसी चीज को परदे में रखकर पास कराया जाय और समय पर जैसा चाहे उसका उपयोग किया जाय।

दूसरी बात डीजल आयल पर कर लगाने से साधारण जनता कहां तक प्रभावित होती है इस पर हमें विचार करना है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं डीजल आयल का प्रयोग इस समय ट्रैक्टरों में किया जा रहा है, नलकूपों में किया जा रहा है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आटा पीसने वाली चक्की है, उसमें किया जा रहा है। तो नलकूपों में प्रयोग में आने वाली चीज डीजल आयल पर जब बिक्रीकर लगेगा तो क्या साधारण जनता प्रभावित नहीं होगी? क्या रेट सिंचाई का नहीं बढ़ेगा? जब आटे वाली चक्की में प्रयोग किये जाने वाले डीजल आयल पर बिक्री कर लगेगा तो क्या मध्यम वर्ग के लोग और साधारण लोग जो उस आटे को इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर यह भार नहीं पड़ेगा?

मैं सरकारी बेंच से एक बात पूछना चाहता हूं। जिस किसी भी बिक्री-कर को सरकार पेश करती है, यह बहाना करके करती है कि साधारण जनता पर उसका असर नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता की बात क्या होती है कि वह दूकानदार उस बिक्री-कर को उस साधारण किसान से उस आदमी से जो खरीदने जाता है उससे वसूल करता है। उस व्यापारी के ऊपर उसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। वह प्रभाव जाकर के पड़ता है साधारण किसानों के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर। एक तरफ आप सहकारी समिति चलाने की बात करते हैं कि हमारे देश में कृषि सहकारिता के रूप में होनी चाहिये। अगर सहकारिता के रूप में आप कृषि चलायेंगे तो निश्चित रूप से ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जायगा और उसका प्रभाव

[श्री चन्द्रजीत यादव]

जाकर के साधारण जनता पर, उन ग्राम के रहने वाले साधारण किसानों पर पड़ेगा। आज आप चकबन्दी कर रहे हैं। बिखरे हुये खेत एक जगह होंगे। निश्चित रूप से अपनी सहूलियत को देखते हुए अपनी जगह जमीन को चाहे बेचना पड़े लेकिन वह ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे और इस टैक्स का प्रभाव जाकर के उनके ऊपर पड़ेगा। तो यह ऐसी बातें हैं जो सरकारी दल के उस तर्क को झूठा साबित करती हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दें। जैसे १८ वर्ष के अनुभव के बाद आज उन्हें इस बात का आभास हुआ कि डीजल आयल जो है जो मोटर स्पिरिट की कैटेगरी में आता है उस पर भी टैक्स लगना चाहिये और उसके लिये यह विधेयक उन्होंने सदन में उपस्थित किया वैसे ही महीने दो महीने प्रतीक्षा और करें। यह बिल प्रवर समिति में जाय। वहां इस पर विचार किया जाय। हमारे भी सुझाव वहां पर होंगे और उनको भी अवसर मिलेगा। वह भी विचार करें। अगर उनके दिल में गरीबों के लिये दर्द है, अगर वह चाहते हैं कि गरीबों पर इसका असर न पड़े तो उनको भी मौका इसके लिये मिलेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय और मंत्री जी बहुत अधिक विवाद इसमें न बढ़ायें और सदन का बहुत समय न लें और इस बात को स्वीकार कर लें।

श्री अधिष्ठाता—(श्री राजनारायण से) अब टाइम हो गया है। कल आप भाषण आरम्भ कीजियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
६ मई, १९५७।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०६ पर)

बिजली कंपनी को निम्नलिखित दर पर बिजली दी जाती है—

१—रोशनी तथा पंखा	ढाई आना प्रति यूनिट
२—घरेलू उद्योग	डेढ़ आना प्रति यूनिट
३—सिनेमा प्रोजेक्टर और सिनेमा चलने की मशीन।	एक आना आठ पाई प्रति यूनिट

४—उद्योग-धंधों के लिये (स्लाइडिंग स्केल) ५० हार्स पावर के ऊपर ५० हार्स पावर से कम (पाई प्रति यूनिट) यदि उपयोग १,३२० यूनिट प्रति हार्स पावर प्रति साल से अधिक है।

१—प्रथम १३२० यूनिट	१५.५	१५.५
२—तदुपरान्त १२०० यूनिट	८.५	११.०
३—तदुपरान्त ५०० यूनिट	७.५	९.५
४—बाकी अतिरिक्त यूनिट	४.०	५.५

स्लाइडिंग स्केल बिल का भुगतान बिल में दिये समय के अन्दर करने पर ही दी जायेगी।

सप्लाई कम्पनी की वितरण दर निम्नलिखित है:—

१—रोशनी तथा पंखा	सात आना नौ पाई प्रति यूनिट (समय के अन्दर भुगतान करने पर दो आना प्रति यूनिट छूट)।
२—घरेलू उद्योग	दो आना नौ पाई प्रति यूनिट (समय के अन्दर भुगतान करने पर १० प्रतिशत की छूट)।
३—उद्योग धंधे	दो आना नौ पाई प्रति यूनिट (समय के अन्दर भुगतान करने पर १० प्रतिशत की छूट)।
४—सिनेमा	चार आना नौ पाई प्रति यूनिट (समय के अन्दर भुगतान करने पर २० प्रतिशत की छूट)।
५—सड़क की रोशनी	पीलीभीत में ४५० लैम्प हैं जो १३,३०० रुपये के ठेके पर हैं। इसमें इनका मेंटीनेंस (maintenance) भी शामिल है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—४ एल० ए०—१९५७—७९६।